खण्ड-325, अंक-8
शनिवार, 1 श्रावण, शक संवत् 1899
(23 जुलाई, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 325 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 625–630
प्रदेश के छात्रों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लेने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	.. 630
कानपुर नगर में अपराधों में वृद्धि के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. 630–631
आगरा जिले के ग्राम खतौना, थाना लोहा मण्डी में अल्प संख्यक वर्ग के व्यक्तियों की पिटाई के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	.. 632
पर्वतीय जिलों में राज्य कर्मचारियों को हिल एलाउन्स न मिलने से सम्भावित हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	.. 632–633
जिला बलिया में सराय भारती से टीका दौरी नमपुरा नकू बांध न बनने से अनेक गांव जलमग्न होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	633
गोंडा के एक स्थानीय इण्टर कालेज में एक छात्र द्वारा प्रधानाचार्य पर घातक हमले से मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. 633–634
पी० ए० सी० विद्रोह में चलाए गए मुकदमों को वापस लेने तथा कर्मचारियों को नौकरी में वापस लेने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. 634–635
गौरी बाजार, जिला देवरिया का बड़वा माइनर टूटने से गांवों में जल भराव के बिषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	.. 635
गोरखपुर जिले के रामनगर गांव में यादवों द्वारा पुलिस की सहायता से नत्था हरिजन का खेत जोतने तथा हरिजनों की झोपड़ियों में आग लगाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	.. 635–636
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्रातिशीघ्र देने का श्री अध्यक्ष द्वारा शासन को निर्देश	.. 636–638
औराई एवं वाराणसी जांच आयोग की रिपोर्ट, 1973 (सदन के पटल पर रखी गयी)	.. 638
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था सम्बन्धी स्वायत्त शासन विभाग अनुभाग–4 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गई) ..	638
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	638
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	.. 638
श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	.. 638–641

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	641
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	642–697
सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	697
व्यवस्था का प्रश्न	698–700
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	700–723
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	723–724
बस्ती जिले में कत्ल तथा डकैतियों की घटनाएं होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	724–729
मुख्य मन्त्री के आवास में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक लाश के साथ अनधिकृत प्रवेश के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	729–731
सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	732

संसद भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 23 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--385

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आविद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्र मणि बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नरायन सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किसन लाल, श्री
किसन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री

कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री (जिला जौनपुर)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री,
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म-दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री

नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री पुष्पवान (जिला चमोली)
प्रताप सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीष्म, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा

महेन्द्र सिंह यादव, श्री
माधव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती

राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन लाल, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री

हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिशचन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरीसिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज , श्री

प्रदेश में छात्रों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लेने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष—

आज कोई प्रश्न नहीं हैं और प्रश्नों के बाद में कुछ आवश्यक महत्व के प्रश्न सदस्य लोग उठाते हैं। तो आज मैंने, चूंकि प्रश्न नहीं है, कुछ अनुमति दे दी है। मैं उन सदस्यों से निवेदन करूंगा कि केवल सूचना तक सीमित रखे। उस पर कोई भाषण या सम्मति न दें। जो सूचना है, कृपया लिखित ही पढ़ें।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान प्रदेश भर में छात्रों और युवजनों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं :—

आज भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में छात्रों, युवजनों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जाब्ता फौजदारी और भारत रक्षा कानून की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमें चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश मुकदमें लोकनायक, जय प्रकाश के नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलन, यूनियनो को समाप्त करने के विरोध में 1970 में चलने वाले छात्रों के आन्दोलन, पी0 ए0 सी0 आन्दोलन और आपात्काल में दर्ज भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत चलने वाले मुकदमें हैं। पूर्व सरकार ने समय-समय पर घोषणा की है कि आन्दोलन सम्बन्धी मुकदमें वापस ले लिए जायेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। चूंकि स्कूल, कालेज खुल गए हैं, विश्वविद्यालयों में अधिकांश जगहें परीक्षाएं चल रही हैं, इसके बांद विश्वविद्यालय खुलने पर इन्हीं सवालों पर व्यापक आन्दोलन होने की सम्भावना है। इस समय छात्रों, युवजनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में व्यापक असन्तोष हैं।

मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि आन्दोलन के सन्दर्भ में चलने वाले सभी मुकदमें तत्काल वापस लिए जायं।

कानपुर नगर में अपराधों में वृद्धि के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कानपुर महानगर की अपराध संख्या के बिषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गत कई वर्षों से कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधों का केन्द्र बना हुआ है

जहां लगभग प्रतिदिन कत्ल, डकैती तथा राहजनी की घटनाएं घटती रहती हैं। गत कुछ दिनों से इस महानगर में अपराधों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गयी है कि नागरिकों में आतंक छाया हुआ है। अभी 20 जुलाई को दिन के साढ़े 11 बजे कानपुर कोतवाली की सीमा के अन्तर्गत अत्यधिक चहल-पहल वाले मैस्टन रोड बाजार में एक बिसातखाने की दुकान में घुस कर चार डकैतों ने रिवाल्वर दिखा कर 1,600 रुपए कैशबाक्श में से निकाल लिए और बाजार के लोगों को धमकाते हुए वहां से निकल गए। इसी क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व सायंकाल 8 बजे अहूजा वाच कम्पनी के मालिक का उस समय कत्ल कर दिया गया था जब कि वह अपनी दुकान बन्द करके घर जाना चाहते थे। आज से लगभग 12 दिन पूर्व नयागंज कीं एक किराना फर्म से राहजनों ने सायंकाल 6 बजे चाकू तथा रिवाल्वर दिखा कर 1,800 रुपए उस समय छीन लिया जब कि फर्म के मालिक, श्री बाथम अपनी रोकड़ मिला रहे थे। लगभग 15 दिन पहले तिलकनगर मोहल्ले में डा0 बी0 एन0 खन्ना के घर में कुछ डकैत दिन के 11 बजे घुस गए तथा न केवल 2,000 रुपए नगद और कई हजार का जेवर ले गए वरन् महिलाओं को भी बुरी तरह से मारा पीटा।

इसी प्रकार की घटना जून मास में स्वरूप नगर में घटित हुई जहां एक अग्रवाल परिवार के घर में घुसकर डकैतों ने दिन में 3 बजे महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया तथा हजारों रुपए की नकदी और जेवर लूट ले गए। कानपुर के छावनी थाने की सीमा के अन्तर्गत 1 मास में 3 कत्ल तथा कई डकैतियां प; चुकी हैं। महराजपुर थाने के अन्तर्गत अन्या ग्राम में एक डकैती प; जिसमें परिवार के लोगों ने डकैतों को पहचान लिया तथा पुलिस को उनके नाम भी बताए किन्तु पुलिस उन लोगो को तंग कर रही है जिनके घर में डकैती प;ी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर महानगर की अपराध स्थिति इतनी बिगड़ गयी है कि आज यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर रात्रि में 12 बजे के बाद उतरता है तो वह अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पाता अर्थात् उसे रात रेलवे प्लेटफार्म पर ही काटनी पड़ती है। महिलाओं के गले की जंजीरें छीनने की घटनायें तो प्रति दिन कम से कम आधे दर्जन होती रहती है। घाटमपुर थाने के अन्तर्गत कु नी नामक ग्राम के प्रधान का कत्ल कर दिया गया था, आज तक इस कत्ल में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सजेती थाने के अन्तर्गत कोटरा मकरन्दपुर से जनता पार्टी के कार्यकर्ता, श्री बसन्त लाल का कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल में इस सदन के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, श्री शिवनाथ सिंह के भाई, श्री बदन सिंह गिरफ्तार हुए थे। इस गांव में गत चार महीने से पी0 ए0 सी0 प; ी हुई है और वहां के विधायक, श्री राम आसरे अग्निहोत्री की जान खतरे में है। अत : मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि वह कानपुर महानगर की दिन प्रति दिन बढ़ती हुई अपराध स्थिति को नियन्त्रित करने हेतु अविलम्ब कोई प्रभावी कदम उठावें जिससे कानपुर के नागरिक राहत की सांस ले सकें।

अभी परसों पूर्व कानपुर के बी0 एन0 एस0 डी0 कालेज के प्रधानाचार्य के कक्ष में दिनांक 21 जुलाई को एक अभिभावक के ऊपर कुछ अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य ने आक्रमण कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखायी गयी। छात्रों ने जिलाधिकारी तथा एस0 पी0 के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अत : इस घटना की भी जांच करायी जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब आप भाषण दे रहे हैं, समाप्त करें।

आगरा जिले के ग्राम खतौना, थाना लोहा मण्डी में हुई अल्प संख्यक वर्ग के व्यक्ति की पिटाई के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आगरा जिले के गांव खतौना, थाना लोहा मन्डी में विगत दिनांक 13 जुलाई, 1977 को अमानुषिक और बर्बर घटना की सूचना देता हूं। दिनांक 13 जुलाई, 1977 को उस गांव की बहुसंख्यक आबादी की विरादरी का एक लड़का मर गया जिसे वह उस गांव के निवासी अल्प-संख्यक, श्री लाल सिंह के खेत में जबरन शमशान भूमि को छोड़कर दफना रहे थे इस पर लाल सिंह के लड़कों ने एतराज किया तो बहुसंख्या आबादी ने खेत वालों को बुरी तरह मारा पीटा जिससे उनके चोटें आयीं और पुलिस के दरोगा, श्री रामजीत सिंह की देख-रेख में श्री लाल सिंह के घर की लूट की गयी। लड़कियों और बहुओं की बेइज्जती हुई और पथराव किया तथा 4-5 हजार की उत्तेजित बहु संख्यक भीड़ ने पथराव करते हुए निरीह श्रीमती जमीला, श्री हनीफ उल्ला, श्री मद्दन खां, श्री शकूर खां के घरों की लूट की और बहू-बेटियों की बेइज्जती की तथा घरों के किवाड़ तोड़ डाले और घरों को पथराव से भर दिया तथा पुलिस ने लुटेरों को नहीं पकड़ा और पिटने वाले व लूटे गए अल्प-संख्यकों, आबादी के हताहत लोगों का झूठा चालान पुलिस ने कर दिया तथा लूटे बेइज्जत हताहतों की रिपोर्ट थाने पर कांग्रेसी विधायकों के मौजूद रहने और कुप्रभावित किए रहने व राम जीत सिंह दरोगा का इस कान्ड के पीछे हाथ है, की वजह से नहीं लिखी गई और लुटेरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे अल्प-संख्यक आबादी भयभीत और असुरक्षित है और अपने-अपने घरों को छोड़कर भाग खड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि दोषियों को पकड़ा जाय और दोषी पुलिस दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की जाए तथा अल्प-संख्या मुस्लिम व अन्य को जीवन की सुरक्षा दी जाय और निर्दोष हताहत जो बन्द किए गए है, तुरन्त रिहा किया जाए ताकि अल्प संख्यक आबादी के लोगों को वहां बसने पर यह विश्वास हो कि अब उनका जीवन सुरक्षित है, यदि इस पर कार्यवाही तत्काल न हुई तो आगरा में बहुत ही गम्भीर खतरा पैदा हो जावेगा।

पर्वतीय जिलों में राज्य कर्मचारियों को हिल एलाउन्स न मिलने से सम्भावित हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि "प्रदेश के पर्वतीय अंचल की विशेष भौगोलिक तथा जलवायु सम्बन्धी विषम परिस्थितियां एवं ट्रान्सपोर्ट के अतिरिक्त खर्चों के भार से उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई और पारिवारिक जीवन की अतिरिक्त शरदकालीन आवश्यकताओं के कारण पर्वतीय अन्चल में राज्य कर्मचारियों का जीवन-यापन, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में बहुत महंगा है, अतएव इस आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त लगभग 8,000 राज्य कर्मचारीगण विगत अनेक वर्षों से हिल-एलाउन्स की मांग कर रहे हैं, जो उपरोक्त औचित्य पर आधारित है। विगत 2 अप्रैल, सन् 1977 से प्रदेश के सम्पूर्ण पर्वतीय जिलों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् ने आन्दोलन आरम्भ कर रक्खा है जिसमें अन्तिम चरण के रूप में हड़ताल भी शामिल है, यदि उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों में प्रशासन का काम काज ठप्प हो जाने

की संभावना है, अतएव दीर्घकाल से उपेक्षित, हिल-एलाउन्स दिए जाने की उचित मांग पर सरकार द्वारा उदारतापूर्वक विचार किया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है। यही मेरा निवेदन है।

जिला बलिया में सराय भारती से टीका दौरी नमपुरा नक बांध न बनने से अनेक गांव जलमग्न होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह लोक महत्व के प्रश्न की सूचना देता हूं जो इस प्रकार है :

"सिंचाई बांध जो सराय भारती (तहसील रसड़ा, जिला बलिया) से लेकर टीका-दौरी नमपुरा तक बनाने का सरकार ने आज से कुछ वर्ष पहले प्रस्ताव किया था और यह बांध जो नदी के किनारे से होकर गुजरता है, इस बांध के न बनने से करोड़ों रुपए की फसलों की बरबादी तो है ही, कितने ही गांव पानी से डूब गए हैं। इस बांध के न बनने से टिराहीपुर-दौरी आमघाट, चांदपुर, डुमरिया, बेलुआ, बेसवान, मिर्जापुर, बैजलपुर, टीकादौरी नगपुरा, प्रधानपुर आदि गांव टौंस नदी के पानी से प्रभावित हो गए हैं। यही नहीं, आज स्थिति यह है कि बच्चे तथा जानवर गांवों में पानी की विभिषिका को देखकर चीत्कार कर रहे हैं। रसड़ा और रतनपुरा ब्लाक का यह दक्षिणी हिस्सा जो प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है, सदा से उपेक्षित रहा है। कांग्रेस के शासन काल में इस बांध का जो लगभग 11 किलोमीटर लम्बा है, 6-7 वर्षों से कागजात के पन्नों में दबा कर रख दिया गया है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वर्तमान बांध न बनने से टौंस नदी के पानी की चपेट में आए हुए आस-पास के गांव पानी से डूब रहे हैं। इस क्षेत्र की फसलें पूर्णतया पानी से डूब कर बरबाद हो गई हैं। लोगों व जानवरों के भोजन की कोई व्यवस्था व साधन नहीं है। कृपया इस पर सरकार ध्यान दे।

गोण्डा के एक स्थानीय इण्टर कालेज में एक छात्र द्वारा प्रधानाचार्य पर घातक हमले से मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न सूचना देना चाहता हूं : "माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने दिनांक 21 जुलाई, 1977 को विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि"...

श्री अध्यक्ष—

इसका सूचना से कोई सम्बन्ध नहीं है, आपको जिस घटना की सूचना देनी है, वह दे दीजिए ?

श्री गंगा प्रसाद—

श्रीमन्, मैं वही कह रहा हूं : "माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने दिनांक 21 जुलाई, 1977 को विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि विद्यालयों में भर्ती की विशेष सुविधा दी जाएगी यहां तक कि यदि आवश्यकता होगी तो पाली का हिसाब बना कर अधिक विद्यार्थियों की भर्ती की जाएगी।

[श्री गंगा प्रसाद]

21 जुलाई, 1977 को गोन्डा के स्थानीय राजकीय इन्टर कालेज में लगभग 10 बजे दिन में एक छात्र ने प्रधानाचार्य के कार्यालय में घुसकर उन्हें गोली मार दी और बाद में चाकू से भी हमला कर दिया। उस समय वहां पर कई लोग उपस्थित थे। जैसा कि दैनिक समाचार-पत्र "नवजीवन" के पृष्ठ 2 के कालम 4 में दिनांक 22 जुलाई, 1977 के अंक में छपा है। छात्र ने जब प्रधानाचार्य से यह पूछा कि प्रवेश मिलेगा या नहीं तो उन्होंने "नहीं" कह दिया। उनके ऐसा कहने पर छात्र ने देशी तमंचे से गोली मार दी, जो प्रधानाचार्य को सिर झुका होने के कारण उनके सीने पर तो नहीं लगी, किन्तु चाकू के वार से उनका एक हाथ बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उन्हें गम्भीर अवस्था में तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया।

घटना घटित होने के बाद टेलीफोन भी खराब मिला जिससे पुलिस को सूचित नहीं किया जा सका और उक्त अभियुक्त छात्र स्वतन्त्रता से कालेज में घूमता रहा। एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रकाश डालने की कृपा करें।

अभी-अभी मुझे यह सूचना मिली है कि श्री दीप नारायण पांडेय माननीय सदस्य, कटरा, जिला गोन्डा के द्वारा कि अस्पताल में प्रधानाचार्य का स्वर्गवास हो गया है। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर घटना है, अत : मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया इस पर विवाद करने का मौका दे सकें, तो ब ी कृपा होगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इनसे कहिए कि कम से कम यह जो अराजकता की स्थिति है, इसको तो समाप्त करें। (कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

पी०ए०सी० विद्रोह में चलाए गए मुकदमों को वापस लेने तथा कर्मचारियों को नौकरी में वापस लेने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वर्ष 1973 का जो तथाकथित पुलिस (पी0ए0 सी0) का विद्रोह हुआ था उसमें हजारों लोगों को संघर्ष में मौत के घाट उतार दिया गया और उनका पता भी नहीं लग पाया और आज भी प्रदेश की विभिन्न जेलों में एक हजार आदमी बन्द हैं। श्रीमन्, गरीब देश है, लोगों पर प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं और आज भी दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गयी है . . .

श्री अध्यक्ष—

रुकिए। व्याख्यान नहीं, जो सूचना है वह पढ़कर सुनाइए।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

दर्जनों लोग विभिन्न जेलों में मर गए। उनके परिवार के लोग आज भुखमरी के कगार पर जा रहे हैं। इस सदन के सम्मानित माननीय सदस्य 250 जो इस सदन में बैठे हुए हैं उनके हस्ताक्षर हैं कि पी0ए0सी0 पुलिस विद्रोह में जितने मुकदमें चलाए जा रहे हैं उन सारे मुकदमें को वापस ले लिया जाय, उनको काम पर लिया जाय, यह उनकी मांग है। माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्रस्तुत

कर रहा हूं। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान उन पीड़ित लोगों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनके परिवार के लोग मर रहे हैं, जेलों के अन्दर लोग बन्द हैं। वे मुकदमों की तारीखों पर आते हैं, आज उनको कोई राहत नहीं है, कोई रास्ता नहीं रह गया है। आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि जिस तरीके से केन्द्रीय सरकार में रेल कर्मचारियों की जो 1974 की हड़ताल हुई थी, उन को काम पर लेकर एक उदाहरण रखा है, उसी तरह से प्रदेश की सरकार पी0ए0सी0 पुलिस प्रशासन के लोग जो जेलों में बन्द हैं, उनको वापस लेकर उनकी मांगो को पूरा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसको भेज दें, मुख्य मन्त्री जी के पास मैं इसको भेज दूंगा।

गौरी बाजार, जिला देवरिया का बढ़वा माइनर टूटने से गांवों में जल भराव के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इन तथ्यों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, गौरी बाजार के अन्दर बढ़वा माइनर के टूट जाने की वजह से सम्पूर्ण उत्तरी इलाका जल-प्लावित हो गया है, फसलें डूब गयी हैं। क्रमशः पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी है। मैंने वहां के अधिकारियों से निवेदन किया था कि मेरे साथ चल कर नहरों का निरीक्षण करें, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इन्कार किया। आज सम्पूर्ण देवरिया जिले की नहरों में पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। आज देवरिया जिला जो बाढ़ से बचा हुआ था, ऐसा लगता है कि वह नहरों के टूट जाने से सम्पूर्ण देवरिया पानी से डूब जायगा इस आशंका से डूबा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करें जिससे बाढ़ की स्थिति जो पैदा हो गयी है और जन-जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है उसको तत्काल रोका जा सके।

गोरखपुर जिले के रामनगर गांव में यादवों द्वारा पुलिस की सहायता से नत्था हरिजन का खेत जोतने तथा हरिजनों की झोपड़ियों में आग लगाने के विषय को सदन के संज्ञान में लान

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से एक दूसरे बेलची कांड की ओर इशारा करना चाहता हूं। 10 जुलाई, 1977 को लगभग 11 बजे दिन में गोरखपुर जिले के रामनगर गांव में लगभग 8 यादव नवजवान भाई एक ट्रैक्टर में आए और अपने साथ एक जीप पर पुलिस के सिपाही भी लाए और नत्था हरिजन के खेतों पर ट्रैक्टर चला कर सारी फसल नष्ट कर दी। पुलिस ने ट्रैक्टर वालों का साथ दिया। नत्था चिल्लाया किन्तु नत्था की बात किसी ने नहीं सुनीं और खेतों को जोत डाला और नत्था के घर और लाले हरिजन के घर में आग लगा दी जिसमें लगभग पूरा गांव जल गया। जब गांव के लोग भाग कर आग बुझाने गए तो महाराजगंज पुलिस के दो अधिकारियों और 7 कांस्टेबिलों ने हवाई फायरिंग की और गांव वालों पर लाठियां

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

बरसायीं, औरतों और लड़कियों को खींच कर मारा गया जिसमें लगभग 45 आदमी जिनमें 20 महिलायें हैं, चोट आयीं। पुलिस 11 आदमियों को महाराजगंज थाने में लाई और थाने में भी सब की पिटाई की। उनमें एक 12 वर्ष का लड़का भी था जो उसी समय स्कूल से लौट कर आया था। पुलिस वालों ने इन लोगो को रात भर थाने में रक्खा और जेल भेज दिया।

मैं इस मिनी बेलची कांड की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार अविलम्ब कार्यवाही करे।

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर शीघ्रातिशीघ्र देने का श्री अध्यक्ष द्वारा शासन को निर्देश

श्री अध्यक्ष—

इन सब प्रश्नों को मैं सम्बन्धित मन्त्रियों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं और मेरा अनुरोध है कि मन्त्रिगण जांच करा कर इनकी सूचना सम्बन्धित सदस्यों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

कृपा कर आप बैठिए। यह प्रोसीडिंग्स की भाग नहीं बनेगा। (श्री पुरुषोत्तम कौशिक के बोलते रहने पर।) पुरुषोत्तम जी, आप बैठिए। इसका कोई लाभ नहीं है। आप बैठिए।

***श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)**—

शीघ्रातिशीघ्र जो आपने कह दिया, मैं समझता हूं कि कोई समय अगर आप निश्चित कर दें, 7 दिन के अन्दर, तब तो कुछ लाभ होगा। अगर शार्ट नोटिस क्वेश्चन हो तो वायरलेस से आ जाता है और ध्यान आकर्षक भी वायरलेस से आ जाते हैं। तो इस तरह की सूचनाओं पर जब तक 7 दिन के अन्दर कोई कार्यवाही न हो तो कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र का अर्थ 7 दिन होना चाहिए अधिक से अधिक।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल को खुद प्रशासन का अनुभव है और वह स्वयं जानते हैं कि कितने दिन में सूचना दी जा सकती है। शीघ्रातिशीघ्र मैंने कहा है। अगर कोई उनकी शिकायत हुई तब उनसे कहा जायगा।

नोटः—[****] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर क्या कहते हैं। हमसे अच्छे शासन का दावा करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय नेता विरोधी दल पिछले कई वर्षों से वहां रह कर अनुभव कर चुके हैं। जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जरा सा भी विलम्ब करना हम पसन्द नहीं करते और हम चाहते हैं कि कम से कम समय में जो प्रश्न यहां उठे उनके उत्तर आ जाये और सदन में दे दिए जायं और उस पर कार्यवाही भी कर दी जाय। लेकिन इसके करने में जो अनुभव उनको प्राप्त है, उसके अनसार ही हम काम करेंगे।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

कांग्रेस से अगर कम समय लें तो कुछ परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सरकार तो बहुत समय लेती थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने दो, तीन उदाहरण यहां दिए। जो प्रश्न यहां उठाए गए अगर ये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न के रूप में उठाए जाते तो 3-4 दिन में उत्तर आ जाता। दूसरे, अगर ध्यान आकर्षक के रूप में आता है तो दो दिन में जवाब दिया जा सकता है। इसलिए मैंने 3-4 दिन के बजाय 7 दिन कहा और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तभी आप इजाजत देते हैं, फुटकर प्रश्नों की आप इजाजत नहीं देते हैं। तो यह कोई पार्टी का सवाल तो है नहीं, इस पक्ष और उस पक्ष के, सभी लोग महत्व के प्रश्न उठाते हैं। तो उनका महत्व चला जाता है अगर समय से उत्तर न मिले। इसलिए 7 दिन का समय निश्चित कर देने से लाभ होगा नहीं तो प्राथमिकताओं में बात रह जायगी। इनको वही प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो काल अटेन्शन मोशन को मिलती है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जैसा मैंने शुरू में ही कहा पुन : मैं उनको दोहराए देता हूं कि आप तो 7 दिन के लिए कह रहे हैं अगर सम्भव हो सका तो 7 दिन के पहले ही करेंगे। लेकिन यह तो अध्यक्ष का अधिकार है। उनको ही यह समय निश्चित करना है और सरकार को समय देना है। जो आज्ञा उनकी होगी उसका पालन हमारी तरफ से होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी, आप स्वयं बतला सकेंगे कि कितने दिन में सूचना दे सकते हैं?

श्री मधुकर दिघे—

यह तो विषय पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्ष—

एक सप्ताह में दे सकते हैं?

श्री मधुकर दिघे—

एक सप्ताह न करें।

श्री अध्यक्ष—

आप एक सप्ताह में ही उत्तर दें। यदि सूचना न आ सके तो माननीय सदस्य को यही लिख कर सूचना दे दें कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। सूचना आने पर देंगे।

श्री मधुकर दिघे—

यह स्वीकार है।

औराई एवं वाराणसी जांच आयोग की रिपोर्ट 1973†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से औराई एवं वाराणसी जांच आयोग की रिपोर्ट 1973 (खंड 1 व 2) को ज्ञापन सहित, कमीशन्स आफ इन्क्वयारी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था सम्बन्धी स्वायत्त शासन विभाग-अनुभाग-4 की अधिसूचना†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्वायत्त शासन विभाग अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 3453/9-4-195-76, दिनांक 16 जून, 1977 को, उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 96 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत मैं सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1977, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1977 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 जुलाई, 1977 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा-कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत मैं सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1977, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 1977 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 22 जुलाई, 1977 को वापस प्राप्त हो गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री शतरूद्ध प्रकाश ने माननीय नेता, विरोधी दल, श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है जो नियम 63 के अन्तर्गत है। माननीय सदस्य का कहना है कि कल दिनांक 22 जुलाई, 1977 के उपवेशन में प्रश्नों के समाप्त हो जाने के सम्बन्ध में दी गयी माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था पर माननीय नेता, विरोधी दल, श्री तिवारी ने मात्र आपत्ति ही नहीं की बल्कि सदन का त्याग भी कर दिया। मैंने कल दिनांक 22 जुलाई, 1977 की कार्यवाही को देखा। उसमें कहीं भी माननीय नेता, विरोधी दल, श्री तिवारी ने मेरी व्यवस्था के विरुद्ध आपत्ति नहीं की और न ही उन्होंने सदन त्याग करते समय मेरी व्यवस्था के विरुद्ध सदन त्याग करने की बात कही।

माननीय शतरूद्ध प्रकाश जी, इसमें नियम यह है कि अध्यक्ष अपने कक्ष में ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। अगर प्राग्दर्शन में मामला बनता है और अध्यक्ष यदि आवश्यकता समझते हैं तो वे आपत्ति उठाने वाले माननीय सदस्य का स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप केवल 2 मिनट में अपनी बात कहने की कृपा करें।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में इस प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मैंने जो विशेषाधिकार भंग का प्रश्न सदन में उपस्थित किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष की आज्ञा सदन में सर्वोच्च है। उनकी व्यवस्था के विरोध में कोई बात कहना या सदन का उसके विरोध में त्याग करना सदन का अवमान है। मद्रास लेजिसलेटिव असेम्बली में 1967 में इसी तरह का एक प्रश्न उपस्थित हुआ था जिसमें 29 मार्च, 1967 को एक माननीय सदस्य ने खड़े होकर यह कहा कि "माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से हाथ उठाए हुए हूं, उसके बावजूद भी सवाल करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, आप केवल सत्ताधारी दल को सवाल करने का मौका दे रहे हैं।" केवल इतनी ही व्यवस्था के ऊपर ही अध्यक्ष महोदय ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया था। ऐसा ही एक मामला है जोकि बहुत गम्भीर है। आसाम असेम्बली का है। 2 नवम्बर, 1954 को श्री हरेश्वर गोस्वामी जो कि सदन के नेता विरोधी दल थे, उन्होंने अध्यक्ष की व्यवस्था देने पर एक उप मन्त्री को कोई आदेश दिया कि आप इस वक्तव्य को इस सदन के अन्दर कहिए। नेता बिरोधी दल ने एक आपत्ति की कि माननीय मन्त्री को इस पर वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने उनकी आपत्ति अस्वीकार की। इस पर श्री हरेश्वर गोस्वामी ने आपत्ति की और सदन का त्याग किया। यह मामला अध्यक्ष महोदय ने आसाम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया था। मेरा आप से निवेदन है कि यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय नारायण दत्त तिवारी को अवमान करने पर सदन से माफी मांगना चाहिए। मान्यवर, मेरा आप से निवेदन है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कल सदन की कार्यवाही को देखा, उसमें श्री मंजूर अहमद ने केवल यह कहा कि हम सदन त्याग कर रहे हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने मेरी व्यवस्था के विरुद्ध कोई आपत्ति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

नहीं की और न उन्होंने उसको चुनौती दी। वह स्वयं सदन छोड़ कर चले गए, इसलिए कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, व्यवस्था देने के पूर्व एक मिनट सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मालवीय जी, इसका नियम यह है कि कक्ष में आकर कह दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर कोई स्पष्टीकरण वगैरह प्राप्त किया जाता है। अध्यक्ष की व्यवस्था को कोई व्यक्ति कहता है, गलत है, कोई चुनौती देता है, तो वह हो जाता है। अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन सदन का त्याग करना इसकी परिपाटी रही है और इसलिए मैंने रिकार्ड को तो देखा। यह प्रश्न केवल माननीय नेता विरोधी दल के विरुद्ध है। उसमें उन्होंने यह नहीं कहा कि आपकी व्यवस्था गलत है, हम उसके विरुद्ध आपत्ति करते हैं। यह मैंने प्रोसीडिंग्स में देखा इसलिए, इसमें मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आप किसलिए उठते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, . . .

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न समाप्त हुआ। इसमें हमने व्यवस्था दे दी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, कल भी जब यह प्रश्न उठा था . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। इस पर कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको सूचना दिया था . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, इस सरकार के वादे पूरे नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शम्भूनाथ जी यह प्रश्न इससे नहीं उठता है।] इसकी अनुमति नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

एक महत्वपूर्ण सवाल है। प्रदेश के 55 सैक ा पिछड़े लोगों ...

श्री अध्यक्ष—

जितने प्रश्नों को मैं उचित समझता था उनको मैंने दे दिया। आप बैठें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, आप मुझको इजाजत नहीं देते हैं, तो इसके विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी सदन त्याग कर चले गए)

श्री अध्यक्ष—

मैं चेतावनी देता हूं माननीय शम्भूनाथ चौधरी, इस प्रकार से, यह सदन का अपमान है और भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। वह इस तरह का आचरण न करें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास 2 प्रस्ताव आए थे। एक श्री ऊदल और श्री राम सजीवन का दिनांक 10 जुलाई, 1977 को गोरखपुर जिले के थाना महराजगंज के ग्राम रामपुर में नत्थे व लाले हरिजनों के खेतों को विशन यादव द्वारा पड़ोस के गुन्डों तथा महराजगंज थाने की पुलिस को लेकर के ट्रैक्टर से जुतवा देने व पुलिस द्वारा हरिजनों पर लाठी चार्ज करने के सम्बन्ध में है।

इस विषय को माननीय गनेशी लाल चौधरी ने सदन के अन्दर अभी आज पेश किया था और अभी गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। इसलिए इसकी अनुमति नहीं है। दूसरा समय के अन्दर नहीं आया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक मिनट दे दीजिए, ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, ला एन्ड आर्डर की हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, इसकी अनुमति मैंने नहीं दी है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, ला-एन्ड-आर्डर की हालत बहुत खराब है। इस पर चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। इस वजह से मैं श्रीमन्, 5 मिनट के लिए इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ऊदल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विवाद शुरू होगा। कल डाक्टर भगवत दयाल बोल रहे थे। कृपया डाक्टर भगवत दयाल अपना भाषण जारी करें।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष जी, मेरा एक नियम 52 में था।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। डाक्टर भगवत दयाल कल अपना भाषण समाप्त कर चुके थे। अब माननीय श्री कन्हैया लाल बोलेंगे।

*श्री कन्हैयालाल गुप्त (जिला मथुरा)—

मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे अभिभाषण के सन्दर्भ में कुछ निवेदन करने का अवसर दिया। श्रीमन्, 13 तारीख को इस सदन के समक्ष जब आपातस्थिति के सम्बन्ध में जांच के लिए एक प्रश्न एक माननीय सदस्य द्वारा किया गया था और माननीय मुख्य मन्त्री से यह दरख्वास्त की गयी थी कि इस प्रश्न की विशालता को देखते हुए, इस प्रदेश में जो ज्यादतियां हुई हैं, उनकी जांच करने के लिये अगर एक कमीशन न हो सके तो इस माननीय सदन के सदस्यों की एक कमेटी ही नियुक्त करें। मान्यवर, उस समय जो भी कारण रहे हों, वह मांग माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकी थी। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस माननीय सदन के सदस्यों की इस प्रार्थना पर पुन : विचार करने की कृपा करें। श्रीमन्, यहां पर यह सूचित किया गया था कि 'शाह कमीशन' जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त हुआ है, उसके द्वारा इस प्रदेश की जनता के ऊपर जो आपात्काालीन स्थिति में अत्याचार और बरबरता बरती गयी है, उसका मूल्यांकन इस कमीशन के द्वारा होगा। मेरा निवेदन है कि मुझे इस बात का भय है कि शाह कमीशन के द्वारा यह भूमिका जिस मात्रा में हम उसे आवश्यक समझते हैं, उस मात्रा में नहीं निभाई जा सकेगी।

एक बात जो शाह कमीशन की विज्ञप्ति से प्रतीत हुई जिससे मुझे ठेस लगी है वह यह है कि शाह कमीशन ने अनिवार्य किया है कि जो प्रतिवेदन उसके सामने भेजे जायं, वह अग्रंजी में हों। यदि हिन्दी में हों तो भी उनका अनुवाद अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाय। आप जानते हैं कि अनेक लोग बहुत ही निर्धन और छोटे लोग हैं जो कि अपनी भाषा भी कहना नहीं जानते हैं। इसलिए हिन्दी में यदि वह प्रतिवेदन देते हैं तो शाह कमीशन की शर्त की पूर्ति नहीं हो पाएगी। मैं मान्यवर, आपके द्वारा इस प्रदेश की भावना को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि शाह कमीशन हिन्दी में प्रतिवेदन को स्वीकार करे।

मान्यवर, दूसरी बात इस परिपेक्ष में समय कमीशन को बढ़ाना चाहिए जिससे हिन्दी में जो प्रतिवेदन देना चाहें वह उसे स्वीकार कर सके। इन शब्दों के साथ श्रीमन् विशेष वर्ग के प्रति इस आपात्काल के समय में जो बरबरता बरती गयी उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

---

†22 जुलाई 1977 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी जानते हैं कि सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से ऐसी बरबरता बरती गयी है। मान्यवर, तीसरे जिला मथुरा में आपात्काल में कांग्रेस के शासन द्वारा बहुत बड़े अत्याचार किए गए हैं। उन अत्याचारों के लिए कांग्रेस ने ऐसे वर्ग को चुना जिसके प्रति समाज में सदैव आदर की भावना रही है। मेरा अभिप्राय शिक्षक वर्ग से है। समय की कमी से मैं विस्तार में नहीं कह पाऊंगा इसलिए संक्षेप में कह रहा हूं। वहां अध्यापकों और शिक्षा संस्थाओं पर बड़े-बड़े अत्याचार किए गए हैं। संक्षेम में नसबन्दी के प्रोग्राम को छात्र और छात्राओं पर लागू करने के लिए जिन प्राधानाचार्यों और जिन अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं ने तनिक भी आनाकानी की उनको मीसा और डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया गया। शिक्षा संस्थायें बन्द कर दी गयीं। छात्रों के ऊपर कोड़े बरसाए गए। एक छात्र को पेड़ पर टांग कर कोड़े लगाए गए। यह अत्याचार छात्रों और छात्राओं तथा अविवाहित अध्यापिकाओं के ऊपर किए गए। उनको निलम्बित किया गया तथा 6-6 महीने तक वेतन नहीं दिया गया। यदि उन्होंने यहां से चेष्टा करके शिक्षा सचिव द्वारा वायरलेस भिजवाया तो भी वहां के कप्तान ने उन आर्डरों की परवाह नहीं की और अधिकारियों द्वारा 6-6 महीने तक वेतन नहीं दिया गया। यह सब अत्याचार मथुरा जिले में हुए हैं। इसलिए अफसोस की बात है कि यह सब शिक्षा विभाग ने होने दिया।

मान्यवर, इसके अलावा युनिवर्सिटीज और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के जो नियम हैं उनको बदल दिया गया, उनके स्टेट्यूट्स और रिगुलेशन को बदल दिया गया। सभी जानते हैं कि युनिवर्सिटीज की स्वायत्तता पर कोई आंच आने देना ठीक नहीं होता है। लेकिन स्टेट्यूट्स और रिगुलेशन को बदलकर उसमें नसबन्दी की संख्या की पूर्ति करना अनिवार्य कर दिया गया। अध्यापकों के वेतन और वेतन वृद्धि को रोक दिया गया। मान्यवर, ऐसा उदाहरण विश्व के अन्दर कहीं नहीं मिलेगा कि जहां अध्यापकों और अध्यापिकाओं की अवमानता तथा उन पर ऐसे अत्याचार किए गए हैं। स्टेट्यूट्स मौजूद हैं और शिक्षा नियमावली में संशोधन आए थे इसलिए उन अत्याचारों को अब समाप्त होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हुए। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह शिक्षकों के प्रति आपात्काल में जो अत्याचार हुए, हैं उनको समाप्त करने की कृपा करे।

श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि 15-20 महीने तक इन निरीह अध्यापकों को बिना किसी कसूर के मीसा और डी0आई0आर0 के अन्दर बन्द रखा गया और आज तक उनको वेतन नहीं दिया गया। यद्यपि शासन ने बहुत से आदेश निर्गत किए हैं, जैसा कि उनका कहना है, लेकिन मैं जानता हूं कि एसे अध्यापक हैं जिनको 20 महीने जेल में रखा गया और आज तक वेतन नहीं मिला।

एक दूसरा उदाहरण और है। हमारे यहां कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक बड़ा भारी अत्याचार किया, और वह यह कि जो सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर था उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया और उनके कागजात भी उठाकर फेंक दिए, लेकिन आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जनता सरकार होने के बाद भी वह दफ्तर सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को वापस नहीं हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

तीसरी बात यह ह कि मैं नहीं जानता कि आपात्काल के दौरान जो ज्यादतियां अधिकारियों ने की थीं, उनके प्रति हमारी यह सरकार कितनी जागरूक है क्योंकि मैं आज देखता हूं कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार थे उनको आज प्रोन्नति मिल रही है। जिन अधिकारियों के ऐसे काले कारनामे रहे उनको प्रोन्नति दी जाय तो जनता में विश्वास की भावना नहीं होती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उनके प्रति सतर्कता और जागरूकता का परिचय दे जिससे कि जनता में विश्वास उत्पन्न हो सके। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मैं पहली बार बोल रहा हूं इसलिए मूझे थोड़ा समय और दिया जाय। आपात्काली : स्थिति में एक बड़ी भारी ज्यादती हुई जिससे माननीय सदस्य सम्भवत : परिचित न होंगे। हमारे धर्म संस्थाओं के प्रति चाहे वे विदेशी रहे हों उनमें भी आदर की भावना रही। मेरा मतलब मथुरा, वृन्दावन से है। लेकिन आपातकाल में कांग्रेस शासन ने एक अजीब काम यह किया कि एक अध्यादेश द्वारा धर्म संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जो कि इसके पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जो उनके रीति रिवाज थे उनके अन्दर हस्तक्षेप करके उनको विनष्ट करने की चेष्टा की गयी। सबसे दुखद बात इस परिप्रेक्ष्य में यह रही कि राज्यपाल महोदय ने एक दुखद भूमिका निभायी। मैं जानता हूं कि इस सदन में माननीय राज्यपाल का नाम अत्यन्त आदर और सावधानी से लिया जाना चाहिए, लेकिन जहां उच्च पदाधिकारी के प्रति हमारे सम्मान की भावना है, वहीं उनका उत्तरदायित्व हो जाता है कि उनके व्यवहार से किसी को उनकी तरफ इशारा करने की आवश्यकता न पड़े।

श्री अध्यक्ष—

जैसा आपने स्वयं कहा, कृपया इसकी चर्चा न कीजिए।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—

श्रीमन्, मैं चर्चा नहीं करना चाहता था। राज्यपाल जी के प्रति अत्यधिक सम्मान की भावना रखता हूं और रखना चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे आराध्य देव को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है तो दुख होता है, इसलिए निवेदन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस भावना से मेरे निवेदन को देखने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—

अभी समाप्त कर रहा हूं। निवेदन यह है कि जो अध्यादेश जारी किया गया था उसके बारे में कार्यवाही यद्यपि बहुत आवश्यक प्रतीत होती है लेकिन उसकी तलवार आज भी हमारे धर्म संस्थानों पर लटकी हुई है। मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि उस अध्यादेश को पूर्णतया समाप्त करने की कृपा करें। वह अध्यादेश बहुत ही दुखद और अवांछनीय अध्यादेश है जिसके द्वारा धर्म संस्थानों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचने की सम्भावना है, इसलिए उसे शासन जितनी जल्दी समाप्त कर सके, उतना अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रतिपक्ष को पिछले चुनावों को क्रान्ति मानने में एतराज है। पिछला चुनाव मात्र सत्ता का परिवर्तन नहीं, मूल्यों का परिवर्तन था। क्रान्ति समाज के मूल्यों में गुणात्मक परिवर्तन कर के आती है और प्रतिपक्ष को इसे मानना चाहिए। संविधान और जनतन्त्र की कसम खाने वाले जब उसको अपने हाथ में ले कर उसकी हत्या कर रहे थे तो चुनाव के माध्यम से हिन्दुस्तान की अवाम ने बिना खून बहाए उनको परिवर्तित कर दिया। जय प्रकाश नारायण ने इसे क्रान्ति माना, लेकिन शायद प्रतिपक्ष उसे क्रान्ति तब मानता जब मुल्क की जनता संगीनों और बन्दूकों के बल पर कांग्रेसी सरकार के निशानों पर चलती। प्रतिपक्ष के नेता ने संविधान के माध्यम से अपने खूनी पंजे को छिपाने का प्रयास किया है। संशोधनों के खण्ड 5 के जरिए माननीय नेता, विरोधी दल ने युवा और छात्रों के प्रति बड़ा दर्द दिखाया। मान्यवर, युवा और छात्र की आज बड़ी विकट समस्या है। जाहिर है कि बेरोजगारी का सीधा रिश्ता उद्योग की नीति से है। जब उद्योग बढ़ता है, सामाजिक उपभोग के लिए होता है तो रोजगार के मौके बढ़ते हैं और जब उद्योग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो बेरोजगारी बढ़ती है। इन संशोधनों के करने वालों ने इन तीस सालों में उद्योग में कुछ नहीं किया जिसके कारण आज देश में बेरोजगारी की एक लम्बी कतार खड़ी हो गई।

संशोधनों में हमारे प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने हरिजनों, निर्बल और पिछड़े वर्ग पर होने वाले अत्याचार के प्रति दुख प्रकट किया है। मान्यवर, आज भी गोरखपुर जिले में नसबन्दी के दौरान हुई एक निर्बल की मृत्यु को सुनकर, मुजफ्फरनगर में गोलीकाण्ड को सुनकर और सन् 1972 में मेरठ में लता अपहरण काण्ड को सुनकर क्या आज भी दुख नहीं होता? यह सब पिछली सरकार के माथे पर कलंक है। हमारी सरकार ने, अभी हमारी केन्द्रीय सरकार ने, वहां के गृह मन्त्री ने भाषण दिया है जो कल के अखबारों में छपा है और इस बात की चेतावनी दी है कि हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जायगा। मैं प्रतिपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों आपने राज्य किया, कभी माननीय कमलापति त्रिपाठी मुख्य मन्त्री बने, कभी बहुगुणा जी बने और कभी नारायण दत्त तिवारी जी बने, लेकिन हमारी जनता पार्टी ने शुरू में ही पिछड़ी जाति के, पिछड़े जिले के एक किसान परिवार के आदमी को मुख्य मन्त्री बना कर एक मिसाल कायम की है .....

(तालियां)

संशोधन के एक खण्ड में विरोधी पक्ष के नेता ने पूर्वी बुन्देलखण्ड तथा पहाड़ी जिलों पर आंसू बहाए हैं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुन कर आया हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी गौरवमय है। 1857 की गदर हो या 1942 का आन्दोलन हो अथवा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम हों अथवा चीन और पाकिस्तान का युद्ध हो, आप पायेंगे कि चित्तू पाण्डेय, कुंवर सिंह, बन्धू सिंह तथा अब्दुल हमीद जैसे वीरों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर ही जन्म लिया और मातृ-भूमि के लिए कार्य किया। 30 साल तक उत्तर प्रदेश में हुकूमत करने वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रवीन्द सिंह]

क्या किया ? जिस इलाके से मैं चुन कर आया हूं वहां सावन, भादों के महीने में लोग आम की गुठली के आटे की रोटी खाकर जीवन गुजारा करते हैं। तुलसी की पत्ती का काढ़ा बना कर बच्चों की बीमारी में दवा के रूप में देते हैं। गांवों से सड़क तक आने में गर्भवती औरतों के गर्भपात हो जाते हैं। यह कलक 30 साल की कांग्रेसी हुकूमत के माथे पर है। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आबादी का घनत्व भी बहुत अधिक है। पूरे मुल्क में एक वर्ग मील पर आबादी का घनत्व जहां 250 व्यक्ति हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह घनत्व 400 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह घनत्व 1 हजार से 1,200 व्यक्ति है। आबादी के घनत्व के दबाव से उत्पन्न गरीबी से छुटकारा पूर्वी उत्तर प्रदेश तभी पा सकता है जब वहां उद्योगों का जाल बिछा दिया जाय।

दूसरी समस्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की है। नेपाल से निकलने वाली सारी नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के दौरान 40 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए की फसल बरबाद करती हैं। बाढ़ का समुचित इन्तजाम किया जाय। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का उद्योग है उनकी स्थिति जर्जर है। मैं मांग करता हूं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। मैं सदन के माध्यम से इस बात पर अफसोस जाहिर करता हूं कि जिस छात्र शक्ति ने, नौजवानों की शक्ति ने इस स्थिति को लाने में एक नया अयाम मुल्क को दिया, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में छात्र यूनियनों को बहाल करने की कोई चर्चा नहीं है, जिनको नारायण दत्त जी की सरकार ने खत्म कर दिया था। छात्र यूनियनों को बहाल किया जाय, छात्रों पर चलने वाले मुकदमों को वापस लिया जाय। पी0ए0सी0 विद्रोह के तथाकथित काण्ड के मुकदमें वापस लिए जायं।

मान्यवर, एक आकांक्षा लेकर पहली बार, इस सदन में बोल रहा हूं। मान्यवर, लगातार पिछले 30 साल तक पिछली कांग्रेसी सरकार ने आश्वासनों के बल पर मुरझाए हुए मुल्क को हरा बनाने का प्रयास किया लेकिन वह इसे हरा नहीं कर सकी। आज जनता पार्टी से जनता की यह आकांक्षाएं हैं कि वह मुरझाए हुए फूलों को हरा करे। अगर उनकी यह आकांक्षा कहीं टूट गयी तो अन्जाम बुरा होगा। जो आज विपक्ष में बैठे हैं वह पहले इस पक्ष में बैठते थे और उन्होंने अपने किए का फल पाया। जनता को भुलाया तो जनता ने उनको उसका परिणाम दिया। इधर बैठने वालों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उनको यह याद रखना है कि एक नया देश व एक नया समाज हमको बनाना है। इसलिए आप जनता को न भूलें क्योंकि जिन हाथों में शक्ति भरी है राजतिलक करने की, उन हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मैं, श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने पढ़ा है। 1974 तक मुझे इस सदन में रहने का अवसर मिला था और राज्यपाल के अभिभाषणों को देखा था। इसमें और उसमें अभिभाषणों में बहुत अन्तर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, कि हमारे विरोधी दल के नेता ने तमाम संशोधन पेश कर उदारता का परिचय दिखाया। 30 साल तक जुल्म और ज्यादती करने के बाद इस प्रकार की बात करते हैं वह किसी से छिपी हुई नहीं है।

मैं आपका ध्यान बस्ती जिले की कुछ समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं ऐसे जिले से चुनकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। घाघरा नदी जो गोण्डा जिले से लेकर गोरखपुर की सीमा तक बहती है और करीब 96 किलोमीटर कटाव उससे हुआ है और अभी भी कटान लगी हुई है। लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। सरकार को अनेकों बार पत्र लिखे गए उसके बावजूद एक मामूली योजना ठोकर लगाने की बनी थी, उस योजना में भी सरकारी अधिकारी 4 लाख रु0 सन् 1973 में खा गए। सन् 1973 में एक मुकदमा कोतवाली में लिखा गया था उन अधिकारियों के बारे में और हमारी यह कांग्रेस की इमानदार सरकार कुर्सियों पर बैठी थी, उसको उन्होंने छिपाने की कोशिश की। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। वहां पर असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने फर्जी वाउचर बनाए और पत्थर आज भी पड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लकड़ मण्डी से लेकर दुवौलिया बाजार तक ठोकर बनायें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपात्-स्थिति् में जो सरकारी अधिकारियों ने जुल्म किए वे आज भी वहीं पर बने हुए हैं और आज वह अधिकारी मखौल के रूप में हमारे मित्रों से कहते हैं कि यह सरकार चलने वाली नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार अधिकारियों की सरकार नहीं है यह जनता की सरकार है और यह चलेगी। आपके जो पुलिस के अधिकारी हैं मैं उनकी बात बताता हूं। गौरडीह में एक काण्ड हो गया और डी0आई0जी0 वहां गए उनके जाने के बाद पुलिस और पी0 ए0 सी0 को भेजा गया। उन्होंने वहां पर औरतों के साथ बलात्कार किया और लोगों की गिरफ्तारियां की और लोगों को लूट ले गए। उस समय हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। हमारे मित्र लोग आज कहते हैं, लेकिन उस वक्त कहां गए थे जब न्याय और आजादी को छीना गया, लोगों पर जुल्म हो रहे थे, तिवारी जी पैरोल देना भी पसन्द नहीं करते थे। मैं कहना चाहता हूं कि लोग जेलों में मर गए, उनके परिवारों को उनको देखने तक नहीं दिया गया।

मान्यवर, मैं राज्य विद्युत् परिषद् के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से सारे प्रदेश में बिजली फैलाने का काम होता है। उसके जब पुनर्गठन करने की बात आई तो वहां के तमाम इन्जीनियर और असिस्टेंट इन्जीनियर दारुलशफा रायल होटल में घूम रहे हैं। [× × ×]

श्री अध्यक्ष—

माननीय पाण्डेय जी, जो अधिकारी इस सदन में उपस्थित नहीं हो सकता है, आप कृपया उसका नाम न लें। प्रोसीडिंग में यह नहीं लिखा जायगा। आप कृपया किसी अधिकारी का नाम न लें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

राज्य विद्युत् परिषद् के चेयरमैन की बात कह रहा हूं। ओबरा–कानपुर लाइन और ओबरा–सुल्तानपुर लाइन पर महंगे रेट पर सामान खरीद कर लगाया गया और इससे करोड़ों

नोट—[×××]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

रुपए का विद्युत परिषद् को नुक्सान हुआ है। और गलत लोगों को ठेका देकर काम कराया गया है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, दो मिनट और दे दें। आपके यहां मुख्य सचिव जी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन संजय गांधी की सिफारिश पर नारायण दत्त तिवारी जी ने उनको यहां पर लाकर बिठाया है। जब वह गोवा में मुख्य सचिव के पद पर थे, तो उनके खिलाफ जांच हो रही थी, और उनको उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव पद पर लाया गया, क्योंकि संजय गांधी के ससुर उनको यहां नियुक्त कराना चाहते थे। ऐसे-ऐसे बहुत से यहां उच्चाधिकारी हैं जिनसे जनता पार्टी की प्रतिष्ठा घट रही है, ऐसे लोगों को हटाकर उनके स्थान पर आपको अच्छे लोगों को लाकर रखना चाहिए।

मैं गन्ना विभाग की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह ऐसा विभाग है, जो प्रदेश में 41 हजार गांवों में फैला हुआ है और इससे 22 लाख परिवारों का पालन-पोषण होता है। श्री सक्सेना जी जो उसके सचिव हैं, उन्होंने इस विभाग को राजनीति का अखाड़ा बना रखा हैं। उसके कर्मचारियों को भेज-भेज कर कांग्रेस का प्रचार कार्य कराया जाता था और कांग्रेस पार्टी के लिए धन की व्यवस्था कराई जाती थी और इसके लिए संस्था और फेडरेशन से उन्हें टी० ए० और डी० ए० दिलवाते थे। यदि जनता पार्टी के लोगों ने भी यही रवैया जारी रखा, वर्तमान व्यवस्था को नहीं बदला, तो यह उचित नहीं होगा। जिनके भी खिलाफ जांच पहले चल रही थी या चल रही है, वह पूरी होनी चाहिए और जांच के फलस्वरूप दोषी अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

आप जानते हैं, मैं नया आदमी हूं.....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, अब बैठें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैं बस्ती जिला परिषद् की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां लाखों रुपए का गबन है। उस परिषद् को भंग कर उसकी ठीक से जांच करानी चाहिए। बाढ़ विभाग में ऐसे इन्जीनियर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए 50 लाख रुपया जमा कर चुनाव लड़ने के लिए दिया था, इससे उन्होंने बाढ़ विभाग के धन का भारी दुरुपयोग किया है। आप बस्ती जिले की समस्याओं का अध्ययन करें और उन्हें दूर करें। थोड़े सुझाव आपको देना चाहता हूं, वन विभाग की बहुत सी जमीनें, जो किसानों के जोतने वाली हैं और पानी में पड़ी हुई हैं और जिनमें वे गर्मी में बोरोधान की खेती करते हैं, वे वन विभाग के लायक नहीं हैं, इसलिए उन्हें गांव समाज को वापस कर देना चाहिए। बस्ती जिला नेपाल की सीमा पर बसा हुआ है, वहां पर तस्कर व्यापार बहुत होता है, वहां पर तमाम चोरी, डकैती और कत्ल हो रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग जनता पार्टी की प्रतिष्ठा घटाने के लिए ये सारे

षड़यन्त्र कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सामने कुर्सियों पर बैठे लोगों द्वारा, तिवारी जी जो विरोधी दल के नेता हैं, उनके यहां सरकार के खिलाफ षड़यन्त्र करने के लिए अधिकारियों की मीटिंगें होती हैं। तो मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सतर्क रह कर कार्यवाही की जाय और उनके खिलाफ जांच कराके उन्हें समुचित दण्ड दिलाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन और स्वागत करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमारी बातों को कार्यान्वित किया जाय।

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

आपने अभी जो कहा है, उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न ह।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिए।

श्री राजपति मिश्र—

आपने कहा कि इमरजेंसी में जिन अधिकारियों ने अत्याचार किया है, उनका नाम नहीं लिया जा सकता है, तो क्या सम्भव है कि मौजूदा मंत्रि मन्डल उसके लिए जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, प्रत्येक विभाग का उत्तरदायित्व सदन के अन्दर मन्त्री का है। मन्त्री ही जिम्मेदार हैं। कोई अधिकारी जो यहां पर अपना डिफेंस नहीं कर सकता, उसका नाम यहां पर नहीं लिया जाना चाहिए।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, यह जनता सरकार कांग्रेसमैनों की कमजोरी के कारण, इसको जन्म हुआ। सब जानते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में ऐसे लोग जो चापलूस थे, खुशामदी थे, जमघट हो गया कि हमारे दिल्ली और लखनऊ के शासक वास्तविकता को न जान सके।

श्री मधुकर दिघे—

सब उसमें ऐसे ही थे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

और जो नेहरू परिवार के हमेशा हितैषी रहते थे, उनको दिल्ली से हटाकर दूसरी जगहों पर भेजा गया। जो वास्तविक कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के अन्दर, ईमानदार कार्यकर्ता थे, उनके विचारों को और उनको कोई प्रश्रय नहीं दिया गया जिससे वे अन्यमनस्क हुए और कांग्रेस के अन्दर एक इस तरह की भावना पैदा हो गई कि अब अच्छे, ईमानदार वर्कर्स, वास्तविक कार्यकर्ताओं, जो जिलों और क्षेत्रों में काम करते हैं, की बात की कोई इज्जत नहीं होती। इस कारण कांग्रेस की हार हुई। जनता पार्टी की जड़ें ऐसी नहीं थीं, न इनका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

वजूद था, जिसके कारण इनकी जीत हुई। इनकी जीत केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की मनमानी कार्यवाहियों के कारण और खुशामदी और चापलूसों ने हमारे शासकों को गुमराह किया और वास्तविकता से दूर रखा, इस कारण इस पार्टी की जीत हुई। इस पार्टी का जन्म चार पांच महीने पहले और इस प्रदेश में एक मास पहले हुआ। वह जनता हवा नहीं थी लोक सभा वाली। यह चुनाव जो हुआ इसमें जनता रद्दो-बदल चाहती थी और यह चाहती थी कि अब कुछ ऐसे लोग कुर्सियों पर आयें जो शासन के सूत्र को सम्भाल कर प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, अपराधों और भ्रष्टाचार को दूर कर सकें। इस कारण यहां पर जनता पार्टी की हुकूमत इतने बहुमत से आ सकी। लेकिन इनकी शुरूआत अच्छी नहीं हुई।

आज आप देखें। 1952 से पांच बार चुन कर असेम्बली में आया हूं। जितनी भीड़ काऊंसिल हाउस में इस समय होती है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। मंत्रियों के यहां जायं, इतना तांता लगा रहता है, मन्त्री अपनी पत्रावली तक नहीं देख सकते तो काम किस समय करेंगे ? और उसमें भी कोई गरीब आदमी नहीं आता। 90 फीसदी ऐसे आदमियों की तादाद होती है जो किसी का ट्रांस्फर करवाने या रुकवाने के चक्कर में आते हैं। मैं चाहता हूं कि यह जो जनता सरकार कायम हुई है कुछ जनता की भलाई के कार्य करे, इसकी साख बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस वाले इस कारण गए कि वह निकम्मे थे, वह ऐसे काम नहीं कर पाए, जिनसे जनता का ज्यादा लाभ होता। इसलिए बदनाम हुए। लेकिन इनकी शुरुआत अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं कि खिचड़ी सरकार है। जितने इसमें घटक हैं वह आपस में मिलजुल कर काम नहीं करते। यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा नुक्सान नसबन्दी के कारण हुआ है। मान्यवर, हमारे नेतागण इधर के और उधर के, सरकार की नीतियों की काफी चर्चा कर चुके हैं।

अब मैं सार्वजनिक महत्व के कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नगरों के सुन्दरीकरण के नाम पर नगरों के आस-पास जो गांव थे, उनको महापालिकाओं में सम्मिलित किया गया था, उनको उजाड़ा गया लेकिन शहर के कुछ हिस्से का सुन्दरीकरण किया गया, जो इधर-उधर की बस्तियां हैं, सड़कें हैं, वह कितनी खराब हैं जिसके कारण वहां के रहने वालों का जीवन बहुत ही खतरे में है। हमें मालूम है कि यहा के आस-पास के जो 40 गांव हैं जिनको देहात की संज्ञा दी जाती थी लेकिन जिनको महापालिका में सम्मिलित किया गया है, उनको नष्ट करने की योजना है। इसमें यह प्राविधान रखा है कि जिस आदमी का मकान लिया जायगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। गरीब आदमी जिनके पास पैसा नहीं है, वह उस जमीन को नहीं खरीद पावेंगे और इस तरह से वे उजाड़े जावेंगे। यह काम पहले से चला आ रहा है। जनता पार्टी इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उससे अपेक्षा की जाती है कि वह जनता के हित की चीजों को करेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मुझे अधिक समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट अभी मिलेंगे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

प्रगतिशील विधायक के नेता की हैसियत से खड़ा हुआ हूं। इसलिए अधिक समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

कृपया 5 मिनट में समाप्त करें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन बस्तियों को उजाड़ने से बचावें। वहां का लगान भी ड्योढ़ा कर दिया गया है। 700 रु0 बीघा तक लगान कर दिया गया है। जनता सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। हमारे प्रदेश में जनता सरकार जब से आई है, हरिजनों के ऊपर नाना प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। जिन लोगों ने जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया वे उनकी मेड़ों पर नहीं जा सकते हैं, जो भूमि उनको एलाट की गयी थी उस पर आतंकवादी लोग कब्जा कर रहे हैं। जो आवास के लिए भूमि छोड़ी गयी थी, जिस पर गरीबों ने छप्पर डाले थे उनको हटाया जा रहा है। यह सब अत्याचार हो रहा है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हमारे प्रधान मन्त्री मोरार जी देसाई ने हरिजनों के बारे में एक परिपत्र भी भेजा है। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस सरकार को जरा भी कलक नहीं है। हरिजनों की समस्या इतनी गम्भीर है कि घड़ियाली आंसू बहाने से दूर नहीं होगी। जमीनें हरिजनों की छीनी जा रही हैं। 107 के मुकदमें चलाए जाते हैं। यह चीज हर जगह पर है, चाहे खीरी हो या बस्ती हो।

मान्यवर, वर्ष 1962 के ऐक्ट के तहत में सीलिंग से निकली भूमि पर कहीं-कहीं कब्जा नहीं मिल पाया है। मैं अपने क्षेत्र के कुछ गांवों का उदाहरण देता हूं कि जहां पर विधान सभा के जो सदस्य रह चुके हैं, उन लोगों ने सीलिंग से बची जमीन ली और फिर बेच डाला आज तक भी उनका कब्जा है। आप जैतपुरवा, देवी पुरिया और इसापुर आदि ग्रामों में तहकीकात करा सकते हैं। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि अगर वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे तो इससे हरिजनों का बहुत कल्याण हो सकेगा। आज वह जमीन जिनके लिए छोड़ी गई थी, उन तक नहीं पहुंच पाई है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

अन्त में मैं आश्वासन देता हूं कि जनता सरकार गरीबी को दूर करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिये, पैदावार को बढ़ाने के लिए, हरिजनों के ऊपर अत्याचारों को समाप्त करने के लिए जो भी कदम उठाएगी, हम उसको पूरा समर्थन देंगे और उनको राय भी देंगे कि वे जनता का काम करें जिससे वे अधिक लोकप्रिय हों। हमारा यह इरादा नहीं है कि हम उनकी गलत आलोचना करें। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, छपरौली क्षेत्र के बारे में विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की बातें कही हैं। मैं इस भाषण में छपरौली क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से नहीं कहना चाहता था, लेकिन विपक्ष के सदस्यों की आलोचना को दृष्टि में रखते हुए मैं चन्द शब्दों में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि छपरौली में हरिजनों या अन्य लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है और वहां से एक ही जाति और विशेष जाति का नाम भी लिया है, द्वारा वोट नहीं डालने दिया जाता है।

मान्यवर, मुझे छपरौली क्षेत्र से चुने जाने का गर्व प्राप्त है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसका एक विशेष स्थान रहा है। छपरौली ने 30 वर्ष से इस देश के माननीय नेता की इस सदन में चुनकर भेजा है। चूंकि केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार है, विधान सभा के इस चुनाव में आप कह सकते हैं कि इसीलिए इतने बहुमत से जीता था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कांग्रेसी प्रत्याशी को मैंने 56 1/2 हजार वोटों से पराजित किया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप शान्ति से सुनिए।

श्री नरेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि चूंकि यह चुनाव केन्द्रीय सरकार के शासनकाल में हुआ है जहां पर जनता पार्टी की सरकार है इसलिए माननीय सदस्य कहना चाहेंगे कि इसीलिए इतने बहुमत से आप जीते हैं। मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि 1974 का विधान सभा का चुनाव उस समय हुआ था जबकि केन्द्र में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। सभी लोग जानते हैं कि छपरौली में कांग्रेस की ओर से बन्सीलाल बरौत में डेरा डाले थे और उन्होंने अपने काले धन की थैली खोल दी थी कि किसी प्रकार से चौधरी साहब को पराजित किया जाय। छपरौली ने एक प्रकार से छावनी का रूप ले लिया था। मैंने उस चुनाव में काम किया था, मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि वहां यह हालत थी कि जहां देखो सी0 आर0 पी0 और पी0 ए0 सी0 के जवान उपस्थित थे। 1974 के उस चुनाव में चौधरी साहब ने कांग्रेस के कैण्डीडेट को 52 हजार वोटों से पराजित किया। मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां मार्च–अप्रैल 1977 के चुनाव में–वह भी एक तरह का इमरजेंसी में ही चुनाव हुआ था–केन्द्र के अन्दर कांग्रेस सरकार थी, लेकिन छपरौली में चौधरी साहब ने 55 हजार वोटों से कांग्रेस को पराजित किया था। यह सरासर झूठा प्रचार है कि जबरदस्ती वोट डलवाए गए। वहां किसी वर्ग विशेष के साथ अनेक प्रकार के दबाव डालने का खूब प्रचार किया गया है और धार्मिक भावनाओं को उभारने का उन्होंने एक तरीका अख्तियार किया है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि छपरौली क्षेत्र ही नहीं, बल्कि मेरी जानकारी में मेरठ जनपद से भी एक भी दरख्वास्त, ऐसी रिपोर्ट किसी थाने में या अधिकारी को नहीं दी गई है जिससे साबित हो कि किसी भी आदमी पर दबाव डालकर उसको वोट डालने से रोका गया हो

मान्यवर, उत्तर प्रदेश भगवान कृष्ण और भगवान राम की तपोभूमि रहा है और इस देश की जनता ने, और विशेष रूप से इस प्रदेश की जनता ने कभी किसी धनपति या पूंजीपति या शक्तिशाली के सामने सर नहीं झुकाया, बल्कि हमेशा यह लैण्ड आफ विजडम रहा और ईश्वर के सामने ही उनका सर झुका है। लेकिन हुआ यह है कि पिछली इमरजेंसी के दौरान में आपने देखा है कि विपक्ष के नेता की स्थिति इससे ज्यादा और कुछ नहीं थी कि वह हाईली पेड चपरासी बन कर रह गए थे और सेंटर के एक-दो नेता के जो आदेश थे उसके अनुकूल ही इन लोगों ने सारे काम किए। मैं यह बताना चाहता हूं कि दुर्भाग्य इस देश का यह रहा है कि वह हमारे नेता इस बीच में बने जिन्होंने प्रायः साधारण लोगों की चप्पलें उठायीं, या एक प्रकार से साधारण लोगों को ऐसी संज्ञा दी कि वह दुर्गा है और एक प्रकार से चण्डी देवी है, इत्यादि। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस स्थिति में .....

(व्यवधान)

बिलकुल सरासर झूठ है और मैं 425 सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि छपरौली में आएं और देखें कि वहां इस सम्बन्ध में सरासर झूठे आरोप लगाए गए हैं और बराबर लम्बे समय से लगाए जाते रहे हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

अध्यक्ष महोदय जानते हैं, इस बारे में।

श्री नरेन्द्र सिंह—

हमारी सरकार ने विकेन्द्रीयकरण की नीति को अपनाया है और उसे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में एक विशिष्ट स्थान दिया है। मेरे कई अन्य मित्रों ने भी इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हाई कोर्ट की बेंच और बोर्ड आफ रेवेन्यू का वहां पर जाना अत्यन्त आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ब्रिटिश टाइम्स में भी-सम्भवतः राजस्व मन्त्री नहीं हैं—वहां पर हमेशा बोर्ड का एक मेम्बर जाता रहा है और सारे मुकद्दमात वहां तय होते रहे हैं। पश्चिम के लोगों को इलाहाबाद आने में बहुत परेशानी होती है। मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना किसी भी पश्चिमी जिले में अत्यन्त आवश्यक है। इन शब्दों के साथ में मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं ....

श्री अध्यक्ष—

इसमें कृपया आभार न प्रदर्शित करें।

श्री राजपति मिश्र—

जो आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं प्रतापगढ़ की स्थिति के बारे में भी कुछ सदन को बता सकूं। धन्यवाद के प्रस्ताव का जहां तक प्रश्न है, वह तो देना ही चाहिए। उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है जो हमारी जनता पार्टी ने वायदा किया हो और वह न हो। लेकिन उसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में आपात-स्थिति में जो अत्याचार हुए हैं उनके सम्बन्ध में न तो कहीं कोई बात आई है और न ही चर्चा की गयी है। बेसारा

[श्री राजपति मिश्र—]

एक गांव है हमारे क्षेत्र में, भूतपूर्व अध्यक्ष जहां के रहने वाले हैं, संयोग से मैं वहीं से जीत कर आया हूं। वहां नसबन्दी के सिलसिले में गोली चलाई गयी और एक कुर्मी की हत्या कर दी गयी और उन्हीं में से 21 आदमियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सरकार ने अभी तक वह मुकदमा वापस नहीं लिया है। जिन्होंने गोली से मारा उन आदमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जांच के लिए यहां से वही कमिश्नर गए जिसने पहले वहां कहा था कि इस गांव में तो आग लगा देनी चाहिए और गांव वालों ने उसको खदेड़ दिया, वह भाग कर चला आया। हमारी सरकार उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

एक समस्या स्थानान्तरण की है। अभी सरकार ने शायद शपथ ली थी या नहीं, उसके पहले तमाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया। पशुपालन विभाग के 36 आदमियों की सूची मेरे पास है जिनका स्थानान्तरण कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि किसी भी विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो अपने जनपद में कार्यरत हैं जब तक उनकी शिकायत न हो, उनका स्थानान्तरण न किया जाय। सरकार सचिव का स्थानान्तरण करे जो छोटे-छोटे कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, जिनके लिए आप आदेश देते हैं और वे टिप्पणी लगा कर परेशान करते हैं। ऐसे लोगों का, आई० ए० एस० लोगों का स्थानान्तरण करिए तब तो वह जनहित में होगा।

प्रतापगढ़ बड़ा ही पिछड़ा हुआ जिला है। और सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य प्रतापगढ़ से हमेशा कोई न कोई मन्त्री रहा है केन्द्र का भी और प्रदेश का भी। दिनेश सिंह, अजीत प्रताप सिंह जैसे लोग। लेकिन संयोग की बात है, मन्त्री लोग कहते हैं कि जिस जिले का मन्त्री हो जाता है वह उस जिले को छोड़ देता है। उन्होंने छोड़ा ही नहीं, वरन् उन लोगों ने अपना हित किया है। चिनहट के सम्बन्ध में माननीय मोतीलाल जी देहलवी को पूरी जानकारी है। राजा अजीत प्रताप सिंह ने एक फार्म बना लिया है नौकर-चाकर, सब के नाम पर, लखनऊ से 6–7 किलोमीटर दूर है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मिश्र जी।

श्री राजपति मिश्र—

प्रतापगढ़ में पुलिस का अत्याचार इतना बढ़ गया है, माननीय विधायक, बाबू लाल जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, पुलिस ने साजिश कर के 15 हजार की चोरी इनके घर में करवा दी। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस का प्रशासन इतना ढीला हो गया है कि डकैतियों की बाढ़ आ गई है।

मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत मण्डी के लिए छोटे-छोटे किसानों की जमीनें ले ली गई हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर पुनः विचार करे। हमारे ही जिले के नहीं, बल्कि सुल्तानपुर जिले के लोग भी परेशान हैं। हमारे जिले में सैकड़ों अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। एक तरफ आप बेरोजगारी समाप्त करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो नौकरी में हैं उनकी नौकरी समाप्त कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। जो कांग्रेसियों ने किया वही यदि आप भी करेंगे तो उससे प्रदेश का कैसे भला होगा ? कैसे आप

समस्याओं को सुलझा सकेंगे ? 20 अध्यापक मेरे यहां के ऐसे हैं जिनकी नौकरी जा रही है। शिक्षा मन्त्री जी ने ध्यान नहीं दिया।

मेरे यहां कोई पक्की सड़क क्षेत्र में नहीं है। एक सड़क है पट्टी से ढकवा तक जो कागज पर तो पक्की है, किन्तु है नहीं। उसकी हालत यह है कि नई बस अगर चलती है तो 6 माह में ही उसका टायर बिलकुल बेकार हो जाता है। इसकी जांच करायें माननीय मन्त्री जी। कभी प्रतापगढ़ जिले की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

हमारे यहां पर जो शारदा नहर निकाली जा रही है उसमें छोटे-छोटे किसानों की जमीनें ली जा रही हैं। उसके लिए किसान अनशन करने जा रहे हैं। नहर अगर निकालना ही है तो सार्वजनिक भूमि में से निकाली जाय, छोटे किसानों की जमीन न ली जाए।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त। आप कृपया बैठें।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को इस "क्रान्ति" शब्द से, जो इस अभिभाषण में लिखा है भ्रांति हो सकती है। मैं नहीं जानता कि वे किस परिभाषा को मानने वाले हैं। कुछ इस तरह के लोग उन देशों में भी देखने में आए हैं जहां-जहां क्रान्तियां समय-समय पर हुई हैं। रूस में भी क्रान्ति हुई तो वहां पर भी कुछ लोगों ने उसको नकारा। उन्होंने कहा कि क्रान्ति नहीं हुई। हिन्दुस्तान के अन्दर से जब अंग्रेज चले गए तो भी कुछ लोगों ने कहा कि क्रान्ति नहीं हुई। उसको भी उन्होंने क्रान्ति की संज्ञा नहीं दी। जब याहिया खां के चंगुल से बंगला देश को मुक्ति मिली थी उसको भी कुछ लोगों ने क्रान्ति नहीं माना था। इसी तरह से इस 1977 में इन्दिरा गांधी के पतन को भी कुछ लोगों ने क्रान्ति नहीं माना। उनको क्रान्ति नजर नहीं आई। मान्यवर, 19 महीनों में तानाशाही का जो नंगा नृत्य हुआ उसमें 30 सालों की कुढ़न और कुंठा मिली हुई है। मान्यवर, मैं स्पष्ट राय का हूं कि 1977 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, केन्द्र में तथा प्रदेशों में जो सरकारें बदलीं, उसमें खाली सरकारों और कुछ चेहरों की ही अदला-बदली नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन भी उसमें हुआ है। मैं अभी इस क्रान्ति को अन्तिम क्रान्ति नहीं मानता हूं, अभी और आगे हमें क्रान्ति के पथ पर बढ़ना है। मैं पूछना चाहता हूं यहां पर माननीय सदस्य जो मौजूद हैं, उनके जरिए कि जिस समय इस देश में लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी, अपनी बात लोग कह नहीं पाते थे, अखबारों में सेंसर लगा दिया गया था, केवल एक परिवार की एक औरत की और उसके बेटे की हुकूमत चल रही थी। जो सूबे के मुख्य मन्त्री थे, उनको ये संजय, गांधारी और महाभारत याद आ रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, कहां हैं वह संजय, कहां हैं गांधारी ? मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान में 19 महीने में लोकतन्त्र की हत्या की गयी थी। लोकतन्त्र को मार दिया गया था। मैं इस देश की जनता को उसके बेमिसाल काम के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बिना खून बहाए, बिना कहीं कंकड़-पत्थर फेंके, जो सरकार की अदला-बदली हुई है, उससे दुनियां के अन्दर एक बात आई है कि वोट के जरिए बिना खून बहाए, बिना किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश---]

खून खराबी के भी सरकार को बदला जा सकता है। जनता अपने वोट के जरिए सरकार को बदल सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह छोटी और मामूली बात नहीं है, जब कि लोग हथियारों को लेकर मार-काट कर रहे हों।

मान्यवर, जयप्रकाश जी के आन्दोलन को कहा गया कि मार-पीट से भरा हुआ है। मैं चुनौती देना चाहता हूं, माननीय सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे आन्दोलन में एक भी खून का बून्द नहीं बहा। एक व्यक्ति की भी जान नहीं गयी। अध्यक्ष महोदय, इस 19 महीने में लोगों की जबान बन्द कर दी गई थी, लोगों को जेल के अन्दर ठूंस दिया गया था। महत्वपूर्ण समाचार पर भी सेंसर लगा दिया गया था। जिस समय लोकनायक, जय प्रकाश जी बीमार थे, उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनको एक खत लिखा, उनके इलाज के सम्बन्ध में एक मशीन के लिए। जय प्रकाश जी ने भी श्रीमती इन्दिरा गांधी को पत्र लिखा था। अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया था।

"Mr. Mehar Sing from Censor rang up to say : Shri Jaya Prakash Narayan is understood to have released a letter written by him to the Prime Minister regarding Prime Minister's contribution from the Prime Ministter's fund for the purchase of a dialysis for J. P.'s treatment. You are requested not to use the story."

मान्यवर, सेंसर लगा दिया गया। पूरी बात अखबारों में नहीं छपी।

Samachar would be issuing a story in this regard (J.P.'s letter). It has been cleared for publication.

समाचार को जो आदेश दिया गया था, वही वे समाचारों में और अखबारों में छापते थे। इतना ही नहीं 20 जुलाई, 1976 को सेंसर के दफ्तर से यह आदेश दिया गया :—

"No news about J.P. is to be published."
20th July, 1976.

जय प्रकाश जी के सम्बन्ध में कोई भी समाचार नहीं छापा जायगा। उत्तर प्रदेश में जो दिनांक 28 जुलाई, 1976 को परिवार नियोजन के सम्बन्ध में चल रही थी उसके बारे में लिखा है :—

"Kindly do not publish any adverse news or comments or editorials about family planning programme and education levy in U.P."
28-7-76

इसी के साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, जो लोक सभा के अन्दर जेल के सुधार के बारे में जो बहस हुई है, दिनांक 11 अगस्त, 1976 को यह कहा गया :—

"Nothing about Lok Sabha question relating to Jail reform should be published."
11-8-76

इतना ही नहीं, मान्यवर, एक सुन्दर नामक व्यक्ति की जो हत्या की गयी उसके बारे में दिनांक 29 सितम्बर, 1976 को यह कहा गया। मान्यवर, मिस्टर लक्ष्मी चन्द्र सेन्सर अफसर थे। उन्होंने कहा था —

Please do not publish any speculative or sensational story about Dacoit Sunder as it may hamper the process of investigation. On this subject you are requeseed to publish only what is officially stated."

तो इस तरह की बातें मैं अध्यक्ष महोदय, आपके सामने रख रहा हूं। मान्यवर, इस देश के लोगों की जबान पर ताला लगा दिया गया था कि कोई कुछ न कहे। जो मालूम हो उसको भी न कहो। इसलिए सेन्सर लगाया गया था। मान्यवर, मैं 2–3 मिनट और लूंगा अपनी बात कहने के लिए।

मान्यवर, इसी तरह से 14 अक्तूबर को सेन्सर अफसर ठुकराल साहब ने कहा है कि :

"Any story on a reported bomb scare in Lusaka where the Defence Minister, Mr. Bansilal, was staying should not be published."

मान्यवर, इससे साफ है कि किस तरह से अखबारों के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया था। मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि जिस राष्ट्रीय आन्दोलन को लेकर 1947 में आजादी मिली और उसके चलते जो आदमी की स्वतन्त्रता थी, मौलिक अधिकार थे वह सब खत्म कर दिए गए।

श्री अध्यक्ष––

आप अब समाप्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश––

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष––

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कृपा करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश––

मान्यवर, हमारे नेता स्वर्गीय डा0 लोहिया कहा करते थे, गंगोत्री को साफ करो, गंगा को साफ करने से काम नहीं चलेगा। गंगोत्री की सफाई होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री जो है अगर वह ईमानदार है तो प्रदेश के मन्त्री और प्रशासन से ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर मुख्य मन्त्री ही एक व्यक्ति विशेष का चाटुकार हो जाएगा, गुणगान करने वाला हो जायगा तो कैसे इस प्रदेश का भला हो सकेगा? मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जनता पार्टी की सरकार के मुख्य मन्त्री, निष्पक्षता, ईमानदारी के जीते-जागते प्रमाण हैं। इसको मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी माननीय राम नरेश यादव पर उंगली नहीं उठा सकता है उनकी ईमानदारी पर एक शब्द नहीं कह सकता है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

ऐसे ईमानदार किसान के बेटे इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं। उसके नेतृत्व में जो सरकार काम करेगी वह प्रदेश के लोगों का भला करेगी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––

मान्यवर, यह व्यवस्था रखी है कि तीन उधर के बोलने के बाद एक मौका इधर को मिलेगा।

श्री अध्यक्ष––

मैंने सूची देख ली है। सूची के अनुपात से अधिक मैंने उधर के लोगों को मौका दिया है।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस सदन में जो चर्चा हुई मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं ने बहुत सी समस्याएं रखीं। मैं समझता हूं कि पिछले 30 वर्षों में यदि कोई ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो यह सारी बातें पूरी हो सकती थीं। आज यह बातें उनको याद आ रही हैं जब हाथ से समय निकल गया है। मैं बधाई देना चाहता हूं जनता सरकार को कि उसने इन कार्यों को पूरा करने के लिए इस तरफ कदम बढ़ाए हैं। माननीय सदस्यों ने सारी बातों का चित्रण यहां पर किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मध्यकालीन इतिहासकार उतबी फरिश्ता और बर्नी होते तो जिस प्रकार की बर्बरता और जुल्म किए गए हैं, लोगों को जेल में डाला गया, मासूम लोगों की हत्या की गयी उसको देखकर उनकी लेखनी से शब्दों का निकलना बन्द हो जाता। मेरे जिले में सिकन्दराराऊ में नसबन्दी के सिलसिले में जो जुल्म किए गए वह बेमिसाल हैं। मुसलमानों पर अत्याचार किया गया। बेगुनाह लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। हमारे प्रतिपक्ष के यह लोग देख रहे थे, लेकिन आज वह हरिजनों की बातें कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब जगजीवन राम जी कांग्रेस में थे तो मैंने पत्र लिखा था, पौने दो सौ विद्यार्थियों की सूचना भेजी थी कि यह विद्यार्थी 64 से लेकर 75 तक एक को भी रोजगार नहीं मिला है। सदन के सामने स्पष्ट है कि पिछले दिनों कोरे वायदे किए गए। इमरजेंसी के दौरान झूठे चेक काटे गए और मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं कि क्या उनको वह बातें याद नहीं हैं? यह सारे अत्याचार जो हुए हैं यह एक साजिश थी कि इस देश में जितने प्रतिनिधि हैं उनको मिटा दिया जाय। लाखों लोग जेल में थे लेकिन बात कुछ ऐसी है जैसा कहा गया है कि :—

बात कुछ ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं,
हमारे साथी रहे लेकिन दुश्मनी मिटती नहीं।

तो मान्यवर, यह इनकी साजिश रही है अंग्रेजियत शासन करने की और कांग्रेस के नाम पर यह साजिश रचते रहे जिसका नाम है इमरजेन्सी। धन्यवाद है इस देश और प्रदेश की जनता का जो ऐसे कठिन दौर से गुजर कर अपनी बात कहने के लिए हम यहां उपस्थित हुए। जितने प्रेस थे वह बन्द कर दिए गए। करोड़ों रुपया बसों पर विज्ञापन करने में खर्च किया गया कि अनुशासन से रहो, दूर दृष्टि और नैतिकता बरतो आदि। यह उस जमाने में कहा जाता था लेकिन हमारी बात को प्रेस तक नहीं लिख सकते थे।

मान्यवर, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि "सूर्य" नामक एक पत्रिका है जिस की एडिटर मेनका जी रही हैं वह हमारे सामने उभर कर आई। उन्हीं दिनों में एक और पुस्तिका प्रकाशित हुई जिसका नाम है "हिसक कौन" जोकि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत की गई थी। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस के इन सारे काले कारनामों की जांच होनी चाहिए कि इन पत्रिकाओं से कितना धन इकट्ठा हुआ है। "सूर्य" पत्रिका यहां के कृषि मन्त्री को भेजी गयी थी। उसमें 86 विज्ञापन निकले थे। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि एक कमेंट किया था कि देश में विकास रुक गया है और भ्रष्टाचार जवान हो गया है। यह कमेन्ट प्रतिपक्ष पर ही लागू होता है। मैं मानता हूं कि उस समय के मुख्य मन्त्री में स्वाभिमान का माद्दा था, चाटुकारिता बहुत थी। इसलिए मैं अपील करूंगा कि जिस कुर्सी पर इस समय के मुख्य मन्त्री बैठते हैं उस कुर्सी को बदल देना चाहिए जिससे कुर्सी की पवित्रता कायम रह सके। आगे आने वाला मुख्य मन्त्री किसी एक व्यक्ति की चाटुकारिता का काम न करें।

मान्यवर, मैं शिक्षा विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे अलीगढ़ में अधिकारियों की बैठक में मैंने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आपके चीफ सेक्रेटरी का डण्डा है और हमारा डण्डा आपके ऊपर है। हायर सेकेन्डरी का एक शास्त्री हमारे पास इमरजेंसी में रोता हुआ आया और उसने कहा कि कालेज की प्रबन्धकारिणी समिति ने हमको सस्पेंड कर दिया है और कहा कि नसब्रन्दी कराके आओ। हमने आश्वासन दिया कि यह आंधी गुजरेगी और समय अच्छा आएगा, लेकिन वह भय से मर गया। तो शर्म आनी चाहिए उस प्रशासन को जिसने आतंक मचा रखा था। हम लोगों को भी जेल के समय का वेतन नहीं मिला है। मासूम बच्चे एडमीशन के दिनों में, जो हरिजन के लिए आंसू बहाते हैं, एडमीशन उनका करना बन्द कर दिया था। स्पष्ट आदेश थे कि किसी भी हरिजन को फीस से मुक्ति न दी जाय, जब तक कि उसके घर वाला नसबन्दी न करा ले। यह इनके काले कारनामे हैं। अब प्रदेश की जनता जान गई है और आज स्थिति स्पष्ट है।

18 फीसदी का जो टारगेट था हरिजनों को नौकरी देने का, तो मैं जानना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता से जो कि मुख्य मन्त्री रह चुके हैं कि किसने मनाही किया था कि 18 फीसदी का कोटा पूरा न किया जाय? सन् 1971 में बहुत बे आश्वासन दिए गए थे, लोग कहते थे इन्दिरा गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इन सारी घटनाओं की जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

बहुत से वक्ता बोलने वाले हैं। 4 बजे तक इस पर चर्चा होगी। चार बजे मुख्य मन्त्री बोलेंगे और उसके बाद नेता विरोधी दल बोलेंगे। इसलिए अब समय पांच मिनट का किया जाता है। लाल बत्ती जलने पर माननीय वक्ता ध्यान रखें और लाल बत्ती बुझने पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगर लाल बत्ती बुझने के बाद वक्ता बोलेंगे तो वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

(श्री जयराम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, इधर भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने देख लिया है। आपके दल के 12 वक्ता बोल चुके हैं। आपकी जितनी संख्या है उसके अनुपात से आपको अधिक समय मिला है।

श्री राज ब्रज राज सिंह (जिला खीरी)—

मान्यवर, इस चर्चा को पांच बजे तक कर दें।

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि मैंने कहा 4 बजे मुख्य मन्त्री बोलेंगे, उसके बाद नेता विरोधी दल और फिर प्रस्तावक को भी मौका मिलेगा। आज वैसे ही सदन 2 घंटे ज्यादा बैठेगा।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में क्रान्ति को दो कालों में दर्शाया गया है। पहली क्रान्ति 1947 को हुई। उस क्रान्ति के बाद पिछले 30 वर्षों में श्रमिकों को क्या मिला ? जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने उन बातों को एक-एक करके आपके समक्ष रखा है। उस समय जो लोग अंग्रेजों के चाटुकार थे और उनके आगे पीछे चलते थे वही देश की आजादी के बाद कांग्रेस के नाम से सत्ता पर हावी हो गए। मैं अपने जनता पार्टी के भाइयों को सन् 42 की क्रान्ति की तरफ ले जाना चाहता हूं। उस क्रान्ति में भाग लेने वाले कौन योद्धा सत्ता में आए, सत्ता में जो लोग आए उन्होंने श्रमिकों के लिए क्या किया ?

दूसरी क्रान्ति राज्यपाल के अभिभाषण में 1977 की दर्शायी गयी है। मैं इस क्रान्ति के बारे में अपने क्रान्तिकारी साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले तीस वर्षों में जो लोग सत्ता में आसीन थे उन्होंने क्या-क्या अत्याचार और कुकर्म किए उनको हमारे भाई एक-एक करके गिना रहे हैं। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में बड़ी ज्यादतियां हुयीं। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इमरजेंसी के जमाने में जो ज्यादतियां कराने वाले थे वे कौन लोग थे और आज इस सत्ता परिवर्तन के बाद, श्री जय प्रकाश नारायन जी के इस क्रान्ति हो जाने के बाद आज ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि क्रान्ति शब्द को बदनाम न करें। हमारे एक साथी ने रूस में क्रान्ति की बात कही थी। इस क्रान्ति शब्द को जान करके कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि क्रान्ति शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब श्रमिक वर्ग के हाथ में सत्ता आए। शोषण को समाप्त किया जाय। उस परिवर्तन को क्रान्ति कहते हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

महोदय, मुझे दो मिनट और दे दे .....

श्री अध्यक्ष—

दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जयराम—

साथियों घबड़ाएं नहीं। हम आपके भाई हैं। जिस गांव से हम आए हैं वहीं से आप भी आये हैं।आपने इलेक्शन के जमाने क्रांति की परिभाषा अच्छी तरह दी हैं। हरिजनों के बारे में कांग्रेस के जमाने से कहा जाता रहा कि हरिजनों पर ज्यादती नहीं होती है। आज आप भी इंकार करते हैं। यह बात सही है कि जनता सरकार के बनने के बाद आज गांव के हरिजनों के ऊपर ज्यादती की बात आप इसलिए नहीं करते कि आपके तरफ कोई इशारा है, लेकिन वे तमाम लोग जो कांग्रेस के अन्दर तीस वर्षों तक काम करते रहे, गरीबों को सताते रहे हरिजनों को पीटते आए, आज वे तमाम जनता पार्टी के पीछे खड़े हैं। आज जनता पार्टी बनने पर उनको सांस लेने का मौका मिला है। कांग्रेस के जमाने में, इन्दिरा गांधी के समय, उन पर कुछ अंकुश लगाया गया था।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय,

कौन आए वह रोशनी लेकर,
उजाला दिखाई देता है,
और किस्सए. . . . . .

माननीय सदस्यों ने अभी इमरजेंसी की बात कही उसके नतीजे सामने आए हैं और हमारे नेता विरोधी दल माननीय तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं और इनकी सरकार ने जो जुल्म किए थे उनके नतीजे इनको मिल गए हैं। दुनियां के किसी भी देश के इतिहास में इतना परिवर्तन नहीं हुआ था। मैं बा अदब अपनी सरकार से कहना चाहता हू कि हम लोग किसानों के बीच से जीत कर आए हैं। आज किसान हम लोगों की तरफ निगाह लगाकर बैठा है कि जनता पार्टी की सरकार आई है खाद का दाम कम होगा। वह खाद नहीं खरीद रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम आप इनकी ओर देखें जहां 80 फीसदी किसान रहते हैं। अपनी सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र से आया हूं जिस क्षेत्र में तीस साल से माननीय के0 डी0 मालवीय का राज्य रहा है, जहां से श्री काजी जलील अब्बासी राज्य मन्त्री रहे हैं और कुल तीन अस्पताल उस क्षेत्र में हैं। सड़कों का हाल यह है कि बाढ़ आने के बाद लोग बंगाल देश के शराबियों की तरह सड़कों पर घूमते रहते हैं। इस ओर सरकार ध्यान दें।

माननीय तिवारी जी से मैं कहूंगा कि आज उनकी हरिजनों और मुसलमानों के बारे में बहुत तकलीफ है। सरकार उनके हाथ में जब थी तो उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया ? उनके राज्य में मुसलमानों पर जुल्म किए गए, लेकिन आज वह मुसलमानों के बड़े हिमायती बन रहे हैं। आज उनको उनसे बड़ी हमदर्दी हो गई है। हरिजनों को ऊसर जमीनें दी गयीं। आपका राज्य था। आप एक गांव में 20 बीघे जमीन निकाल लेते, कौन आपको रोक सकता था और अच्छी जमीन उन हरिजनों को दे देते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने लोगों को लड़ाया। मैं सरकार से कहूंगा कि जनता ने हमको विश्वास के साथ जिताया है। हमको गरीबों की, किसानों के हित की बात करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राज ब्रजराज सिंह--

मान्यवर, राज्यपाल का यह अभिभाषण राजकीय नीति और राज्य में होने वाले कार्य-कलापों का दिग्दर्शन है, इसकी हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। इसके अन्दर जो क्रान्तिकारी कदम और प्रगतिशील नीतियां हैं उनसे भरपूर है। सबसे पहला क्रान्तिकारी परिवर्तन यह हुआ है कि यह भारतवर्ष में नहीं, समस्त विश्व के इतिहास में यह एतिहासिक घटना है और यह चिरस्मरणीय तथा प्रशंसनीय रहेगी। एक तो बात यह है कि बिना किसी रक्तपात के, शान्तिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन हुआ है। विश्व का इतिहास इसका साक्षी है जब किसी ताना शाही का पंजा सत्ता को दबोच लेता है तो बिना खून खराबी के परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इतने बड़े लोकतांत्रिक मुल्क में इतने शान्तिमय ढंग से बैलेट द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज ब्रजराज सिह---]

बुलेट द्वारा नहीं, परिवर्तन हुआ है यह क्रान्ति नहीं तो क्या है ? 25 जून, की रात्रि में जब आपात्कालीन स्थिति की घोषणा हुई तो 19 महीने के बाद उसका अन्त हुआ और उसका सफाया दो दफा में लोक सभा के चुनाव और फिर विधान सभा के चुनाव के जरिये हुआ और जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि वह लोकतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास करती है।

यह मीसा क्या था ? यह मेन्टिनेंस आफ इन्दिरा-संजय ऐक्ट था। डी0आई0आर0 क्या था ? यह देवी इन्दिरा रूल था। इनमें जो ज्यादतियां तथा जोर जुल्म हुए हैं, उनको जनता ने भुगता और इसीलिए उस पर बहुत चर्चा यहां की गयी। इसके लिए दोषी कौन है ? इस सम्बन्ध में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, श्री रियासत हुसैन ने जो कहा है वह दिनांक 4 जून, 1975 के पायनियर में छपा है जिसकी मंशा यह है "उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था की हालत इसलिए बदतर हो रही है क्योंकि अधिकांश राजनीतिक नेता, जिनका सम्बन्ध रूलिंग कांग्रेस से है, अपने पक्ष में अपने फायदे के लिए असमाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस में कुछ लोग थे जिन्होंने इस जोर-जुल्म की मुखालिफत की। उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया और जेल में ठूंस दिया गया जैसे मोहन धारिया, चन्द्र शेखर और रामधन आदि जिन्होंने इसके लिए बड़ी कीमत अदा की।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में शहरों के सुन्दरीकरण की बात भी है, ग्रामों के उत्थान की ओर भी कदम उठाया गया है हरिजनों के उत्थान और उनके संरक्षण की भी बात है। यही नहीं, नए व्यवसाय के साधन बढ़ाने और सस्ती सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी इसमें कहा गया है। इसके अन्दर यह भी निहित है कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण सरकार करेगी और उनका उत्थान करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले राजस्व मन्त्री जी ने 10 गुना और 20 गुना लगान दे कर भूमिधर बनाने वाले कानून को भी खत्म कर दिया और लोगों की बिना लगान दिए भूमिधर बना दिया गया है। यह बहुत ही प्रगतिशील कदम है और यह प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए है। इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समस्त सदन को स्वागत करना चाहिए। और इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

*श्री भारत सिंह (जिला गढ़वाल)---

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण ने दिशा निर्देशन किया है उसमें विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने की बात कही गई है और हरिजनों की जो समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए दिशा निर्देशन किया गया है। उसके लिए मैं इसका समर्थन करता हूं और गांवों की तरक्की के लिए कदम उठाने की बात कही गई है। मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिले हैं जहां यातायात की सुविधाएं नहीं हैं, अस्पताल की सुविधाएं नहीं हैं, वहां पर आज भी 50, 50 किलोमीटर तक आदमी को सामान सिर पर लाद कर ले जाना पड़ता है। 4---4 और 5---5 मील से बहिनों और माताओं को पानी सिर पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाद कर लाना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति वहां की इस समय है। आज काश्मीर से लेकर आसाम तक जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनके अपने प्रदेश है लेकिन हम लोग 8 पर्वतीय जनपद के लोग उत्तर प्रदेश के साथ मिले हुए हैं। लेकिन वहां की स्थिति आज यह है कि स्कूलों की छतें टूटी हुई हैं, अस्पताल नहीं हैं। इसी कारण से वहां एक आक्रोष है और पर्वतीय राज्य की मांग की है ताकि जन आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। मैं चाहूंगा कि वहां की जनता की जो मांग है, हमारी मांग है क्योंकि इन 30 सालों से वहां की उपेक्षा होती आई है। एक बार चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के तीन भाग होने चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। जब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जायगा तब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इतने बड़े प्रदेश में हमारी समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। पंजाब के तीन हिस्से हुए इसलिए वह आगे बढ़ा है। हरियाणा, पंजाब और हिमांचल, ये तीन राज्य उसके बने इसी से वहां का विकास हुआ है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की इतनी अधिक जनसंख्या है, इतनी समस्याएं हैं कि उनका समाधान नहीं हो सकता है, उसके लिए जरूरी है कि तीन हिस्सों में इसे बांटा जाय। मैं तो कहूंगा कि चार भागों में बांटा जाय ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका आसानी से विकास हो सके।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां कालागढ़ डैम बना और उससे बिजली पैदा होगी। वहां की जनता की मांग है कि उस बिजली को वहां के लोगों को सस्ती दर पर दिया जाय, 50 प्रतिशत कम दर पर उसे दिया जाय। पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि यह बिजली सस्ती कीमत पर दी जायगी जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए योजना आयोग ने 56 करोड़ रु0 देने का आश्वासन दिया था, यह हमें पिछली सरकार द्वारा बताया गया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हिमांचल के पैटर्न पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो वहां खर्च किया जाता है वैसे ही किया जाय तभी यहां का विकास हो सकेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी यह भावना है कि अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो उससे जनता सरकार की इमेज जनता में बहुत खराब होगी और जन आक्रोश भड़केगा। जनता का अपनी मांगों के प्रति जो असन्तोष है, वह और विद्रोह बढ़ेगा, उनका जन-असन्तोष उभरकर ऊपर आ जाएगा। इसलिए हमारा जो बजट है, उसे और अधिक बढ़ाया जाय, कम न किया जाय। जैसा कि वहां लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है कि पिछली सरकार ने 56 करोड़ रुपए मन्जूर किया है और यह सरकार उसमें कटौती करना चाहती है। इसलिए मैं वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लोगों की 56 करोड़ रुपए की जो मांग है, वह मानी जाय।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल ने प्रदेश के विकास के लिए जिन योजनाओं का जिक्र किया है, उसमें पूर्वी जिलों के विकास के बारे में कुछ उपेक्षा कर दी गई है। प्रदेश में चर्चा रही है कि बुन्देलखण्ड और पूर्वी जिले सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं, किन्तु फिर भी पूर्वी जिलों का कोई जिक्र नहीं किया है। 30 साल के प्रशासन में शासन ने बड़ा रुपया खर्च किया है, लेकिन पूर्वी जिलों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। केवल चन्द परिवारों की ओर

[श्री ओम प्रकाश—]

सरकार द्वारा कुछ ध्यान दिया गया है। मेरे जिले में आजादी के पहले एक भूमि-हीन परिवार था और आज कांग्रेस का विधायक होने के कारण सीलिंग से उनकी कई एकड़ भूमि निकाली गई है। तो आजादी उन्हीं लोगों को मिली है, जो कांग्रेस के इर्द-गिर्द या उनके चाटुकार रहे हैं, या फिर वे स्वयं कुर्सी पर आसीन रहे हैं। वहां अशिक्षा और बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1951-52 में राष्ट्र संघ ने एक सर्वे किया था, उसके अनुसार भारत का 51वां स्थान था अर्थात् भारत से 50 राष्ट्र सम्पन्न माने गए थे, किन्तु आज स्थिति यह है कि भारत से 105 राष्ट्र सम्पन्न माने जाते हैं। तो यह हमारी आर्थिक प्रगति है, जबकि सन् 1952 से आज तक 1 खरब, 70 अरब रुपया इनके विकास के नाम पर खर्च किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे विश्व में जितने अशिक्षित लोग हैं, उसके आधे भारत में हैं, जबकि शिक्षा पर इतना पैसा खर्च किया गया है।

बेरोजगारी की समस्या भी घटने के बजाए दिन पर दिन उग्रतर होती गई है। सन् 1952 में बेकारों की संख्या 50 लाख थी, जो आज बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो गई है। शिक्षित बेकारों की भी बड़ी दुर्दशा है। इस सम्बन्ध में गोरखपुर जिले के एक ब्लाक के सम्बन्ध में एक उच्चाधिकारी ने मुझे बताया कि सोसाइटियों में जो सचिव नियुक्त किए गए हैं, उसमें पाली ब्लाक में तीन पी0एच0डी0 हैं, जिनको वेतन 170 रुपए 50 पैसे मिलेगा। इनमें से एक डी0एस-सी0 की उपाधि लेकर आया है। तो यह बेरोजगारी का आलम है। हमारी गरीबी की हालत यह है कि मेरे बस्ती जिले में, जिससे मैं आया हूं, 30 वर्षों में एक चमचा सीमेंट नहीं रखी गई है। हम लोगों द्वारा बराबर सरकार का ध्यान मूड़घाट-बभनान, बेलघाट होते हुए सड़क की ओर ध्यान दिलाया गया है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हरैया-बभनान बहुत पुरानी सड़क है। पैदल चलने लायक नहीं है। म आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम इस साल के बजट में उस क्षेत्र की जो पुरानी सड़कें हैं उनका जिक्र आना चाहिए। एक चीज और बताना चाहता हूं। जो बराबर हरिजनों पर अत्याचार का जिक्र किया जाता है, मैं समझता हूं कि उसको बन्द होना चाहिए। इससे हरिजनों का कल्याण नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप स्थान ग्रहण करें। मैं पहले कह चुका हूं कि जब लाल बत्ती बुझा दी जाय तब माननीय सदस्यों को स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जो सम्बोधन किया है, उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, उसके समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, एक बड़ी विचित्र विडम्बना है। हमारे पूर्वी जिलों में घर में बहू आती है, तो छः महीने के बाद उस बहू को चौके में किया जाता है। चौके में गई नहीं कि घर में कहना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुरू कर दिया लोगों ने, कि दाल कच्ची रह गई, चावल कच्चा रह गया, नमक पड़ा ही नहीं। वही हालत विरोधी दल के नेता और उनके दोस्तों की है। जुम्मा-जुम्मा 15 दिन की सरकार है। तीस साल का कू ा, तीस साल की अव्यवस्था, गैर-बराबरी, असन्तोष 15 दिन में चाहते हैं, हम अपने झा ू से साफ कर दें। यह सम्भव नहीं है। हम उस दिशा की ओर जा रहे हैं जिसका निर्देश जयप्रकाश नारायण ने किया है, जिसका हमने वा ा किया है। माननीय नेता विरोधी दल हमारे बीच में नहीं हैं। वह समाजवाद की बात करते हैं। हमारे पुराने साथी संजय गांधी को महाभारत का संजय कहा करते थे। उस समय उनकी जमीर कहां थी जिस वक्त जनतन्त्र का हनन हो रहा था, डाक्टर लोहिया, आचार्य नरेन्द्रदेव के अरमानों को खत्म किया जा रहा था, हिन्दुस्तान की जमीन पर तानाशाही की बुनियाद में ईंटें डालने की साजिश की जा रही थी। मजबूरी थी उनकी। उनको साथ देना पड़ा। पुराने संस्कार उनके कांग्रेस में रहने के कारण समाप्त हो गए थे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया।

चर्चा है हरिजनों पर अत्याचार की, चर्चा है बेरोजगारी की, मंहगाई की। मंहगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है कांग्रेस के तीस साल के शासन के कारण। मंहगाई पर जब से यह सरकार आई है निश्चित रूप से अंकुश लगाया है। जिस समय कांग्रेस सरकार जाने लगी उसने सारे क्रिमिनल्स को छो दिया, जिससे अपराधों में वृद्धि हुई। उस पर इस सरकार ने अंकुश लगाया है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा को परिषदों के हवाले करना प गा। यूनिवर्सिटी टीचर्स और डिग्री कालेज के टीचर्स के वेतन में असमानता को दूर करना प गा, चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना प गा, गन्ना किसानों पर चीनी मिल वाले अत्याचार कर रहे हैं, उसको खत्म करना प गा। जब देश आजाद हुआ उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल आउट-पुट सातवें स्थान पर था, आज 22वें स्थान पर चला गया है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं सरकार की ओर से विरोधी पक्ष के लोगों को कि दिल्ली के टेलीफोन पर यहां कार्यवाही नहीं होगी।

दिल्ली के प्रधान मन्त्री के इशारे पर किसी कर्मचारी को रिटायर अथवा पदोन्नति नहीं किया जा सकता है। गोरखपुर के एस0एस0पी0 थे, उनका ट्रान्सफर तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने शिकायतों के आधार पर पी0ए0सी0 में कर दिया था, लेकिन प्रधान मन्त्री के क्लर्क का उनके पास टेलीफोन आया कि उसको अच्छा जिला दे दिया जाय और उनका ट्रान्सफर इलाहाबाद एस0एस0 पी0 के पद पर कर दिया गया। उन एस0एस0पी0 के खिलाफ विजीलेन्स में केस है, फिर भी उनको पी0 ए0 सी0 में न भेजकर इलाहाबाद भेजा गया, केवल प्रधान मन्त्री के एक क्लर्क के टेलीफोन करने पर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने पूर्वांचल की ओर आपका ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गोरखपुर का जो इलाका है, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस

[श्री जनादन प्रसाद ओझा—]

क्षेत्र में घुघली के पास छोटी गण्डक पर पुल नहीं है जिससे आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है और जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। घुघली, शिकरपुर, परतावल, पकड़ी, विसुनपुर और श्यामपुर दरेवा मंगलपुर की सड़क धर्मलक्षमीपुर देवरा की सड़कों को बनवाया जाए ।

इसके साथ ही साथ यहां पर उद्योग धन्धों को बढ़ावा दिया जाय जिससे वहां की जनता चैन की सांस ले सके। भूमि का बंटवारा जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के रेडियो पर हुआ था, वह केवल एक थोथा दिखावा था उस समय कानून का गला घोट दिया गया था, सारे प्रशासन को मुट्ठी में ले लिया गया था । कहीं जमीन नहीं बंटी। यह सारा फर्जी मामला था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पाठक जी अपना भाषण शुरू करें।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी आज बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने के पश्चात् यह मालूम होता है कि राज्यपाल ने जो वर्तमान सरकार है, उसके समय में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है बल्कि ध्यान इस ओर दिया है कि आपात्कालीन स्थिति में कौनकौन से अत्याचार हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन शुरू हुआ, मैं वहीं का रहने वाला हूं जहां जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है, विद्यार्थियों को कालेज और स्कूलों में जाने से रोका गया, व्यापारी मुनाफाखोरी कर रहे थे, उसको रोकने के लिए यहां तक कि इन सब कारणों से ललित नारायण मिश्र की हत्या हुई, इन सब कारणों से ही आपात्कालीन स्थिति को लागू किया गया था।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

(शोर)

आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह अत्यन्त अनुचित है कि सदस्य व्यवधान पैदा करते हैं। इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, यह भी समझें। लोकतंत्रीय प्रणाली की मान्यताओं को प्रतिष्ठापित करने का दायित्व आपका है। इसलिए कृपया आप लोग शान्ति रखिए। आप लोगों को विरोधी पक्ष के लोगों को भी सुनना चाहिए। अगर वह एक सुनाते हैं तो आप भी सुना सकते हैं, तो आपको अधैर्य नहीं रखना चाहिए। बच्चा पाठक जी, आप बोलिए।

श्री बच्चा पाठक—

आज जनता पार्टी की सरकार. . . . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठिए, आप कृपया व्यवधान न डालें,आप व्यर्थ में सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, हमें याद है कि माननीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि जिस सरकार के समय में छात्रों पर लाठी चले,गोली चले,उस सरकार को पदासीन रहने का कोई हक नहीं है। आज यहां पर होम्योपैथी पढ़ने वाले छात्रों पर विधान सभा के सामने ही लाठी चार्ज किया गया हो, गुण्डा-गर्दी की गई हो (शेम शेम के नारे) उसको यहां पर रहने का क्या हक है ?

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज है, वहां पर एक कमजोर वर्ग के प्रिंसिपल थे, उनकी छुरा मार कर हत्या कर दी गयी। वहां के एस0 पी0 ने कहा था कि वे 7 दिन में इस मामले की तहकीकात कर लेंगे और मुल्जिमों की जमानत नहीं होने देंगे, लेकिन पुलिस वालों ने 7 दिन के बाद चार्ज-शीट दी और उनकी जमानत भी हो गई।

(शोर)

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क का नाम पुकारे जाने पर और श्री बच्चा पाठक के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि जब लाल बत्ती बुझ जाय, तब आप उठा करें ? आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मोहतरम सदर, अभी हमारे दोस्त विधायक जी ने जो कहा उस सिलसिले में मुझे एक शेर याद आया है जो इस प्रकार है :—

हरीफों से शगुफता खातरी देखी नहीं जाती,
वह गम तो देख लेते हैं, खुशी देखी नहीं जाती।
बहार आते ही गुलचीं की निगाहों में खटकते हैं,
कि उससे इन गुलों की दोस्ती देखी नहीं जाती।

यह शायरी नहीं बल्कि असलियत को मैं अर्ज कर रहा हूं। एमरजेंसी जो देश में लगाई गयी थी वह हमारी साबिक प्रधान मन्त्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगाई थी।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

उसी की आप पैदावार हैं

(अत्यधिक शोर)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, एमरजेंसी लगाने का मकसद केवल अपनी कुर्सी को बचाने और इस देश को लूटने और खाने का था। कांग्रेस सरकार ने एमरजेंसी के जमाने में जो मजालिम किए, ज़्यादतियां की, वे पोशीदा नहीं हैं। तुर्कमान गेट, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर के हालात

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क—]

भी किसी से कम पोशीदा नहीं हैं। मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील में जिस वक्त पुलिस ने गोली चलाई, जैसा कि श्री मयूर अली खां, एम0 पी0 हैं, ने बताया कि जो लोग मस्जिद में दुआएं मांग रहे थे तो एक आदमी के हाथों पर गोली लगी और उसके दोनों हाथ टूट गए। मैं जानना चाहता हूं कि इस 30 साल के जमाने में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के साथ क्या किया ? उस जमाने में हजारों बल्वे हुए और कह दिया गया कि जनसंघ ने कराए हैं। जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी बल्वा नहीं हुआ है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हरिजनों के साथ जो कुछ किया गया है वह भी आपके सामने है और मुसलमानों के लिए बताइए आपने क्या किया ? आपने उनको बैकवर्ड बनाने की कोशिश की। उनको खरीदने की कोशिश की और उनको हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे दर्जे के शहरी बनाकर रखने की कोशिश की। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि इमरजेंसी के अन्दर जो ज्यादतियां हमारे साथ हुयीं हैं और हिन्दुस्तान के बसने वाले दूसरे लोगों के साथ हुई हैं, उनकी सही जांच होनी चाहिए, उनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और ऐसे लोग जिन्होंने वाकई ज्यादतियां की हैं, उनको जेल की चहारदीवारी में भेजना चाहिए।

दूसरे मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने उर्दू के बारे में बहुत प्रचार किया कि हमने उर्दू की तरक्की के लिए और दूसरा दर्जा देने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने न उर्दू को इलाकाई जबान बनाया और न दूसरे दर्जे की जबान बनाया। मैं मौजूदा सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह उर्दू के मसले पर भी गौर करे और मुसलमानों व हरिजनों के जो मसायल हैं उन पर संजीदगी से गौर करें।

जहां तक मेरे हलके का सवाल है, मैं चन्द बातें अर्ज करना चाहता हूं। सम्भल मेरी कांस्टीट्यूऐंसी है जोकि जिला मुरादाबाद में है। वह पिछड़ा हुआ हिस्सा है। खुद मुरादाबाद भी पिछड़ा हुआ हिस्सा है। मुझे अफसोस है कि मुरादाबाद को कमिश्नरी बनाया गया था लेकिन सरकार ने उसको खत्म कर दिया। मैं बहरहाल सरकार से गुजारिश करूंगा कि मुरादाबाद को कमिश्नरी अगर फिलहाल बाकी रखा नहीं जाता है तो कम से कम वहां के डेवलपमेंट के लिए जरूर कदम उठाए जायं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिए।

*ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—

(व्यवधान)

मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं कि इतिहास बताता है कि जब देश में ज्यादतियां हुयीं तो उनको दूर करने के लिए कोई न कोई उपाय हुए। आपने देखा होगा कि रामायण काल में जिस समय रावण ने अत्याचार किए थे तो राम ने जनता की समस्याओं को हल किया था। इसी प्रकार से महाभारत में आपने देखा कि जब दुर्योधन ने अत्याचार किए थे तो पाण्डवों ने संहार किया और इसी प्रकार इस कांग्रेस के अत्याचार जब बढ़े तो इसके अत्या-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चारों को जनता के लीडर्स ने दूर करने के लिए इसका संहार किया और जो घो संजय के रूप में छो हुए थे, सबका संहार किया। तो दोस्तों, इस 30 साल के भीतर इस कांग्रेस ने जो हिन्दुस्तान को दिया है वह आप सोचिए कि वह क्या है ? सबसे बड़ी चीज जो कांग्रेस ने दी वह भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्यालय में हर एक कर्मचारी भ्रष्टाचारी बना बैठा हुआ है। आपने जनता को जो वादे किए हैं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और भ्रष्टाचार तभी मिट सकता है जबकि उच्च अधिकारियों को आप सजा देंगे और उन को सही रास्ते पर चलायेंगे।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिला मेरठ के अन्दर जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर में इतना भ्रष्टाचार व्यापक है कि कोई भी . . . . .

श्री श्यामधर मिश्र—

लखनऊ सेक्रेटेरियट से सब अफसरों को निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

ठाकुर मूलचन्द—

तो कोई भी बिल पास नहीं किया जाता है जब तक कि पैसा न मिल जाय और वहां पर सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। इसलिए शिक्षा मन्त्री से मैं यह कह देना चाहता हूं कि वहां पर सुधार कराए।

इसके अतिरिक्त शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय ने जो यह तय किया है कि जितने ऐड-हाक बेसिस पर टीचर्स थे, सब को कन्फर्म किया जाय, लेकिन उसमें जो एक क्लाज चयन का लगा दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि वह चयन हटा दें तो जो पीड़ित अध्यापक हैं उनकी समस्या हल हो सकती है।

इसके अलावा बेसिक और प्राइमरी शिक्षा में भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है जो आपके, बिना ध्यान दिए नहीं हो सकता।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, विशेषकर हाइडल में। किसान आज बहुत परेशान है। उनके बिल अलग-अलग बना दिए जाते हैं और उनसे पैसे की वसूली होती है।

इसके अलावा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो एलेक्शन्स हो रहे हैं, उनकी लिस्टों में संशोधन करने की आवश्यकता है। जो वार्ड कांग्रेस के जमाने के बने हुए हैं, उनको ठीक किया जाय। इसके अलावा एक इस्टेट ड्यूटी लगी हुई है जो 50 हजार है वह 1 लाख रुपया होनी चाहिए।

जितने निगम बने हैं उनके अन्दर भी भ्रष्टाचार काफी व्याप्त है। यहां पर जो बातें कही जाती हैं वह ये निगम नहीं मानते हैं। इसके सन्दर्भ में मैं केवल रोडवेज की बात कहना चाहता हूं। वहां करोड़ों रुपए का घोटाला है और बसों की हालत यह है कि वे जगह-जगह रुक जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण समाप्त करें।

*श्री फजलुल-बारी (जिला गोण्डा)—

सदर मोहतरम, मोहतरम गवर्नर के खुतबे के लिए शुक्रिया का जो तजकिरा है, उसकी ताईद के सिलसिले में मैं खड़ा हुआ हूं। अभिभाषण में जिस इंकलाब का तजकिरा किया गया है, वह खुद इस खुतबे को देखने से नजर आ रहा है क्योंकि आज से पहले इसी नाम से जो खुतबा निकला था उस खुतबे में और आज के खुतबे में जमीन आसमान का फर्क है। इस खुतबे में तजकिरा हुआ है कांग्रेसी सरकार ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जो वायदा किया था, वह पूरा नहीं किया। जो आर्डिनेंस उसके बारे में लाया गया था, वह ऐक्ट नहीं बनाया गया जिसका कि वायया किया गया था। हमने इंकलाब का इजहार किया, काली पट्टियां बांधीं, मकानों में काले झंडे लगाए, मगर हुआ क्या, कांग्रेस ने शहर में गोलियों की बौछार करवा दी। उसके अखबार आज भी सबूत हैं। आज वे लोग हमारे ऊपर कींचड़ उछाल रहे हैं। जिनके दामन खून से आलूदा हैं। यह मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत रखते हैं मगर इमरजेंसी के वक्त इन लोगों ने कितने जुल्म ढाए हैं। गोंडा में तुलसी-पुर गांव का एक वाकया सुनाना चाहता हूं, वहां पर 6 अगस्त को मोहम्मद यूनुस नामक एक आदमी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले आयी, उसकी दाढ़ी को नोचा गया और उसके मुंह में पेशाब कर दी गई।

(शेम–शेम की आवाजें)

आज यह कांग्रेसी लोग मुसलमानों की हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने अपने जमाने में उस थानेदार की तरक्की कर दी, उसको पुलिस इन्सपेक्टर बना दिया। यह हैं आपके काले कारनामे। (व्यवधान)

जहां तक उर्दू का सवाल है, कांग्रेस सरकार ने उर्दू के बारे में बातें तो बहुत कीं, मगर किया कुछ नहीं। इन्होंने ही उर्दू का कत्ल किया है। इन्होंने ही वह चीज अपनाई जिससे कि उसका नामोनिशां मिट जाए। इस सरकार से मेरी गुजारिश है कि उर्दू को कम से कम दर्जा 8 तक कम्पलसरी बनाया जाय।

इस खुतबा में कोठारी कमीशन का भी तजकिरा है। जुलाई, 1964 में वह कायम हुआ था और जून, 1966 में उसकी रिपोर्ट आई। यह बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। उसमें जो सिफारिशें की गई हैं बहुत अच्छी हैं। कांग्रेस सरकार जो 30 साल तक शासन में रही उसन उसकी सिफारिशों को नहीं अपनाया। यह लोग तो जनता को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। इसलिए इस कमीशन की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया, उसकी सिफा-रिशों को नहीं माना। हमें आशा है यह सरकार उस कोठारी कमीशन की सिफारिश को लागू करेगी। उसमें मुश्तरका स्कूलों की बात कही गई है। उस सिफारिश को सरकार को नहीं मानना चाहिए। बाकी सिफारिशें बहुत अच्छी हैं। उनको मान लेना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन के बारे में जो बात कही गयी है उसको भी डिलीट कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें। जब मैं लाल बत्ती जलाऊं तो माननीय सदस्य को दो मिनट में अपना भाषण खत्म कर देना चाहिए। लाल बत्ती बुझाने पर स्वयं बैठ जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाल बत्ती बुझने के बाद मैं दूसरा नाम पुकारूंगा, उसके बाद यदि माननीय सदस्य कुछ भी बोलेंगे तो वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, विरोधी पक्ष के लोगों ने जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को नहीं देखा। उन्होंने यह नहीं देखा कि लक्ष्य क्या है। वह अगर देखते तो जान जाते कि उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए सरकार की कितनी सुन्दर नीति है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिन बातों का संकेत किया गया है, अगर वे यह देखते तो कभी भी संशोधन न लाते और विरोध की बात कभी न कहते।

(इस समय 1 बजकर 51 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए)

मान्यवर, राज्यपाल जी के भाषण में सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि 35 हजार गांवों को जल पहुंचाया जायगा। आज जिस जल को संस्कृत में जीवन कहते हैं, आज उस जीवन के अभाव में जनता तड़प रही है। हमारे पहाड़ में तो गर्मियों के दिनों में 3–3 मील से महिलाएं पानी लाती हैं। जब हम अपने क्षेत्र से गुजरते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोई स्वराज्य नहीं हुआ, अगर पानी आ जाय तो हम समझेंगे कि स्वराज्य है। मुझे याद आता है :—

"आठ मास जीता है चातक अपने धन का ध्यान किए,
आशा में निज घनश्याम की हमने बरसों बिता दिए ।।

हमें विश्वास है कि हमारी यह सरकार पानी की समस्या को हल करेगी। राज्यपाल के भाषण में यह भी है कि निगम जो हैं इनकी जांच की जायगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह निगम जनता के लिए अगम हो गए हैं और अब दुर्गम होते जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से इस सरकार से कि इन निगमों को सुगम बनाया जाय जिससे जन-साधारण की कठिनाई दूर हो। राज्यपाल जी के अभिभाषण में जितनी नीतियां दर्शाई गयी हैं, मुझे आशा है वे प्रदेश की उन्नति की तरफ अग्रसर करती रहेंगी। हम तो यह चाहते हैं कि जो भार जनता पार्टी की सरकार पर पड़ा है, हम देहातों में जाकर, गांव-गांव में जाकर उस भार को पूरा करें। श्रीमन्, राज्यपाल के भाषण में पर्वतीय क्षेत्र का जिक्र नहीं किया गया है। मैं चाहता था कि राज्यपाल के भाषण में पर्वतीय क्षेत्र का भी कुछ जिक्र होता।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठें।

*श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, मैं जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर से चुनकर आया हूं। मेरा क्षेत्र अत्यन्त ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कन्हई सिंह]—
पिछड़ा हुआ है, क्योंकि रामगंगा और गंगा के दर्मियान की कटाव की जमीन वहां पर है। इन दोनों के दरमियान कई गांव वहां पर बसे हुए हैं, लेकिन वहां पर अब भी विकास कर पड़ रहा है। मान्यवर, मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को विकास कर से मुक्त किया जाय, क्योंकि यह क्षेत्र गंगा और रामगंगा के कटाव के बीच में है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान सवा 6 एकड़ की जमीन पर लगान माफ करने के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार से पहले सवा 6 एकड़ जमीन का लगान माफ था, उसी प्रकार से अब भी सवा 6 एकड़ तक की जमीन का लगान माफ किया जाय। लगान इधर किसानों पर बढ़ा था, जो थोड़ा कम किया गया है। मेरी मांग है, मेरा सुझाव है कि सवा 6 एकड़ तक की जोत की जमीनों पर लगान माफ हो, जिससे किसान सुख-शान्ति की सांस ले सकें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमिहीनों को जो जमीनें दी गई हैं, जो पिछड़े लोग या हरिजन हैं, उनको जो जमीनें दी गई हैं, पैसे वाले लोग उन जमीनों को हथिया ले रहे हैं। जो लोग कुछ पैसे वाले थे उनको तो अच्छी जमीनें मिलीं लेकिन जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनको ऊसर बंजर जमीनें दे दी गयीं जिनमें पैदावार दुर्लभ है। मैं राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भूमिहीन जिनको जमीनें दी गयीं और ऊसर बंजर जमीनें दी गयी हैं, उनको उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सहूलियतें दी जायं। सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जायं जिससे काश्तकारों की पैदावार बढ़ सके। मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान पुलिस विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। इमरजेंसी के दौरान, कांग्रेस शासन के दौरान पुलिस के डण्डे लम्बे-लम्बे रहते थे। 4, 4 फुट के थे। इमरजेंसी में इन्हीं डण्डों से लोगों को मारा गया जिससे जनता का भय बढ़ गया। कम से कम अब जनता पार्टी की हुकूमत हुई है तो इस अन्याय को दूर करना चाहिए और जिन डण्डों का 20 साल से जनता पर भय व्याप्त था, उनको कुछ छोटा किया जाय। डण्डे जो 4–4 फुट के हैं 2–2 फुट के किए जायं जिससे जनता का भय कम हो।

मान्यवर, अभी कागज पर भले विकास हो गया है, लेकिन 80 फीसदी जनता जो गांवों में रहती है उस पर पुलिस का भय अब भी व्याप्त है। तमाम डकैतियां होती हैं लेकिन चोरी में रपट लिखी जाती है। रिपोर्ट लिखने के लिए पैसे लिये जाते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो धमकी दी जाती है कि तुमको किसी न किसी केस में रखकर चालान कर देंगे।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर एक संशोधन पेश करना था जो कुछ लेट होने के कारण नहीं दे सका हूं। संशोधन इस प्रकार से है।

राज्यपाल महोदय ने जो सरकारी नीति का स्पष्टीकरण किया है और उस सन्दर्भ में जो उनका वक्तव्य है उसका समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक इसे तीन या चार भागों में नहीं बांट दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सन् 1973 में, मैंने इसी विधान सभा में एक गैर सरकारी विधेयक लाने के लिए नोटिस दी थी लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मिली थी। उस विधेयक पर विचार हुआ था और काफी सदस्यों ने उसमें भाग लिया था कि इस प्रदेश का बंटवारा 3–4 हिस्सों में कर दिया जाय। इस प्रदेश का विकास तभी हो सकता है और प्रशासन सही रूप में चल सकता है, जब इसका विभाजन 3–4 हिस्सों में कर दिया जाय। जो भी मुख्य मन्त्री आए उन्होंने यह कहा कि पूरे प्रदेश की यह नीति है, पहाड़ के लिए यह नीति है। पश्चिमी प्रदेश के लिए यह नीति है, बुन्देलखण्ड के लिए यह नीति है। 3–4 भागों में नीतियां बताई गयीं। तीन चार भागों में सरकार ने इसे माना। यह प्रदेश नहीं है बल्कि देश है।

मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर कोई भी आदमी मेरठ से इलाहाबाद के लिए जाता है तो उसके लिए न्याय मंहगा प ता है। कोई भी गरीब आदमी इन हालातों में न्याय की आशा नहीं कर सकता है। सरकार ने कहा है कि हम सस्ता न्याय देंगे, लेकिन सस्ता न्याय तब तक सम्भव नहीं है जब तक प्रदेश को 3–4 भागों में न बांट दिया जाय। इसका विकास भी तभी सम्भव है। चौधरी चरण सिंह जी भी जो आज गृह मन्त्री हैं, इसके समर्थक थे। मान्यवर, 1973 में इसके डिवीजन के बारे में एक प्रस्ताव पास हुआ था और बी0के0डी0 ने प्रस्ताव पास किया था।

सोशलिस्ट पार्टी के समय में मैं पार्टी का नेता था। मैंने उस समय इस मांग को उठाया था। जो पार्टी इस समय शासन में है जब वह विरोध में थी तब इसका समर्थन करती थी। इसलिए सरकार को सही सोचना चाहिए। बिना भय के यह काम कर देना चाहिए। जब तक यह प्रदेश इस रूप में रहेगा तब तक यह कल्पना करना कि इस प्रदेश का विकास होगा, तो वह कतई नहीं होगा। अंग्रेजों ने जब प्रदेश को छोड़ा था तब आगे था और तबसे आज पीछे हो गया है। बड़े–बड़े मुख्य मन्त्री यहां रहे, लेकिन जब से आज तक यह प्रदेश पीछे रहा है। इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि जो विरोधी थे, वह सरकार में हैं और इसलिए वह समर्थक हो गए हैं तथा विरोधी पक्ष के लोग भी यही चाहते हैं। तो मान्यवर, इस प्रदेश के विभाजन की मेरी मांग को पूरा करने की कृपा करें।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)––

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए ख ा हुआ हूं। ऐसे भाषण मेरे सामने तीन बार आ चुके हैं और उसका पाप उधर के पापी लोग काफी पा चुके हैं।

श्री श्यामधर मिश्र––

कुढ़-कुढ़ के इसीलिए आप उधर चले गए हैं. . .।

(एक साथ कई सदस्यों के ख े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता––

आप लोग सदन में शान्ति बनाए रखें।

श्री कृष्णा राय––

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में गन्ना के दामों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार विचार करे कि 17 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम

[श्री कृष्णा राय—]

होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि और बराबर हमारी राय रही है कि दो फसलों के बीच में क्या भाव हों, इस पर भी कुछ होना चाहिए था लेकिन वह भी भाषण में में नहीं है।

मान्यवर, मैं देवरिया से आया हूं। लगातार 30 वर्ष से मेरे विरोध में रहने के कारण हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसलिए हमारे क्षेत्र का ध्यान रखा जाय।

तीसरी मांग है कि हम अयोध्यावासी हैं और हमारा सीधा रास्ता जनकपुर से अयोध्या से सम्बद्ध हो जाय, इसके लिए मैं एक पुल बनवाने की मांग करता हूं।

मान्यवर, शराब की जो बढ़ोत्तरी हुई है वह आपके सामने है। आदमी को आज आधी छटांक दूध नहीं मिलता है। इसलिए दूध और दही का बढ़ावा होना चाहिए और शराब का बढ़ावा नहीं होना चाहिए। दूध के बढ़ाव से खाद बढ़ेगी। रिक्शे चलाना घटेगा। रिक्शे चलाने से बीमारी बढ़ती है। इसलिए वह घटेगी। उनको पशु पालन करने की सुविधा दीजिए। यह बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। यह पाप की बात कहते हैं तो जितना पाप उन्होंने किया उसकी सजा वह पा गए हैं। उनके पाप का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि पूर्वी जिले पिछड़े हुए हैं और उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। जनता पार्टी के नेताओं को और सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हमने जो वायदा किया कि गांव उठेगा, देश उठेगा, उसको पूरा करना चाहिए और किसानों और मजदूरों को उठाना चाहिए। नहीं तो वही हालत होगी जो कांग्रेस पार्टी की हुई है।

*श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे भी कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने जनता पार्टी में अपनी अपार आस्था व्यक्त की। माननीय नेता विरोधी दल, आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी न प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात कही है और समाजवाद की दुहाई दी है। वह याद कर लें, शायद वह गांधीवाद को भूल गए और उन्होंने डा0 लोहिया की बात कही। जब आप हैवी इंडस्ट्री की बात करते हैं, बड़े उद्योग धन्धों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह पूंजीवाद के समर्थक मालूम पड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गांधीवाद, लोहिया जी और आदरणीय चौधरी साहब जो बड़े गांधीवादी हैं, उनकी नीति विकेन्द्रीकरण की है। क्या आप करोड़ों की पूंजी बड़े उद्योगों में लगाकर लाखों लाखों नौजवानों को बेकार रखना चाहते हैं? आप जब बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि आपका उनके प्रति अभी भी लगाव है। मुझे ऐसा लगता है कि उन पर रूसी समाजवाद की छाप है। वह इस देश के समाजवाद को भूल जाते हैं जो गांधी जी, लोहिया जी और आचार्य नरेन्द्र देव चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस देश का विकास करना है तो बड़ी इंडस्ट्री का लगाना बन्द करो। आपको मजदूर और किसान की बात सोचनी है। अगर आपने यह नहीं सोचा तो एक वक्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आएगा भूख और प्यास से लोग चिल्लायेंगे और कहेंगे कि हमें काम दो। वह कहेंगे कि हमें रोटी चाहिए और फिर वह निश्चित रूप से भूल जायेंगे कि हमें लोकतन्त्र को जीवित रखना है। हमने बहुत बार किसानों की बात कही है ।

इस अभिभाषण में किसानों की बात कही गई तो एक पुरानी बात याद आ गई । फसलों के बीमों की चर्चा इसमें है। मैं कहना चाहता हूं कि फसलों का बीमा प्रभावकारी ढंग से रखा जाय और यदि उसकी फसल खराब हो तो उसको पैसा दिया जाय। राज्यपाल के अभिभाषण में कोई अभिव्यक्ति नहीं है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि श्रमिकों को राज्य नियोजन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।

छात्र के बारे में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने जय प्रकाश जी की आवाह्न पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जेल गए, उनकी परीक्षाएं फिर ली जायं, जिनकी डिग्रियां छीन ली थीं, उन्हें पुनः डिग्रियां दी जायं ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आगरा नगर महापालिका के प्रशासक, श्री विनोद कुमार दीक्षित राज्यपाल के सुपुत्र हैं, आपातकालीन स्थिति के दौरान वे डी0एम0, आगरा थे। नसबन्दी के दौरान उन्होंने अत्याचार किए । गरीबों के मकान तुड़ा दिए, जमीन छीन लीं। पी0डब्लू0डी0 ने जो निर्माण किया था, वह ध्वस्त हो गया है । मैं कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय से कि उनकी अविलम्ब जांच कराई जाय। राज्यपाल के साहबजादे की पत्नी ने, जो एक डी0एम0 की पत्नी थी, आपातकाल के दौरान खुल कर राजनीति में भाग लिया और सरकारी दफ्तर से राजनीति का संचालन किया, लाखों रुपयों का चन्दा किया ।

हरिजनों के बारे में कहना चाहता हूं कि सम्मेलनों और गोष्ठियों में उनकी समस्याओं पर विचार हो, मिल कर विचार हो, इस प्रकार आपस में लड़ कर उनका भला होने वाला नहीं है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ समय और दें . . . .

(श्री कासिम हसन का नाम पुकारे जाने पर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की कि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है ।)

श्री अधिष्ठाता—

शासन पक्ष के चार और विरोधी पक्ष के एक को बोलने के लिए माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

तीन और एक है । कार्यवाही का भाग है ।

एक सदस्य—

18 से 23 के बीच का अवसर हमें बोलने के लिए दिया गया था, परन्तु कोई अवसर अभी तक नहीं दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने जानकारी कर ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने चार सत्ता पक्ष के और एक विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य को बोलने का निर्णय दिया है। शासन पक्ष के तीन हो गए, एक और बोल लें, उसके बाद विरोधी पक्ष को अवसर मिलेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है कि इस हाउस में अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ही व्यवस्था दी है और प्रोसीडिंग्स का व; हिस्सा भी है कि तीन उधर के बोलेंगे और एक इधर का बोलेगा। अगर मैं गलत हूं तो प्रोसीडिंग को देख लिया जाय। आप चार और एक कहते हैं। अध्यक्ष जी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। कार्यवाही हो रही है तो कार्यवाही स्थगित की जाय। जब अध्यक्ष जो आयें तब. . . . (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अध्यक्ष द्वारा जो लिस्ट हमको मिली है; उसमें 66 सदस्य सरकारी पक्ष के बोल चुके हैं और 24 सदस्य विरोधी पक्ष के। अब माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है कि 4 सरकारी पक्ष के बोलेंगे और एक विरोधी पक्ष का बोलेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

तीन और एक का निर्णय कैंसिल हो गया ?

श्री अधिष्ठाता—

आप खद नियमों के जानकार हैं और अधिष्टाता मण्डल के सदस्य भी हैं। अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दे दी है उसके ही अन्तर्गत मैं चल रहा हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता था कि माननीय अध्यक्ष जी यहां यह तय हुआ था तीन और एक और उस निर्णय को उन्होंने यहां सदन में भी सुनाया था। आप इस सदन के पुराने सदस्य रहे हैं। आपको हर बात मालूम है। आप विरोधी दल में भी रहे हैं और यह जानते हैं कि विरोधी पक्ष को कुछ ज्यादा समय हर विषय पर बोलने के लिए मिलता रहा है। अब पीठासीन अधिकारी ने अपने पहले के निर्णय को अपने आप समाप्त कर दिया। मैं पीठासीन अधिकारी के अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो बात सबकी सलाह मशविरा से तय हुई कि विरोधी पक्ष को ज्यादा समय मिलना चाहिए, अब उसके बरखिलाफ विरोधी पक्ष के सदस्यों के समय में कटौती करके उनके हुकूक पर कुठाराघात हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी बात समझ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष ने जो स्वविवेक से निर्णय दिया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं आपके आदेश के आगे नतमस्तक हूं। हम यह भी मानते हैं कि आपको विशेषाधिकार है। अध्यक्ष चाहे तो 3 की जगह 5 और एक को बुलाए। लेकिन रूलिंग को बदल कर अब 4 व 1 करना और हमें न बतलाना इस पर हमें खेद है कि किस तरह से एक तरफा कार्यवाही, हमसे बिना राय किए हुए आपकी तरफ से हो रही है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री कासिम हसन अपना भाषण जारी करें ।

*श्री कासिम हसन (जिला फतेहपुर)—

बहुत दिनों के बाद यह अवसर प्रदान किया गया है कि मैं इस सदन के सामने अपनी बातें रख सकूं। इस सदन को चलते 9 दिन हो गए और इन 9 दिनों में विरोधी दल के नेता ने सिर्फ एक बात अलापी है कि हरिजनों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि 19 महीने की आपात्कालीन स्थिति में उन्होंने यह अवसर भी किसी को नहीं दिया। लोगों को जेल में डाल दिया और कोई उनसे मिल नहीं सकता था। सबकी जबान पर ताला डाल दिया था। अखबार में कोई बात छप नहीं सकती थी लेकिन आज लोकतांत्रिक सरकार के स्थापित होने पर विरोधी दल जो पहले सरकार में था जनता पार्टी के राज्य में बड़ी चीख-पुकार कर रहा है कि हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं। हमारे भाई, विरोधी दल के नेता यह भी तो सोचें कि 30 साल के अन्दर आपने कितने लोगों की जबानें बन्द कीं, कितने लोगों का गला घोंटा और कितने लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। कितने हरिजनों को आपने जरा बतायें, सुविधाएं दीं जिनका कि आप रोना रोते हैं ? उनको आपने बेवकूफ बनाया यह कह कर कि हम तुम्हें जमीन के पट्टे देंगे। आपने कहा था कि कोई हरिजन बगैर जमीन के नहीं रह पाएगा, लेकिन आज भी जो जमीन उनको मिली है उसके पट्टे उनको नहीं मिले हैं। उनको आप जमीन नहीं दिला पाए हैं। हमसे इन तीन महीनों में ही आप कितनी आशा करते हैं ? कैसे हम तीन महीने के अन्दर दूध की नदियां बहा देंगे ? आपके जमाने में यहां भुखमरी नहीं मिट सकी। आपने यहां भ्रष्टाचार फैलाया। मुसलमानों को हमेशा गलत प्रोत्साहित करते रहे, लेकिन कभी भी उनको सही रूप में प्रोत्साहन नहीं दिया। जिससे कि उनका पिछड़ापन दूर हो सके। आज फिर आवाज आप उठाते हैं हरिजनों की, उनको आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं। देश के अन्दर जो सुधार आया है उसको आप नहीं चाहते हैं, जो जुल्म और तशद्दुद आपने ढाए उसी से जनता ने आज आप पर कालिख पोत दी है। आज आपको बोलने का हक नहीं रह गया है जो आज भ्रष्टाचार का रोना रो रहे हैं, वह आपने फैलाया। आपने हरिजनों को लड़ा कर उनको बेवकूफ बनाया। आपके वक्त में जुल्म होते रहे। जो आपने जुल्म किए उनकी बुनियादी तौर पर जांच करने की बात कही गई है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसके लिए जिक्र किया गया है। आज हर वर्ग को अपना एक हक मांगने का अवसर दिया गया है। आपको हमें कुछ समय देना चाहिए आपको तो सवाल करने का हक ही नहीं है। अभी तो आप अपने काले कारनामे सुन रहे हैं। पुलिस ने भाई और बहनों को पकड़ कर थाने में नंगा करके आपके जमाने में बैठाया था। जुल्म और बेइनसाफी की कोई लिमिट नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने में भी वह नहीं हुआ था।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप बैठें, आपका समय हो गया है ।

श्री कासिम हसन—

अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, अब आप बैठें ।

एक सदस्य—

मैं सुबह से खड़ा हो रहा हूं । मैं बैठूंगा नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

चार आदमी इधर से, सत्ताधारी पक्ष से बोल चुके हैं (व्यवधान)

श्री कासिम हसन—

हमारा फतेहपुर जिला कानपुर और इलाहाबाद के बीच पड़ता है उसके बारे में कुछ कहना है । . . .

श्री अधिष्ठाता—

इस वक्त नहीं ।

*श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठात महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनता पार्टी की शक्ल में यह जनता पार्टी के बुर्के में संविद सरकार बैठी है । मैं तो इसको संविद सरकार मानता हूं । इसके जो उद्देश्य है और जनता के सामने जो प्रोग्राम है, उनके बारे में मुझे कुछ कहना है । ये इमरजेंसी की बड़ी भर्त्सना कर रहे हैं, बड़ा दुख प्रकट कर रहे हैं । अगर इमरजेंसी न लगी होती तो इस शक्ल में आप नहीं बैठे होते । यह इमरजेंसी की वजह ही है कि आज आप उधर बैठे हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार की बड़ी आवाज उठाई है । भ्रष्टाचार को इन्होंने माना है कि ऊपर से होता है और कुर्सियों में भी होता है । किन्तु आज आप कुर्सी पर हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके जिम्मेदार ये हैं, चाहे प्रदेश में हो या देश में ।

ये विरोधी दल के नेताओं की बड़ी भर्त्सना करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यही विरोधी नेता यदि जनता पार्टी में शामिल होना चाहें तो उनके लिए इनके दरवाजे खुले हैं । यदि यह नहीं है तो राजा दिनेश सिंह को कैसे ले लिया ? इन्होंने कहा था कि दल बदलुओं को बढ़ावा नहीं देंगे, इन्होंने कहा था कि हम प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देंगे और सब सादगी से रहेंगे, लेकिन उनके यह वायदे सब कहां चले गए ? सब उसके विपरीत हो रहा है । कथनी करनी में फर्क हो गया है । वर्तमान मुख्य मन्त्री का कार्य-क्षेत्र वकालत रहा है, जब वह वकील थे तो कचहरियों में जो भ्रष्टाचार होता है, उससे वह और माननीय सदस्य क्या परिचित नहीं हैं ? आज भ्रष्टाचार की हालत यह है कि लाश का पैसा भी वसूल किया जाता है । हमारे यहां एक आदमी मर गया था चोट से । उसका पोस्ट-मार्टम करने के बाद उसके दफनाने का काम करना था, किन्तु उसके दफनाने के सम्बन्ध में उसकी लाश का पैसा ले लिया गया है । हम कहीं अलग से नहीं आए हैं, हम सब जानते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह जो गरीबी–अमीरी का अन्तर है और जमीन आसमान के बराबर है, उसको मिटाने का आपका क्या प्रोग्राम है? बेकारों को काम देने का आपका क्या प्रोग्राम है ? आपने जो नारा दिया था––हर खेत को पानी और हर हाथ को रोजगार, उस प्रोग्राम का क्या हुआ? हमारा भूमि संशोधन विधेयक पारित हुआ, उसमें सबको भूमिधरी का अधिकार मिल गया। किन्तु हम जानते हैं कि जमींदारी के जमाने में लोगों को आबाद करने के लिए उन्हें जो अधिकार दिया गया था, उसके फलस्वरूप अब तक उनको आबादी का अधिकार नहीं दिया गया है। तो यदि जोत की जमीन पर भूमिधर का अधिकार देते हैं तो आबादी की जमीन पर तो पहले उनको अधिकार दें। आबाद होने वालों को घर की गारन्टी नहीं दी गयी है, तो यह भूमिधरी किस काम की ? इस जनता राज्य में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए यह जिम्मेदार हैं, और अच्छा हो कि हम सब मिलकर उसकी जिम्मेदारी लें। मेरे क्षेत्र में 29 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय, कुमारगंज बन रहा है, उसमें जनता पार्टी की तरफ ही बैठे लोग अपने लोगों को नियुक्त कराकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं।

किसन लाल दिलेर (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपकी आज्ञा से राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर मिला है। इस अवसर पर कुछ मेरे क्षेत्र की समस्यायें हैं, जिनका अभिभाषण में जिक्र नहीं आया, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। तहसील कोल, जिला अलीगढ़ को हरदुवागंज से जलाली, अलीगढ़ से गंगीरी और बड़ौन से ल्हौसरा तक सड़क बनवाना बहुत ही आवश्यक है और साथ ही अलीगढ़ से अतरौली सड़क तथा दोरऊ से पिसावा तक सड़क की मरम्मत होना भी बहुत जरूरी है जिनका जिक्र अभिभाषण में नहीं आया है। अतः मेरा सुझाव है कि इनको अभिभाषण में सम्मिलित कर दिया जाय। फसल के बीमे का जिक्र अभिभाषण में नहीं आया है, किसान की फसल खराब हो जाती है, तो वह त्राहि-त्राहि कर उठते हैं। तो फसल के बीमे का जिक्र भी उसमें आ जाना चाहिए। हमारे इस सदन में, हम जितने सदस्य आए हैं, हरिजनों का गीत गाया जा रहा है।

बड़े दुख का विषय है, मैं नेता, विरोधी दल को बताना चाहता हूं यह महसूस होता है कि आप लोग कांग्रेसी विरोधी दल के रूप में प्रकट नहीं हुए। जिस तरीके से वकालत कर रहे हैं, अन्दाजा यह लग रहा है कि तमाम के तमाम हरिजन ही हैं, जैसी वकालत हो रही है। क्या वह उस जमाने को भूल गए जिस जमाने में आपका शासन था ? इमरजेंसी पीरियड में मुरसात में 16 महीने तक सफाई कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिली ? जंहगीराबाद में 26 हरिजनों को सस्पेंड कर दिया गया केवल नसबन्दी के कारण। उनको आज तक बहाल नहीं किया गया। उनकी दरख्वास्तें मन्त्री महोदय के पास भी आ चुकी हैं। उस वक्त आप कहां थे ? मैं नेता विरोधी दल को बताना चाहता हूं कि यहां लखनऊ में जब हरिजनों के मकान तोड़े जा रहे थे, पचासों मकान तोड़े गए, जमीन बेचारों को थोड़ी दी गयी, लेकिन आज तक गरीबी के कारण घर नहीं बना पाए। उस वक्त कहां थे ? एक हरिजन लालाराम था उसका मकान तोड़ा गया, जमीन नहीं मिल पाई। उस वक्त कहां थे आप ? अगर आपको विश्वास न हो तो मेरे पास जीती-जागती मिसाल है मकान टूटा पड़ा है, ईन्टें बिखरी पड़ी हैं। लेकिन आज देखते हैं कि आप हरिजनों की वकालत कर रहे हैं। अफसोस होता है, दुख होता है।

[श्री किशन काल दिलेर]

हमें याद आती है उस वक्त की जब कि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी हरिजनों पर अत्याचार कर रही थी। आप सोचिए जिस वक्त हम लोग जेलों में थे, उस वक्त बच्चों पर क्या जुल्म ढाए गए। उन पर यह आरोप लगाया गया कि रेल लाइनें की पटरी उखाड़ रहे थे। याद आती है उन बहनों की जिनकी खनखनाती चूड़ियां टूट रही थीं, नसबन्दी के कारण लोग मृत्यु की शैय्या पर सो रहे थे। लेकिन आज विरोधी दल कहता है कि जनता पार्टी अत्याचार कर रही है हरिजनों पर। ऐसा नहीं है। जनता पार्टी जो आपने तीस वर्षों में नहीं किया, वह करके दिखाएगी।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, आज जो अवसर आपने दिया उसके लिए हम पहले आभार प्रकट करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आभार नहीं, आपका दायित्व है।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

जो बहस चल रही है उसमें चार दिन से दोनों ओर से प्रवचन सुनता रहा। तमाम बातें सामने आयीं उसमें जो चीज छूटी है उस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जेल सुधार की ओर शासन का ध्यान जाना चाहिए। जिस नारकीय हालत में हम रखे गए थे उधर ध्यान नहीं जाता तो हम लोगों का जेल काटना व्यर्थ होगा क्योंकि कांग्रेस के राज्य में जिस प्रकार दुर्व्यवस्था थी, वही बनी रही तो बड़े दुख की बात होगी।

दूसरे, शिक्षा की अव्यवस्था दूर होनी चाहिए। बेसिक सिस्टम आफ एजूकेशन जो एक दम उपेक्षित है, उस तरफ शासन का ध्यान बिल्कुल नहीं है। हायर सेकेण्डरी स्कूलों में दुर्व्यवस्था है। एक-एक स्कूल में दो-दो प्रधानाचार्य बैठे हैं, मारपीट की नौबत आ रही है। आपने मान्यवर, देखा होगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में स्वच्छ प्रशासन देने की बात और भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात कही गयी है। भ्रष्टाचार उन्मूलन प्राथमिक स्तर पर और हायर सेकेण्डरी स्तर पर समाप्त करके आरम्भ करना चाहिए। मान्यवर, जहां तक नवयुवकों की गिरफ्तारी का प्रश्न है, इसको माननीय सदस्यों ने आपके सामने रखा। लोगों को मौत के घाट उतारा गया और उनको मुआवजा नहीं दिया गया। दिनांक 11 अक्तूबर, 1976 को हमारे यहां एक घटना घटी, वह घटना खाद के गोदाम पर घटी। इस सम्बन्ध में 20 आदमियों पर मुकदमा चलाया गया जिसमें हमारे रामधारी शास्त्री, जो अब एम0पी0 हैं, उन पर भी मुकदमा चलाया गया। मान्यवर, जिस इलाके से मैं आता हूं वहां पर सड़कों का अभाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नहर की पटरियां जो हैं, उनको पक्का किया जाए जिससे यातायात की सुविधा हो सके। जोकवा रजबहा जो फाजिलनगर से बनकटा बाजार तक जाती है, उसकी बायीं पटरी को पक्का कर दिया जाए तो इस क्षेत्र की जनता की आवागमन सम्बन्धी कठिनाई बहुत हद तक दूर हो जावेगी। दूसरे मधुरिया रजबहा की पटरी को जोकबा बाजार से जौरा बाजार तक पक्का कर दिया जाए तो जनता को आवागमन सम्बन्धी काफी सुविधा मिल जावेगी।

अधिष्ठाता महोदय, अभी हाल ही में सुना है और देखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया था और अब वे अनशन का नोटिस दे चुके हैं। मैं पी0 टी0 टीचर्स की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उनके प्रति बड़ी उपेक्षा बरती जा रही है। पहले उनको एल0 टी0 ग्रेड दिए जाने की बात थी लेकिन अब सी0 टी0 ग्रेड दिया जा रहा है। इसलिए उनको जो एल0 टी0 ग्रेड दिया गया था जो अब सी0टी0 ग्रेड कर दिया गया है, उस ओर शासन को ध्यान देना चाहिए। नवयुवकों के लिए शारीरिक शिक्षा का बड़ा महत्व है। इसलिए इस ओर किसी उपेक्षा का किया जाना अनुचित होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कुशीनगर एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। उस स्थान पर मैं मांग करता हूं कि एक स्टेडियम बनाया जाए।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दीजिए।

हमारे प्रशासन को स्वच्छ रखने के लिए कड़ाई बरतनी चाहिए। जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और जो मेहनती और ईमानदार कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। पडरौना इण्टर कालेज में कानून सम्बद्ध व्यवस्था चलाई जाय। यहां पर दो-दो प्रधानाचार्य लड़कों का प्रवेश ले रहे हैं।

*श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को भली प्रकार से पढ़ा है। तो ऐसा लगता है कि मानों कल के राज्यपाल और आज के राज्यपाल में जमीन आसमान का अन्तर है। मैं विरोधी पक्ष की आलोचनाओं तथा उनके द्वारा की गयी समालोचनाओं के ऊपर कुछ कह देना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति विधायक से लेकर मन्त्री तक वोट मांगने जाता है। जब उनके सामने वोट मांगने गए थे तो रचनात्मक कार्य करने के वायदे किए थे। इसलिए मेरा विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि इन वायदों को पूरा करने के लिए वे आज के शासन की सहायता करें। केवल आलोचना करने से मदद नहीं हो सकती है। सदन में बैठकर हम पूर्णरूप से एक दूसरे की आलोचना करते रहें और जनता के हित में जो रचनात्मक कार्य हैं, उनकी ओर से विमुख हो जायं तो एक ऐसे दलदल में फंसे रहेंगे जिससे निकलना कठिन हो जायगा। मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि हमारा सदन 9 दिन से चल रहा है,इन 9 दिनों में हम एक दूसरे की कटु आलोचना करते रहे हैं, तो क्या इससे हम जनता का कोई भला करने जा रहे हैं या क्या इससे प्रदेश की कोई भलाई होने वाली है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामप्रताप शास्त्री]

मैं अपने विरोध पक्ष के भाइयों से जानना चाहता हूं कि क्या इस आपात स्थिति में इन 19 महीनों के दौरान जो कुछ भी हुआ यह उनकी जानकारी में नहीं है ? मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आप उसके अपराधी हैं, लेकिन यह सही है कि आपने जानबूझकर इन अपराधों को सहन किया है। आपने अपनी सरकार के जुर्मों को उसी प्रकार से सहन किया है जिस प्रकार से भीष्म पितामह द्रोपदी के चीर हरण के समय कौरवों की कार्यवाही को सहन करते रहे और द्रोपदी का चीर हरण होता रहा। मैं इस बात का भी स्मरण कराना चाहता हूं कि इस 19 महीने की अवधि में आपने जो खमोशी ग्रहण की और सरकार के जुर्मों को सहन किया, मैं यह समझता हूं कि आपने अपनी सरकार के और अपनी रक्षा के हित में यह सब कुछ सहन किया, लेकिन जनता के हित की बात आपके दिमाग में कभी नहीं आई। 30 वर्षों तक शासन करने के बाद आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हरिजनों की बात करते हैं और अनेक प्रकार के जुर्मों की बात आप करते हैं। तो मैं आपसे समालोचना के तौर पर यह पूछना चाहता हूं, मैं यह नहीं कहता चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के जन्मदाता हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

और आप पोषक हैं।

श्री राम प्रताप शास्त्री--

मान्यवर, पहले इस प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं पाए जाते थे। विदेशी शासनकाल में भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं देखा जाता था क्योंकि मैं भी कांग्रेसी था। आप जो आज कांग्रेस की दुहाई देते हैं, अंग्रेजों के जमाने में जो जुर्म हुए और जो भ्रष्टाचार था, कांग्रेसी शासन काल से कहीं कम था। यह मुझे इसलिए स्मरण है क्योंकि मेरी आयु 63 साल की है। मैंने आपका शासन काल देखा लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भ्रष्टाचार कांग्रेसियों के समय में था, उतना कभी भी इस देश में नहीं देखा गया था।

मिश्रा जी खड़े होकर तीन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। पहला तो यह है कि क्या भ्रष्टाचार के आप जन्मदाता नहीं हैं ? दूसरा, आपने आपात्कालीन स्थिति में 19 माह के अत्याचारों को नहीं देखा ?

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुना। प्रसन्नता तो इस बात की है कि ऐसे एक गहा व्यक्ति ने कम से कम उस जुल्म और अन्याय का, जिसका समाज शिकार हुआ था उसको उन्होंने स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानता है वह प्रशंसा के योग्य होता है। खैर, यह कहना अवश्य है कि इस स्वीकृति के बाद यह लगभग तय हो जाता है कि अन्याय, अत्याचार हुआ और इसके लिए हमारी सरकार इन अधिकारियों को किस प्रकार दंडित करने जा रही है ? हो सकता था कि इस स्वीकृति के बाद जिनके साथ अन्याय, अत्याचार हुआ वे अदालत में जाते तो लाखों करोड़ों की डिग्रीज सरकार के खिलाफ और विशेष व्यक्तियों के खिलाफ हो जाती।

आज हम देखते हैं कि वही सुपरिंटेंडेंट पुलिस, वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारे बीच में उन अधिकांश जिलों में मौजूद हैं। जब प्राइमा-फेसी केस उनके विरुद्ध बन जाता है तो सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। आप कहेंगे कि शाह कमीशन तय करेगा, लेकिन प्राइमा-फेसी केसेज बनने के बाद मैं समझता हूं कि उनको निलम्बित होना चाहिए।

मैं दूसरी बात आपके समक्ष यह कहना चाहूंगा जो विशेष रूप से संविधान से सम्बन्धित है। राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के लोगों की प्रगति के बारे में जिक्र किया। प्रदेश और देश की प्रगति तब तक सम्भव नहीं है जब तक हमारी सरकार संविधान पर अमल नहीं करती है। हमारे प्रधान मन्त्री ने कल-परसों ही कहा कि वह सामाजिक, आर्थिक सुधार तब तक सम्भव नहीं है जब तक प्राहीबीशन पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता। जैसा कि उन्होंने कहा, वे कटिबद्ध हैं उसको लागू करने के लिए। लेकिन हमारे संविधान में 47 अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी इसे लागू करने की होगी। कर्त्तव्य होगा और राज्य सरकारें 10 वर्ष के अन्दर प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने में असफल रही हैं। आज हम देखते हैं कि इस निरक्षरता के युग में जो समाज में इतना ऊंच-नीच व्याप्त है, इन परिस्थितियों में देश प्रगति कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता है।

मैं आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकारों ने संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का उल्लंघन किया है। आज असमानता की खाई हमारे बीच में है और क्यों है? सरकार का कर्त्तव्य था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए कुछ व्यवस्था करती और उसके लिए हमारे संविधान में रूपरेखा दी हुई है। 15(4) में स्पष्ट दिया हुआ है :—

Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for the observation of appointment in favour of any backward class.....not adequately represented in services"

सारे आंकड़े मुख्य मन्त्री के सामने रखना चाहता हूं। हरिजन, जिनकी संख्या 20 फीसदी है, उनकी गजटेड नौकरियों में संख्या 46 में 16, 1955 में 70, 1960 में 114 और आज 400 कही जा सकती है। अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या 46 में 34, 55 में 25, 60 में 67 और आज 200 गजटेड नौकरियों से जबकि इनकी 60 फीसदी आबादी है, कही जा सकती है। इसी प्रकार से अग्रणी जातियों की संख्या सन् 1946 में 3201, 1955 में 4555, 1960 में 8,500 और आज 15 हजार कही जा सकती है जब इनकी जनसंख्या प्रदेश में 15 प्रतिशत है। इसी को देखकर हमारे पूज्य स्वर्गीय पं0 जवाहरलाल नेहरू ने कहा था :—

That administration of the country is being dominated by a handful of classes and if this state of affairs goes on unchecked, consequences would be disasterous".

श्री अध्यक्ष—

समय समाप्त।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन जो हमने रखे हैं वे चुनाव पर किए गए वायदों पर आधारित हैं जिसको पूरा करके ही यह सरकार एक सुदृढ़ और प्रगतिशील

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

शासन दे सकती हैं और जिसकी आशा प्रदेश की सारी जनता लगाए बैठी है। इस समय दो चीजें ऐसी हैं जो पूरे सदन और देश की जनता का ध्यान आकर्षित करती है—मीसा और 42वां संशोधन। हमारे सदन को तत्काल इनको निरस्त कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब कोई सरकार निरंकुशता की तरफ बढ़ती है तो यही सबसे बड़े हथियार हैं। उस समय पार्लियामेंट में भी विरोध पक्ष ने कहा था कि मीसा का प्रयोग किया जायगा तो राजनैतिक कारणों के आधार पर किया जायगा। अभी बंगाल सरकार ने पूरे राजनीतिक बन्दियों को छोड़ दिया है। हम लोगों को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और जितने भी राजनीतिक बन्दी हैं, सबको छोड़ देना चाहिए जिसमें बनारस का हरौरा काण्ड भी है। वह भी हरिजनों के उत्पीड़न का एक काण्ड है जिसमें बहुत लोगों को सजाएं हुई हैं, उनको छोड़ देना चाहिए।

मैं आपका ध्यान विद्युत् संकट की तरफ ले जा रहा हूं, भले ही सरकार कहती है कि विद्युत् संकट नहीं है। विद्युत् संकट मानव का बनाया हुआ संकट है। बड़े दुख की बात है कि एक सी0 पी0 आई0 के नेता, श्री हरीश तिवारी को वहां के कर्मचारी लोगों ने पीटा, लेकिन उसके पीछे बड़ी तिकड़मबाजी है, ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। उसमें हमारे विद्युत् मन्त्री महोदय का विशेष हाथ है। मैंने जानकारी की है। उन्होंने पीटने के लिए नहीं कहा, लेकिन वहां का जो बड़ा अफसर है, उसने यूनियन में दलबन्दी कराके जो हड़ताल कराई है। हम मानते हैं कि यह हड़ताल इस समय जायज नहीं है, हमारी नयी सरकार है, यह विद्युत् संकट आपका बनाया हुआ है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 2 हजार मेघावाट बिजली अगर तैयार होती है तो उसमें 1/3 छीज चली जाती है, 1/3 मशीनों की खराबी के कारण छीज जाती है। इसको रोका जाना चाहिए।

गन्ने की कीमत कम से कम 15 रुपए अवश्य होना चाहिए। हरिजनों के उत्पीड़न की आज भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम खास-खास कामों के लिए भी मन्त्री जी के पास मिलने जाते हैं तो उनसे मिल भी नहीं पाते हैं। उनसे सम्पर्क ही नहीं कर पाते।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में हरिजनों के बारे में बहुत चर्चा सुनी। मुझे उसे सुन कर ऐसा लगा कि जिस तरह से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हुआ था, उसी प्रकार कुछ लोग हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाकर उनका बटवारा कराना चाहते हैं। भूतपूर्व जो इन्दिरा जुल्मी सरकार रही उसकी जितनी निन्दा की जाए वह कम है। जब हमने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो हम इस बात को नहीं जानते थे। इमरजेंसी के समय इन लोगों ने क्या-क्या किया, जब हरिजनों ने नसबन्दी कराई तब उनको जमीनें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी गईं, और पट्टा उन जमीनों का किया गया। मैंने अपने मलिहाबाद क्षेत्र का दौरा करके देखा, जमीनों पर कब्जा अभी तक नहीं मिला। उन जमीनों पर कब्जा उन लोगों का है जो उस वक्त सत्ता में थे। यह बड़े लज्जा की बात है।

मान्यवर, दिल्ली में जामा मस्जिद की दीवार को ही तोड़ डाला गया, उसके इमाम साहब को जेल भेज दिया गया और मुसलमानों के साथ क्या-क्या अत्याचा हुए, सब जानते हैं।

मान्यवर, हमारे यहां माल के इलाके में, काकोरी और मलिहाबाद के इलाके में बहुत ज्यादा कत्ल और डकैतियां हो रही हैं। अभी हमारे यहां की जो सी0 ओ0 हैं, कंचना जी, उनका एक बयान निकला है जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि एक डकैत मारा गया। जो आदमी मरा है न उसके खिलाफ कभी कोई डकैती का मुकदमा चला, न उसको कभी गिरफ्तार किया गया। वह और उसकी औरत मारी गई है। उसको डकैत बनाकर उसको मारने का श्रेय यह लेना चाहती हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए ऐसी सी0ओ0 की बिलकुल जरूरत नहीं है, उनको कहीं और भेजा जाय।

हमारे यहां एक भी पक्की सड़क नहीं है। जिला परिषद् के अध्यक्ष, प्लानिंग आफिसर और अन्य अधिकारी कागजों में सड़कों को दिखाते रहे, बनी एक नहीं। कुछ सड़कें पी0 डब्लू0डी0 की हैं और कुछ जिला परिषद् का जो इलाका है जंगल का, 12 बसें चलती हैं, उनकी यातायात बन्द है, लोगों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह तुरन्त इसको देख कर ऐसी जिला परिषदों को मुअत्तल कर दें।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि अधिक समय नहीं है। मान्यवर, उन अफसरों से मुझे यह शिकायत है कि इमरजेंसी के समय में जिस तरह से उन्होंने हरकतें कीं, अगर अब भी उनके दिमाग में यह बात है, तो वे यह समझ लें कि जिस प्रकार से जनता ने जैसे जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंका है, उसी तरह से उन अफसरों को उखाड़ फेंकेगी। अगर वे अफसर जुल्म करते हैं तो जनता उसका मुकाबिला करेगी। जै हिन्द।

*श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को अच्छी तरह से पढ़ा और अपनी जनता पार्टी के लोगों तथा विरोधी पक्ष के लोगों की बातों को भी ध्यान से सुना। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं जनता पार्टी के लोगों से, जिसे जनता ने भारी बहुमत से भेजा है, इमरजेंसी और मीसा के मुद्दे पर जनता ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया इस मुल्क से और जनता पार्टी का समर्थन जनता ने दिया। लेकिन यह भी बात सही है कि अगर कांग्रेस की नकल आप करेंगे, जिस प्रकार से 30 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन चलाया है, जिस तरह से लोगों का मनोबल गिराया है, तमाम कुकर्म किए हैं, अगर उसकी नकल करेंगे तो जो दशा कांग्रेस की हुई उससे बुरी दशा आपकी होगी। इसको भूलिए मत। जनता चौराहे पर खड़ी है, और जनता यह चाहती है कि जनता पार्टी का शासन हर हाथ को काम दे और हर खेतों को पानी पहुंचाए, महंगाई को समाप्त करे। अगर यह काम जनता पार्टी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बांके लाल]

के लोग नहीं करेंगे तो निश्चित है, जनता की यह राय है कि कांग्रेस तो 30 वर्ष चली है आप 30 महीने नहीं चल सकेंगे। यह सोचना चाहिए और एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं अपने दल के लोगों से, अपने दल के मन्त्रियों से और माननीय मुख्य मन्त्री जी से, जो नवजवान विधायक आए हुए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि भारी बहुमत के उन्माद में, अगर विरोधी पक्ष के लोग कोई सही बात कहते हैं, तो उनको आप मानें। यह मेरा स्पष्ट मत है, मेरी बुद्धि यह चाहती है कि अपोजीशन के लोगों की बातों को इत्मिनान से सुनी जाय और जम कर उसका जवाब दिया जाय। अगर कोई कड़ी से कड़ी बात कोई अपोजीशन का सदस्य कहता है, तो सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। हमको उनकी बात सुननी चाहिए और जब हमारा जबाब देने का समय आए तो हम उसका मुस्तकिल ढंग से जवाब दें। हमारे जितने मन्त्रिगण हैं,वे सदन में बैठते नहीं हैं, जवाब देने के समय भी वे नहीं रहते हैं। यहां पर जो माननीय सदस्य हैं, वे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वे सब पूरे समय तक बैठे रहते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो भयंकर भीड़ उपस्थित हुई है, केवल ट्रान्सफर के मामले के लिए है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सारे प्रान्त के तमाम लोग एक साथ हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह ट्रान्सफर का मसला ऐसा हो गया है कि सभी परेशान हैं। अगर आप 5 अफसरों को गिरफ्तार कल करिये तो कल ही शाम को सारा लखनऊ सूना हो जाय। नहीं तो यह करिए कि 5 साल तक इन लोगों का ट्रान्सफर नहीं होगा। तब तो काम चलेगा वरना इस तरह से काम नहीं चलेगा।

आपको सिचाई और सड़कों के निर्माण की ओर देखना पड़ेगा। बेकार हाथों को काम दिलाना पड़ेगा। देश में करीब 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक इंच जमीन नहीं है। कांग्रेस ने जैसा किया वह तरीका अख्तियार नहीं होना चाहिए। मुस्तकिल कदम उठाने चाहिए और सीलिंग की जमीन जो निकली है, उनको निश्चित रूप से भूमिहीनों में बांटना चाहिए। ऐसे काम नहीं होने चाहिए जिसका असर जनता पर अच्छा न पड़े। हमको अपने तरीके को ठीक करना होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग जनता पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह खुद ही टूट जायेंगे। ऐसे कदम उठाए जायं जिससे गरीबी दूर हो और हर हाथ को काम मिले।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बांके लाल--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद के प्रस्ताव को समर्थन दे रहा हूं, 30 वर्षों के बाद।

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से मैं मुख्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मन्त्री महोदय का ध्यान आपात्कालीन स्थिति से कुछ पूर्व और आपात्कालीन स्थिति में हुई घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, गाजीपुर में रेवतीपुर एक ग्राम है। जब जयप्रकाश जी का आन्दोलन बिहार में चल रहा था तो रेवतीपुर हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला और जय प्रकाश जिन्दाबाद का नारा लगाया। नतीजा यह हुआ कि उन छात्रों को पीटा गया और 28 छात्रों पर आज भी मुकदमा चल रहा है। मान्यवर, उनमें से एक छात्र प्रेम शंकर राय है। बार्डर सेक्योरिटी फोर्स में उनको काम मिल गया था, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद उसको वापस कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। 28 छात्रों का भविष्य खतरें में है। अगर तत्काल फैसला न किया गया और मुकदमें चले और उन की जिन्दगी तबाह हो गयी तो वह क्रिमिनल हो जायेंगे, समाज के सरदर्द हो जायेंगे।

मैं एक घटना की ओर और ध्यान खींचना चाहता हूं। बनारसी राम नाम का एक गरीब क्लर्क जो ट्रेजरी में नौकरी करता था। उसको पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। हुआ यह कि एक दिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस का बिल, जो टी0 ए0 बिल था और फाल्स बिल था, उस पर उसने आपत्ति लगा दी थी। तो इसलिए बनारसी राम को पीटा गया। मान्यवर, वह आज भी मुअत्तल है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इस ओर ध्यान जाना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो बड़ी ज्यादती होगी।

मान्यवर, विश्वनाथ सिंह ने लोक सभा में भाषण के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की गरीबी की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। तो एक पटेल कमीशन बना जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। मैं उम्मीद करता था कि राज्यपाल के अभिभाषण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर करने का जिक्र होगा, लेकिन वह नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ सुविधाएं दी जायं जो कि पटेल कमीशन ने रिकमेंड किया था। मान्यवर, वहां कोई उद्योग नहीं है। वहां खेती होती है जिसको ठीक करने के लिए व्यक्तिगत सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पटेल कमीशन ने सिंचाई में 50 प्रतिशत की सुविधा की बात कही थी। किसानों को राहत देने और पम्पिग सेट तथा नलकूपों की 25 फीसदी सुविधा देने की सिफारिश की थी। लेकिन पटेल कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिलने वाली सहायता सब समाप्त कर दी गयी है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तकावी लोन के बारे में कोआपरेटिव क्रेडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि गरीब अंचल के किसानों को उनकी तरक्की के लिए सवा छः प्रतिशत सूद पर ऋण दिया जाय। लेकिन अफसोस होता है कि पिछड़े इलाकों में जो सूद बैंक द्वारा चार्ज किया जा रहा है, वह बहुत ज्यादा है। इसलिए मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं और वह स्वयं पूर्वी अंचल से आते हैं और वहां के किसानों और मजदूरों की दुर्दशा से भली-भांति परिचित हैं कि कर्जा किसानों को दें। परिणामस्वरूप खेती होगी और अनाज पैदा होगा। लेकिन सूद कोआपरेटिव क्रेडिट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चार्ज करना चाहिए। धन्यवाद।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन पेश किया है कि पिछड़ी जातियों को 15 प्रतिशत स्थान सरकारी नौकरियों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं की नौकरियों में दिया जाय। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि 30 वर्ष तक वह शासन में रहे हैं तो उनकी सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या-क्या किया है? आंकड़े हैं और यदि वह 15 प्रतिशत रिजर्वेशन दिए होते तो आज जो पिछड़ी जातियों की दशा है, वह न होती। सन् 1946 में नौकरियों में पिछड़ी जातियों की संख्या 34 थी, 1955 में घटकर 25 हो गयी, लेकिन 1967 में 67 हुई। आज उनकी संख्या अधिक से अधिक 100 है जबकि संरक्षण के आधार पर हरिजनों की संख्या 160 से बढ़कर 194 सन् 1960 में पहुंची थी। आज उनकी संख्या 250 और 300 तक है। मान्यवर, आज पिछड़ी जातियों ने कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया और लोक संभा चुनाव में कांग्रेस को पराजित किया। इस विधान सभा के चुनाव में भी कांग्रेस पराजित हुई तो वह घड़ियाली आंसू बहाने चले हैं कि 15 प्रतिशत स्थान नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए सुरक्षित किए जायं, जबकि जनता पार्टी की सरकार ने 25 से लेकर 33 प्रतिशत घोषणा की है। मैं विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूं कि वह जनता पार्टी के घोषणा-पत्र को देखें। जनता पार्टी का ध्यान पिछड़ी जाति तथा और वर्ग के लोगों की तरफ है। पिछड़े वर्गों को संरक्षण देकर उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए जनता पार्टी सजग है।

इसके साथ-साथ दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। नम्बर 1 यह कि आज हरिजनों के बारे में कहा जाता है कि ग्राम सभा से निकली जमीनों को भूमिहीनों में बांटा जाय। इसके लिए तो बहुत पहले से संघर्ष करते आए हैं। इसके कारण, 1968, 66, 65, 64 में जेलखाने गए और डण्डे खाए। जब यह आवाज उठती थी कि ग्राम सभाओं से निकली जमीन को हरिजनों में बांटी जाय तो जेलखाने में भेज देते। अब जब बड़े आदमियों ने सारी जमीन हड़प ली तो बांटने चले। अब बांटने के लिए कौन सी जमीन है? वह जमीन है ताल और गड्ढों वाली जहां बारह महीने पानी भरा रहता है। ऐसी जगह हरिजनों को जमीन दी और कहा कि वहां कब्जा करने जाय। आज यह आवाज उठाई जाती है कि हरिजनों के कब्जे छीने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह वह जमीनें हैं जिन पर कांग्रेसी सरकार उनको कब्जा नहीं दिला पाई थी। इन सब बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। महोदय, इसके पहले भी दो सत्रों में राज्यपाल का अभिभाषण सुनने का अवसर मिला था। मुझे बड़ा दुख हुआ इस सत्र में उनके अभिभाषण को सुनकर। उन्होंने इसमें चर्चा की क्रान्ति की कि चुनाव जो 1977 में जनता पार्टी ने जीता। इससे पहले उन्होंने अपने अभिभाषण में इन्दिरा गांधी की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी और आपात्-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति की सराहना की थी। उनका यह परस्पर विरोधी भाषण सुनकर मुझे दुख हुआ। सम्भवत: वे अपने दिल से भाषण नहीं कर रहे थे बल्कि परिस्थितियों ने उनको मजबूर रखा। मैं इसको क्रान्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। चुनाव की प्रक्रिया में जीत और पराजय सम्भावित है। अगर हम मान लें कि यहां जनता की जीत क्रान्ति का प्रतीक है तो हम क्यों न मानें कि दक्षिण भारत में कांग्रेस की जीत क्रान्ति की प्रतीक है। हम बिल्कुल प्रतीक नहीं मानते। न उनकी विजय को प्रतीक मानते हैं और न आपकी विजय को प्रतीक मानते हैं। इस प्रकार यदि चुनाव में हार और जीत क्रान्ति हुआ करे तो मैं बधाई दूंगा अपने भाइयों को जो चुन कर आए हैं रायबरेली से कि उन्होंने दो महीने में ही ऐसी क्रान्ति कर दी कि जहां से राज नारायण सिंह बहुत बड़ी जीत का गौरव लेकर गए थे वहां से, उन्हें पांच विधान सभा क्षेत्रों में बुरी तरह से पराजित कर दिया। मैं आपसे पुन: निवेदन करूंगा कि इसे क्रान्ति की संज्ञा न दीजिए बल्कि एक साधारण चुनाव प्रक्रिया मान कर विजय मानिये।

जहां तक इन तीस वर्षों में भ्रष्टाचार शब्द का बार-बार, जितने भाई उस पक्ष से बोलते हैं द्वारा प्रयोग करने का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उनका दिल भी दुखता होगा उन्हीं की तरह जो तीस वर्ष से इसकी कहानी कहते आए हैं। यह भ्रष्टाचार का वातावरण दलों से निकल कर जाना है, धोखा दे कर यह वातावरण मुल्क में पैदा हुआ है। अगर आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं तो मुझे सन्देह होता है कि जिस प्रकार सन्देह इस बात पर होता है कि कोई शराबी शराब की बोतल पीकर शराबी की भाषा में बोले कि शराब पीना महान पाप है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय प्रदान दिया। मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सदन में पहली बार बोल रहा हूं। लोक नायक, जय प्रकाश नारायन के नेतृत्व में चल रहे समग्र क्रान्ति के अन्दोलन में हम लोगों ने कांग्रेस के बर्बरतापूर्ण अत्याचारों को सहन किया है। आज सदन के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि जनता ने ब ी आकांक्षाओं के साथ, आशाओं के साथ हम लोगों को सदन में भेजा है। कहीं वे आशाएं और आकांक्षाएं धूमिल न हो जायं। हमने जनता में एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया है, प्रजातन्त्र के प्रति विश्वास पैदा किया है और यदि यह विश्वास खत्म हो गया तो कोई फायदा न होगा।

माननीय नेता विरोधी दल जो यहां पर नहीं हैं, क्रान्ति की चर्चा कर रहे थे। उन्हें मालूम होना चाहिए कि क्रान्ति की परिभाषा क्या है। सत्ता परिवर्तन ही क्रान्ति होती है, यह उन्हें मालूम नहीं है। जब इंग्लैंड में रिवोल्यूशन हुआ था और एक बून्द भी खून नहीं गिरा था तो उसे गौरवमय क्रान्ति की संज्ञा दी गयी थी। इसी तरह से इस देश और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जिस प्रकार से हुआ है, उसे क्रान्ति की संज्ञा दी जा रही है। जो दूसरी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वी ेन्द्र चतुर्वेदी]

क्रान्ति की बात है उसमें लोक नायक, जय प्रकाश का नाम भी आना चाहिए था। युवा वर्ग ने इस क्रान्ति को लाने में बड़ा योग दिया और जनता पार्टी और युवा वर्ग के आवाह्न पर यह सत्ता परिवर्तन हुआ है। युवा वर्ग की समस्याओं की ओर इस सरकार को ध्यान देना होगा, उसके असन्तोष को दूर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो विधान सभा की नींव तक हिल जायगी। युवा वर्ग की समस्याओं में बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, म ंगाई की समस्या है। सरकार को इन समस्याओं का हल निकालना होगा।

अब मैं अपने क्षेत्र की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र 30 लाख की आबादी का जिला है जो एक दम पिछ ा हुआ है। कांग्रेसी हुकूमत ने पटेल आयोग नियुक्त किया था, उस आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अपना भा ण समाप्त करें।

*†श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए ख ा हुआ हूं। सबको यह मालूम है कि देश में, प्रदेश में गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, बेकारी तथा महंगाई है। यह कैसे दूर हो, इसका उपाय नहीं किया गया। केवल भाषण दिए जाते हैं। भाषण से ये हटी नहीं और जनता भाषण सुनते-सुनते अकुला गयी है। न बेकारी खत्म हुई और न भ्रष्टाचार दूर हुआ। कांग्रेस की लीक पर जनता पार्टी भी चल रही है। जैसे देहात में लीक रहती है उसी पर लोग चलते हैं। जब तक किसान डंडा लेकर नहीं बैठता तब तक लोग लीक नहीं छोड़ते। जनता पार्टी के सामने डण्डा लेकर बैठना होगा, तभी वह लीक छोड़ेगी वर्ना वह उसी लीक पर चलेगी। हरिजन का बड़ा नाम लिया गया और कहा गया कि हरिजन को यह सुविधा दी गयी। बहुत सी सुविधाएं दी गयीं यह कहा गया लेकिन उसे कोई सुविधा नहीं मिली। उद्योग विभाग की बात मैं बतलाऊं। उद्योग विभाग में प्रथम श्रेणी में जो आफिसर होते हैं उसमें एक भी हरिजन नहीं है। 70 के बाद 56 की नियुक्ति पहले दर्जे के आफिसर्स में की गई, लेकिन उनमें कोई हरिजन नहीं मिला। दूसरी श्रेणी में 80 नियुक्ति हुयी। उनमें भी एक हरिजन नहीं मिला। तीसरी श्रेणी में नाम नहीं गए। चौथी में 1 8 प्रतिशत मुश्किल से पूरे हुए। उसमें मेहतर लोग भी हैं, जो खास जाति के लोग होते हैं और सफाई मजदूर के नाम से कहे जाते हैं। इसके अलावा उद्योग विभाग में एक हस्तचालित निगम, वित्त निगम, लघु उद्योग निगम और निर्यात निगम हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अगर खड़ी बोली में बोलें तो ठीक रहेगा।

---

†माननीय सदस्य का भाषण भोजपुरी में हुआ था, किन्तु उसको खड़ी बोली में लिखा गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीनारायण—

मैं अपने क्षेत्र की जनता की बोली में बोलता हूं। जनता मुझे इसी बोली में बोलने को कहती है। उसका दर्द और प्यार इसी बोली में बतलाया जा सकता है।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य, हिन्दी में खड़ी बोली में बोलें, तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्रीनारायण—

अपने क्षेत्र में जाकर यही भाषा बोलेंगे। रिजर्वेशन की बात मैं कहना चाहता हूं शिक्षा विभाग को ले लें। शिक्षा विभाग में पहली श्रेणी में 2.3 प्रतिशत, तीसरी श्रेणी में 2.3 प्रतिशत और इतने सालों के बाद वह 9.7 प्रतिशत हुआ। हैरानी की बात है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इतने वर्षों की मेहनत के बाद कांग्रेस राज्य में यह यहां तक पहुंच पाये हैं। इन्होंने हरिजनों में झगड़ा पैदा किया। खेत में नाम दूसरे का लिख दिया और हरिजन को जमीन नहीं दी गयी। इन्होंने गरीबों की परवाह नहीं की। उससे इनका कोई मतलब नहीं रहा। शिक्षा विभाग में हर वर्ष 56 करोड़ रु0 खर्च करते हैं, जितनी प्राईवेट संस्थाएं थीं, उनमें भी हरिजनों को स्थान नहीं दिया गया। हम जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके संरक्षण के लिए कदम उठाएं। अभी तक आपके मंत्रि मण्डल में सिर्फ 5 हरिजनों को लिया गया है। अन्त में मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

*श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

सदरे मोहतरिम, मैं गवर्नर साहब के भाषण की हिमायत में खड़ा हुआ हूं। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि सन् 1977 में एक नया इनक्लाब आया। इसे तारीख में सोने के हरफों में लिखा जाएगा। कांग्रेस अपने स्याह कारनामों की वजह से अपनी इस हालत में पहुंच गयी है। उसने हिन्दू-मुसलमानों को अलग किया, आज उसे मुसलमानों की याद आई है। उन्होंने अपने 30 साल के राज में हमेशा इस बात की कोशिश की कि हिन्दू-मुसलमानों को अलग रखा जाय। फसाद करवाएं और मुखतलिफ साजिशें कीं, लेकिन इलेक्शन ने उन्हें बता दिया है, यह दिखा दिया है कि हम आपके बहकावे में नहीं आते। यह जो दिन उसने हमें दिखाया है, इसको हमें बनाए रखना होगा। इसको अगर हमें खून से भी सींचना पड़े तो खून भी देना चाहिए।

आज कांग्रेस वालों को मुसलमान याद आए हैं उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और उर्दू याद आ रही है। आपको अपने आयने में अपना मुंह देखना चाहिए। वक्त कम है इसलिए ज्यादा मैं नहीं कहूंगा मैं इनके किरदार की जिन्दा मिसाल रखना चाहता हूं। फैजाबाद जहां राम-चन्द्र जी की भूमि है यह उसके मुताल्लिक है वहां हर साल मुहमदी जलूस उठता है उसका इन्दराज होता रहा है। अभी इसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बारावफात के मौके पर जलूस उठा था। उस मौके पर यही नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मन्त्री थे। रुधौली में इलेक्शन मीटिंग हो रही थी। वहां पर कुछ मुसलमानों को बुलवाया और कहा कि अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे तो जुलूस मुहमदी को ले जाने देंगे। चुनांचे डी0 आई0 जी0 और एस0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल हफीज]

पी0 को बुलाया और कहा ठीक है जुलूस निकलने की परमिशन दे दो और उसका इन्तजाम कर दो लेकिन कागज पर इसका इन्दराज न किया जाय। इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा फ्राड किया गया। यह बड़े दुख की बात है। यह शर्म की बात है इस तरह से इक्सप्लायटेशन करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है।

(इस समय 3 बजकर 33 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और आने वाले वक्त में जब फिर वह मौका आवे, तो फिर परमिशन का सहारा लेकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आज भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप डीवाई0एस0पी0, एस0एस0पी0 वगैरह से पता लगवाकर मालूम करवा सकते हैं कि उस जुलूस के निकलने का कहीं रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ, लेकिन दुनिया को मालूम है कि उस दिन शानदार जुलूस निकला और उसमें सब जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। डी0आई0जी0, एस0एस0पी0 वगैरह तमाम अधिकारी उसमें शामिल थे।

इसके साथ-साथ अकबरपुर में कताई की मिल खोली गयी, जिसका उद्घाटन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। इस मिल की शुरुआत टाण्डा के बुनकरों की स्टेपेल यार्न की मांग को पूरा करने के लिए की गयी थी। लेकिन उसमें भी आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचा, मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए यह हुआ, जो कांग्रेस के लोग थे, उनको ही फ़ायदा उसका मिला।

अब मैं थोड़े में अपने टाण्डा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, जो फैजाबाद का मुख्य मर्कज है और वहां पर बुनकरों की एक बड़ी तादाद आबाद है। वहां 12 हजार पावर लूम चलते हैं, लेकिन बुनकरों के सामने स्टेपल यार्न की भारी समस्या है, जो उनके लिए रा-मैटेरियल है, उसके न मिलने से बड़ी दिक्कत होती है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, और कभी-कभी पूरी कम्युनिटी फाके की शिकार हो जाती है। यह वह मसला है, जो चन्द-मुट्ठी भर लोग अपने हाथों में लेकर जैसे चाहते हैं, चलाते हैं। जितनी प्रोडक्शन कीमत होती है, उससे ज्यादा कीमत का स्टेपल लोगों को लेना पड़ता है और फाके का शिकार लोगों को होना पड़ता है। जहां तक सड़कों का मसला है। खुरमावजा सड़क वीरान पड़ी है। सड़कों पर बरसात में पानी भर जाता है, किसी हादसे-मौत के वक्त पर न कोई मेडिकल ऐड पहुंच सकती है और न और कुछ हो सकता है। यहां तक कि किसी मौत के मौके पर इन्सान की मिट्टी भी उसके वाजिब मुकाम पर नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मैं जनता पार्टी की हुकूमत की तवज्जेह इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की इन बातों की ओर ध्यान देकर जरूरी काम करवावें। इन अलफाज के साथ मैं गवर्नर के शुक्रिया की पुरजोर ताईद करता हूं।

*श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं अपना धन्यवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा था कि यह दूसरी महाक्रान्ति है। पहली

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्रान्ति 15 अगस्त, 1947 को हुई थी, जब हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। दूसरी क्रान्ति मैं समझता हूं शायद उससे भी बढ़कर है, क्योंकि 25 जून, 1975 का वह काला दिन जिस दिन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश में स्वाधीनता पर कुठाराघात किया था, लोकतन्त्र को समाप्त कर दिया था, सरेआम चौराहे पर उसका गला घोंट दिया था, हमारी मौलिक आजादी, स्वाधीनता, समाचार-पत्रों की स्वाधीनता, नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सब पर पाबन्दी लगा दी गयी थी, उससे देश की जनता को छुटकारा मिला। श्रीमन्, उसी का यह परिणाम था कि लोक सभा के चुनाव में देश की जनता, जिसका सांस लेना भी दूभर हो गया था, उसकी कुंठा फूट निकली और उसने अहिंसात्मक ढंग से सत्ता में बैठे मदान्ध लोगों को कुर्सी से खींच फेंका।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष में बैठे हुए नेता विरोधी दल तथा अन्य सदस्य हरिजनों पर हुए अत्याचारों की कहानी बताया करते हैं। मैं यह बता दूं, उन्होंने क्या कुछ किया था, हमारे उन्नाव जनपद में नासिरपुर, असेरू, शेरपुर, मदरापुर नगर में? थोड़ा समय और दे दें। नासिरपुर में दिनांक 30 नवम्बर, 1976 को जो हरिजनों का ग्राम है वहां पर डी0एम0, एस0पी0 पुलिस, पी0ए0सी0 की उपस्थिति में पूरे गांव को उजाड़ा गया, दिन दहाड़े डाका डाला गया, महिलाओं के साथ तीन जिसमें लड़कियां थीं और दो बहुएं थीं उनके साथ बलात्कार किया गया। डी0 एम0 मौजूद रहे। घरों के किवाड़ तोड़े गए। अनाज को एक में मिला दिया गया, गेहूं, ज्वार, बाजरा, घी, तेल एक में मिला दिया गया। जब वहां से पुलिस चली तो वहां का सामान उठा लाई। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बता दूं कि कितना-कितना सामान किन-किन घरों से उठा लायी। मेरे पास सूची है। दुलारे--42,00 रु0 नकद, पांच किलो चान्दी व चार तोले सोने के जेवर, कल्लू-2,200 रु0, 2 किलो चान्दी, भानू--1,400 रु0, 3 किलो चांदी, धरमदास--700 रु0 आधा किलो चान्दी, रामदास--1,600 रु0, 12 किलो चान्दी के जेवर, करीब साढ़े तीन किलो, कान के बुन्दे, 35 बारह बोर के कारतूस, कैमी घड़ी, एक जीप टार्च, भूप--300 रु0, ढाई किलो चान्दी, सरजू--1,000 रु0, 3 किलो चान्दी, राजबहादुर--600 रु0, दो किलो चान्दी, जसवन्त--दो साइकिल और बर्तन। यह सब सामान उठा लाए।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारे नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में कहने का शुभ अवसर दिया।

वैसे यदि अभिभाषण पढ़ा जाय तो अब तक जितने भी अभिभाषण इस सदन में दिए गए हैं, और जितने कार्यक्रम उन अभिभाषणों में आने वाली या तत्कालीन सरकार के लिए दिए गए हैं, सबसे कम कार्यक्रम इस अभिभाषण में हैं। श्रीमन्, इस सरकार का श्रीगणेश लाठी चार्ज से हुआ। हाल यह है कि किसी का कत्ल हो जाय तो उसके घर वालों को भरोसा नहीं है कि उसके साथ न्याय होगा। लाश लेकर लोग माननीय मुख्य मन्त्री के निवास स्थान में घुस जाते हैं न्याय पाने के लिए। हम सब जानते हैं कि जब सरकार का शपथ ग्रहण हुआ,

[श्री देव बहादुर सिंह]

था। एक मन्त्री जी ने ऐलान किया था कि विकास कर समाप्त हो गया। जब भूमि विधि संशोधन विधेयक पर विचार हो रहा था तो राजस्व मन्त्री ने कहा कि अभी इस पर विचार कर रहे हैं। किसकी बात मानी जाय ? कब समन्वय होगा इनका ? कब तक जनता को धोखा देते रहेंगे? सस्ती लोक प्रियता हासिल करने के लिए उनके मन्त्री अलग-अलग वक्तव्य देते हैं। जनता पूछती है कि मन्त्री जी ने कहा है कि विकास कर समाप्त हो गया। आज तक विचार कर रहे हैं। एक दिन उद्योग मन्त्री ने कहा कि नयी उद्योग नीति बनाने जा रहे हैं जबकि कल केन्द्रीय सरकार की उद्योग नीति आई कि 1956 में जो उद्योग नीति थी, वही आज भी इस देश में रहेगी।

हमने यह देखा है कि जनता पार्टी बनी। इसमें विभिन्न सिद्धान्तों के दलों का एक गठबन्धन है। नम्बर दो का काम करने वाले तथा तस्कर जो जेल में बन्द थे, जब उनको बाहर निकाला गया तो उनके पैसे के बल पर इनकी पार्टी बनी और यह चुनाव जीते और यह कहते हैं कि हम लोकतन्त्र में विश्वास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि धनबल के बाहु पाश में आज लोकतन्त्र फंसा हुआ है, उससे उसको निकाला जाए। मान्यवर, यहां पर छपरौली की बात कही गयी लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है, वहां पर रिगिंग की जाती है और उसके आधार पर चुनाव जीता जाता है। हरिजनों की दुहाई दी जाती है, लेकिन मान्यवर, होता क्या है, होता है उन पर अत्याचार। लोगों को आवास के लिए भूमि का आवंटन किया गया, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनको बेदखल किया गया। अब कोई सवाल नहीं उठता है कि उनको आवास के लिए भूमि मिल सके। शर्म से सिर झुक जाता है। मान्यवर, स्पर्द्धा हो रही है कि 30 साल की हुकूमत में जो अत्याचार हुए उन अत्याचारों को ये 30 दिन में कर डालना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो उत्पीड़न हुआ है उसे रोका जाय। जो हरिजनों को आवास स्थल दिए गए थे और उनको हटाया गया है तो उनको फिर बैठाया जाए। यह भी हमने देखा है कि जिन लोगों को जमीन दी गयी थी, उनको हटाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री माधव (जिला एटा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामना गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा अपनी सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि हमारी जिन्दगी में दो क्रान्तियां हुयीं। एक तो 1942 में हुई और दूसरी अभी जो लोक सभा और विधान सभा के चुनाव के द्वारा हुई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से 1942 की क्रान्ति विफलता में परिणत हुई कहीं यह भी विफलता में परिणत न हो जाए। क्योंकि क्रान्ति के बाद जिसमें जनता का सहयोग होता है, उसमें जनता का प्रबल समर्थन मिलता है तो अगर क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होता है तो वह विफल हो जाती है। लोक नायक, जय प्रकाश नारायण ने जनता समग्र क्रान्ति की बात कही तो उसके आधार पर समाज की नहीं तो आर्थिक परिवर्तन की बात की जानी चाहिए।

हम लोग विकेन्द्रीकरण की बात आमतौर से करते हैं और हमारे गवर्नर महोदय के अभिभाषण में विकेन्द्रीकरण के बारे में सिर्फ इतना कहा गया है कि हम महापालिकाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव करायेंगे। इसमें इसके बारे में एक शब्द भी नहीं दिया गया है कि विकेन्द्रीकरण में इन निकायों को, महापालिकाओं को, जिला परिषदों को कौन-कौन अधिकार दिए जायेंगे। इसमें कोई सुझाव दृष्टिगोचर नहीं होता है जिससे मालूम हो सके कि कौन-कौन अधिकार उन्हें दिए जायेंगे। मान्यवर, हम जिन बातों को कहते रहे हैं, उनको करने का अब हमें मौका मिला है। मैं अपने साथी, माननीय सत्यप्रकाश मालवीय, मधुकर दिघे तथा छोटे लाल यादव को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की बात कही थी। गत 25–26 वर्षों से वे इस बात को कहते रहे हैं कि हम मितव्ययता करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस इन्स्टीट्यूशन पर कितना खर्च होता है। क्या हमारी मौजूदा सरकार केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करेगी कि गवर्नर के पद को ही समाप्त किया जाय और जो करोड़ों रुपया इस सजावट के लिए खर्च किया जाता है, उसे बचाया जाय ?

यह भी बात हमारे और आपके सामने है कि हमारा देश गौरवशाली और विलक्षण है। महाभारत से लेकर आज तक दुनिया में क्या कोई मिसाल है कि राज्य अहिंसा के द्वारा लिया गया हो ? यह भी दुनिया के इतिहास में कितनी अभूतपूर्व बात है कि बिना खून-खच्चर किए इतनी जबरदस्त और तानाशाही सरकार को साफ कर दिया गया लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार हम बहुत अर्से तक आजादी की लड़ाई की मुखालिफत करने वालों से कहा करते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों के दोषों पर हम अपनी समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। हमारी जो बुनियादी समस्याएं हैं, महीने में, 2 महीने में या 3 महीनों में, उनको हमारी सरकार को सुलझाना चाहिए। यदि उनका हल नहीं किया गया तो प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में गेहूं का दाम 105 रुपया प्रति क्विंटल निश्चित किया गया था, लेकिन क्या वह किसानों को उसके गेहूं का 105 रुपया मूल्य मिला ? और जब हमारी सरकार ने गेहूं का दाम 110 रुपया प्रति क्विंटल किया तब क्या किसानों को यह मूल्य मिला ? तो हमें यह तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर कांग्रेस के जमाने में जो कुछ होता रहा वह मौजूदा सरकार के जमाने में भी हुआ तो प्रदेश की जनता हमको माफ नहीं करेगी।

आज जनमत हमारे पक्ष में है जिसको लेकर हम बड़े-बड़े कदम उठा सकते हैं। जनता हमारे साथ है लेकिन हमें उनकी बुनयादी आवश्यकताओं और समस्याओं की ओर ध्यान देना होगा। अगर व्यक्तिगत या सामूहिक कोई मजबूरी है तो हमें दूसरों की मजबूरी को भी देखना पड़ेगा। अगर कांग्रेस सरकार अपने वायदे .....

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री माधव—

मान्यवर, इस चेतावनी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जनता सरकार जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक कार्य कर सकेगी।

*श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो अवसर आपने मुझे दिया है, उसके लिए आपके प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने जनता पार्टी के ऊपर जो यह अभियोग लगाया है कि हरिजनों को दी हुई भूमि के ऊपर जनता पार्टी के लोग कब्जा किए हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो श्रीमन्, जनवरी, 1975 में आपकी कांग्रेसी सरकार के ही समय में उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था समिति का निर्माण हुआ और उसमें सभी विचारों के लोगों को सम्मिलित किया गया। इसके बाद उसके कार्यवाहक उपाध्यक्ष, आर0 के0 पाटिल जो भूतपूर्व आई0सी0एस0 आफिसर महाराष्ट्र के थे, उनको यहां नियुक्त किया गया। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री, माननीय बहुगुणा जी थे। मेरा कोई संपर्क नहीं था। उसी कमेटी में एक सर्वोदय के कार्यकर्ता लल्लू दादा जी थे, उनके माध्यम से मैं और मेरे साथी कानपुर के प्रमुख भाई मिले बहुगुणा जी से। बहुगुणा जी से बात करने पर उन्होंने प्रश्न किया कि आप किस कार्य से आए। हम लोगों ने उत्तर दिया कि मैं आपके कार्य से आया हूं। मेरा कोई कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा क्या कार्य है? उनको यही उत्तर दिया कि आपने निर्णय लिया है कि मैं भूमिहीन हरिजनों को भूमि वितरण करूंगा, मैं उसमें सहयोग के लिए आया हूं। उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि रामकृष्ण पाटिल से मिलकर उनसे निर्णय लेकर अपना काम करो। उनके सामने अपनी बातें रखकर हम लोग उनसे मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग प्रयास करें, सरकार की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अपने यहां कानपुर जिले में जाकर के हम लोगों ने क्षेत्र समितियों की मीटिंग बुलाई और उसमें सरकार के विचारों को रखा कि सरकार ने 75 फीसदी भूमि हरिजनको देने और 25 प्रतिशत निर्बल और दलित वर्ग को दी जायगी। कार्य-पद्धति इस ढंग से प्रारम्भ की गयी और उसमें इतनी सफलता मिली कि शान्तिपूर्वक हम लोगों ने 60 और 70 परसेन्ट जो भूमि थी जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा था तो उनके मनो-विचारों को बदल कर हरिजन और निर्बल वर्ग के लोगों को वितरित करा दी।

उसी समय बहुगुणा जी ने एक नयी क्रान्ति खड़ी कर दी कि जो लोग भूमि पर कब्जा किए हुए थे, उन्होंने आदेश निकाल दिया कि 1952 से जिन लोगों ने गांव समाज की भूमि पर कब्जा कर रखा है या अपने नाम अलाट करा रखी है, वह भी छुड़ाई जायगी। उसके अन्तर्गत बैठे हुए इन कांग्रेसी भाइयों ने हजारों एकड़ भूमि अपने रिश्तेदारों और नातेदारों के नाम करा कर दबा रखी थी, इनको परेशानी पैदा हुई। इमरजेंसी पीरियड में जब इनको परेशानी पैदा हुई तो बहुगुणा जी के खिलाफ एक माहोल खड़ा किया गया और इनका बहुमत होते हुए भी 30 नवम्बर, 1975 को उन्हें रिजाइन करना पड़ा। श्रीमन्, उनके रिजाइन करने पर हमारी कमेटी यथावत् बनी रही, परन्तु वह दो ही जिलों में बनाई गयी थी—कानपुर और खीरी लखीमपुर। जब माननीय नेता विरोधी दल, नारायण दत्त जी तिवारी की सरकार बनी। मैंने यह जानकारी करनी चाही कि प्रदेश में अब इस समय कितनी भूमि का वितरण हो चुका है और बहुगुणा जी के मुख्य मन्त्रित्व काल में कितनी भूमि वितरित हुई थी। उस समय सचिव एक अग्रवाल साहब थे। उनसे जानकारी करने पर उन्होंने बताया कि जनवरी से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नवम्बर तक साढ़े तीन लाख एकड़ भूमि का वितरण हो पाया और वह कार्य समुचित रूप से चल रहा था। जनवरी, 1976 में 3 महीने के अन्दर उन्होंने बताया कि 11 लाख एकड़ भूमि का वितरण हो गया है और इस तरह साढ़े 14 लाख एकड़ भूमि हरिजनों को बांट दी गयी है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, समय थोड़ा देना पड़ेगा आपको।

श्री अध्यक्ष——

आप दो मिनट में कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी——

14 लाख एकड़ भूमि बांट दी गयी है। तिवारी जी का जितना फ्राड है, वह सब कागज पर हुआ। आदेश इस तरह से प्रसारित कर दिए गए कि जितनी भूमि निकाल कर लाई गयी थी, सब दूसरों के कब्जे में दे दी गयी और बहुगुणा जी ने जो कहा था कि 75 प्रतिशत भूमि बांट दी जाय, आपने यह कर दिया कि फिर यथावत् कर दी जाय जैसे पहले थी। इस तरह से हरिजनों और समान वर्ग के लोगों में झगड़ा खड़ा कर दिया गया और उनको भूमि के पट्टे वापस कर दिए गए और आज भी यथावत् वैसे ही हैं।

श्री अध्यक्ष——

कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी——

मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत एक नगवा ग्राम है, उसमें एक 20 वर्षीय अन्धा चमार था। उसे हनुमान दर्शन कराने के बहाने तत्कालीन एस0डी0एम0, कानपुर, श्री नन्द किशोर मिश्रा. .

श्री अध्यक्ष——

अब आप बैठिए।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी——

सिर्फ एक मिनट लूंगा। उसे नसबन्दी शिविर में ले जाकर उसकी नसबन्दी करा दी और उससे दस्तखत करवा लिए कि स्वेच्छा से नसबन्दी करवायी और 30 रुपए देने की जगह पर उसे 30 पैसे भी नहीं दिए गए। उन्हीं के सम्बन्ध में उसने मुकदमा कायम किया जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)——

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के समय में आज दो घंटे की वृद्धि कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि सदन के समय में आज दो घंटे की वृद्धि कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

व्यवस्था का प्रश्न

(माननीय मुख्य मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं आपकी आज्ञा से एक तात्कालिक प्रश्न मुख्य मन्त्री जी से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने मुख्य मन्त्री जी को बुला लिया है।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैंने आपकी आज्ञा ले ली है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शोर न करें। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें।

श्री श्यामधर मिश्र--

आपकी आज्ञा से मैं एक तात्कालिक प्रश्न प्रस्तुत करता हूं और इसलिए करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी बोलने वाले हैं, कृपा कर के इस सम्बन्ध में भी हम लोगों को बता दें। हम लोगों को 12-1 बजे के बाद मालूम हुआ वरना हम लोग नियम 51 वगैरह में लाते। कल सदन नहीं है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। एक मिनट में वह कहना चाहते हैं। आप बैठिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को बुलाया गया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए। ठीक उसके पश्चात् माननीय श्यामधर मिश्र खड़े हुए और उन्होंने किसी ऐसी घटना की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जिसके बारे में वह यह कह रहे हैं कि उसकी जानकारी उनको पहले नहीं थी। तो किस नियमावली के अन्तर्गत उसको कहने के लिए श्यामधर जी को अनुमति दी गयी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती, आप कृपया बैठिए। (व्यवधान) आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठ गए, इसलिए माननीय मिश्र जी ने एक सवाल उठाया .....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

एक औचित्य का सवाल है। कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए। (श्री मैनेजर सिंह के खड़े रहने पर) आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मैनेजर सिंह---

मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए .... (व्यवधान)

(श्री मैनेजर सिंह के पुनः न बैठने पर) आप अगर नही बैटते है तो सदन छोिए।

श्री मैनेजर सिंह---

आप बैठिए। पहले आप बैठिए।

श्री अध्यक्ष---

आप सदन छोड़िए।

श्री मैनेजर सिंह---

मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिए या सदन छोड़िए।

श्री मैनेजर सिंह---

आप बैठिए.....

श्री अध्यक्ष---

आप सदन छोड़िए। माननीय मैनेजर सिंह जी सदन छोड़ें। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। मैं आदेश देता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह अपने शब्दों को वापस लें, यह सदन का अवमान कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह---

मैं अध्यक्ष जी, निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष---

आप पहले अपने शब्द वापस लें।

श्री मैनेजर सिंह---

आपने नियमों का उल्लंघन किया है, आपने किस नियम से उनको बोलने की इजाजत दी .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप अपने शब्द वापस लें। यह सदन का अवमान है। मैनेजर सिंह क्षमा मांगें, वरना..... (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

आप कहना क्या चाहते हैं, कुछ सुनाई तो पड़ ही नहीं रहा है, आप क्या चाहते हैं ? क्या आदेश है आपका ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा कि आपने जो कहा है वह सदन का अवमान है, आप कृपा कर क्षमा मांगें।

श्री मैनेजर सिंह—

मैंने क्षमा मांगने का कोई कसूर नहीं किया है। मैं तो यह निवेदन कर रहा था. . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए। आप अवहेलना कर रहे हैं। आप क्षमा मांगिए।

श्री मैनेजर सिंह—

आप इसी तरह से यदि सदन को चलाना चाहते हैं तो चलाइए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो माननीय मुख्य मन्त्री जी को बुलाया था. . . .

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर बोल रहे हैं। नियमों में यह है कि जब किसी को माननीय मुख्य मन्त्री जी सुनना चाहते हैं और वे बैठ जाते हैं तो माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय ने दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक मै जो अपना अभिभाषण दिया उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए जो प्रस्ताव आया है धन्यवाद का, उसका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष रख रहा हूं। इस सिलसिले में जो हमारे विपक्ष की तरफ से कुछ आपत्तिजनक बातें उठायी गयीं, मैं अपनी ओर से सदन के विपक्ष के नेता को और माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं। हमारा विश्वास लोकतन्त्र में है, जनतांत्रिक परम्पराओं में है और लोकतन्त्र और जनतांत्रिक परम्पराओं में आस्था रखते हुए आज जनता ने जो निर्देश दिया है, उसी आधार पर यह सरकार बनी है। हमारे विपक्ष के लोग जो कुछ दिन पहले यहां पर सत्ता में बैठे हुए थे, आज विपक्ष में रह कर विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्हें मैं बधाई देता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो विचार अपने रखे हैं अपनी जो वाकपटुता के आधार पर जो संशोधनों को रखा है और धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं समझता हूं वह केवल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाकपटुता के अलावा कोई रचनात्मक सुझाव नहीं हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर आपने कोई रचनात्मक सुझाव हमारे सामने सत्ता, प्रशासन के सम्बन्ध में रखे होते, जो विपक्ष के होते हैं। विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करना पड़ता है। 30 वर्षों के पश्चात इतिहास ने मोड़ लिया। जो सत्ता केन्द्र में थी वह केन्द्र से समाप्त हुई। उसके पश्चात् थोड़े ही दिनों में जो विधान सभा का चुनाव हुआ उस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए जिस तरह से जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की और व्यक्त ही नहीं की बल्कि भारी बहुमत से जिताया। उसके लिए भी मैं अपनी ओर से जनता को धन्यवाद और बधाई देता हूं ।

जनता पार्टी ने जो वायदे किए हैं जनता से, जनता ने जो अपेक्षाएं रखी हैं, यह एक बड़ा सवाल है उसे पूरा करने का, क्योंकि अब तक जो सत्ता में रहे हैं, उन लोगों ने जो प्रदेश की जनता के साथ, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे वह स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे किसी प्रकार का सवाल हो, इससे पूर्व जो सत्ता में सरकार थी, उसने इन सब की अपेक्षा की जिसे कि आने वाली पीढ़ी का इतिहास क्षमा नहीं कर सकता ऐसे समय में जबकि इतिहास ने एक नया मोड़ लिया है। एक नयी दिशा जनता सरकार को देनी है और उन्हीं नीतियों का, जो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है, दिग्दर्शन है। यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि राज्यपाल के अभिभाषण में उन सारे कार्यों का उल्लेख था जिनके बारे में हमारी सरकार योजना बना कर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी कदम उठाना चाहती है। वह तो एक ऐसा दस्तावेज है जो सत्ता में आने के बाद ही बनाया गया था। जनता पार्टी ने जो जनता से वायदे किए हैं, सरकार जो करना चाहती है, उन सारी नीतियों का समावेश उस अभिभाषण में आया है। बहुत सी ऐसी बातों की तरफ भी विपक्ष के नेता ने और हमारे और साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद और बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने विचार देकर हमें इस लायक बनाया है, जो नीति और जो कार्यक्रम का संकेत भाषण की तरफ है, हम उनकी तरफ चल कर प्रदेश को एक स्वच्छ प्रशासन देकर सफल हो सकें। इसके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद और बधाई देता हूं।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक आधार दिया है उसी आधार पर एक क्रान्ति हुई है। हमारे विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि क्रान्ति नहीं है। हमारा कहना है कि यह एक क्रान्ति है। अगर यह समझा जाय कि क्रान्ति पूरी हो गयी है तो ऐसी बात नहीं है। क्रान्ति का जो मार्ग है और उस पर चलने वाला जो रथ है वह रुकता नहीं है, चला करता है। क्रान्ति की पूर्ति नहीं होती है। एक के बाद दूसरी क्रान्ति और दूसरी क्रान्ति के बाद तीसरी क्रान्ति चला करती है। आज इसी का प्रमाण है कि कांग्रेस की सत्ता समाप्त हुई और जनता पार्टी की सरकार केन्द्र और प्रदेश में बनी। इसी सिलसिले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिस नियोजन की चर्चा की है वह ऐसा नियोजन है जो हमारे प्रदेश को स्वच्छ दिशा प्रदान कर सकता है। वैसे तो कांग्रेस की तरफ से, जो पिछले दिनों में सत्ता में थी, यह कहा जाता रहा है कि हमारी जो योजना होगी, हमारा जो नियोजन होगा, वह नीचे से शुरू होगा। लेकिन 30 वर्षों के अन्दर जो नियोजन किया गया, नियोजन जिस आधार पर किया गया वह नीचे से ऊपर की ओर न होकर ऊपर से लादा गया था। हमने फैसला किया है कि हमारा

[श्री राम नरेश यादव]

जो नियोजन होगा वह नीचे से शुरू होगा। विकास खण्ड उसके बाद जिला स्तर पर इसी तरह से आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वह है खेती को प्रमुखता देना। कृषि को प्रमुखता देना। जब हम कृषि को प्रमुखता देंगे तो इस सिलसिले में जो हमारा कृषि उत्पादन होगा, जो हमारे सामान होंगे, कच्चा माल होगा उसके आधार पर हम छोटे-छोटे उद्योगों को चलायेंगे। उद्योगों को चलाकर देश में जो बेकारी और गरीबी की समस्या है, उसको हटाने का प्रयास करेंगे।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता ने नियोजन के सम्बन्ध में एक बात उठाई कि कौन सी ऐसी योजना सत्ता पक्ष के लोग लाने जा रहे हैं जिससे कि यह कहा जा सकता है कि कोई विशेष परिवर्तन की दिशा में क्रान्तिकारी कदम उठ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने, जो यह चालू वर्ष है, उसके लिए जो योजना बनाई थी वह 648.75 करोड़ रुपए की 1977–78 के लिए थी। आज भी वह काम में है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उनके विकास के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 36.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। अगर दोनों को मिला लें तो 675.25 करोड़ रुपए हमारी पूरी वार्षिक योजना को चलाने के लिए हैं। इसमें सिचाई, विद्युत् और कृषि आदि पर 488 करोड़ रुपए का प्राविधान है। यहां पर यह कहना जरूरी है कि कांग्रेसी सरकार चलते-चलते जो हमारे संसाधन थे, हमारे आय के श्रोत थे, उन आय के श्रोतों को इतना घटा दिया कि 100 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा, इसकी वजह से सोचना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार ने जो स्थिति पैदा कर दी है यह सरकार उससे निकलने के लिए प्रयास कर रही है। जिस समय बजट सत्र होगा उस समय इसका विशेष उल्लेख मैं करूंगा.। हमारी जनता पार्टी की स्पष्ट नीति नियोजन के सम्बन्ध में है, कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग धन्धे और गरीबों को काम देने के बारे में होगी।

इसके साथ ही साथ हमने जो यह कहा है कि स्वच्छ प्रशासन देंगे, राज्यपाल के भाषण में स्वच्छ प्रशासन देने की भी बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इन 30 वर्षों में कुछ समय को छोड़कर, आज जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं उनकी सत्ता रही है। इन्हीं लोगों के माध्यम से, कांग्रेस सरकार चलती रही है। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार किए गए, सरकारी पैसे और साधनों का इतना दुरुपयोग किया गया कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी आधार पर यह बात सोची गई है कि ऐसे आयोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसे आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए जिनसे चाहे सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार हो या दूसरे स्तर पर भ्रष्टाचार हो, उसकी जांच की जाय और जांच ही न की जाय, अगर कोई दोषी पाया जाय तो जो भी कानून के तहत, विधि सम्मत, सजा है, उससे दंडित किया जाय। क्योंकि जनता इस चीज को बरदाश्त नहीं करने वाली है। यह बात सोचकर कि जिसको कांग्रेस सत्ता ने पिछले दिनों नहीं किया है, उसको जनता पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख किया है और लोक आयुक्त की नियुक्ति करके जनता पार्टी ने वह काम किया है। 12 जुलाई से वह लागू हो गया है जिसको पिछली सरकार ने लागू नहीं किया था। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में विरोधी दल के नेता ने जो सवाल उठाया था कि अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी हो, चाहे राजनीति में हो या बड़े से बड़े अधिकारी ही क्यों न हो जनता पार्टी

की सरकार और शासन को समाप्त करने की जो बात सोचते हैं, वह बरदाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए लोक आयुक्त की नियुक्ति जन-भावना को ध्यान में रखकर की गयी है। इस सम्बन्ध में हमारे विपक्ष के नेता को यह अच्छी तरह मालूम है कि जो कानून के अनुसार लोक आयुक्त की नियुक्ति में सवाल खड़ा होता है, उस पर इनसे भी परामर्श लेना होता है और इसमें गति लाने के लिए कि जल्दी ही नियुक्ति हो जाय। क्योंकि विपक्ष जिस समय अपने संशोधन पर विचार व्यक्त कर रहा था तो उन्होंने संकेत किया था कि आज तक लोक आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई ? शपथ लेने के बाद आपके पास इसको परामर्श के लिए हम भेज चुके हैं और इस सम्बन्ध में तैयारियां हो रही हैं।

मान्यवर, दूसरी बात जनता पार्टी ने कही है और उस सम्बन्ध में भी ध्यान देना चाहिए। सतर्कता अधिष्ठान सुदृढ़ किया जा चुका है ताकि कहीं भी कोई कार्यवाही की जा सके। यदि किसी के खिलाफ आरोप दिखाई दे तो उसको गिरफ्तार करके मुकदमा चला सकें। हमने जिला स्तरों और मण्डलों में इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि सरकारी स्तर पर कहीं भी कोई कमजोरी दिखाई दे तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें और इस तरह अधिकारी सजग रहकर काम करेंगे। यह सारी चीजें जो राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख की गयी हैं, जनता पार्टी की सरकार ने किया है और उसका सही माने में उसमें उल्लेख मिलता है।

मान्यवर, एक बात की तरफ विरोधी दल के नेता ने संकेत और आरोप किया था। कि कारपोरेशन्स समाप्त कर दिए जा रहे हैं और उनसे जो विकास के आधार पर रुपया मिलने वाला है, वह समाप्त करने का निर्णय लिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति इस मामले में स्पष्ट है और उद्योग तथा कारपोरेशन्स का भी उससे सम्बन्ध है। 55 कारपोरेशन्स ऐसे हैं जिसमें कि पिछली सरकार जब समाप्त होने जा रही थी तो उसके पहले उसमें कुछ ऐसे लोगों को रख दिया था, चेयरमैन बना दिया था कि वह उसके रुपयों का उपयोग राजनीति में कर सकें लेकिन जनता पार्टी की सरकार इसको बरदाश्त नहीं कर सकती है क्योंकि वह चाहती है कि जो साधनों की कमी दिखाई देती है, उसको लेकर विकास के रास्ते में लगायें ताकि कठिनाइयों को हम दूर कर सकें और प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन दे सकें और जिस प्रगति को पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस सरकार नहीं ला सकी है, उसको लाएं।

माननीय तिवारी जी ने सरकार द्वारा सारे उद्योगों को समाप्त करने की चर्चा भी की थी। तो मैं उसके सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि छोटे उद्योग धन्धों को प्रश्रय देंगे और आज जो बड़े–बड़े उद्योग लगे हुए हैं, उनके समाप्त करने का फैसला करने जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि छोटी-छोटी जो हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके आधार पर यदि आवश्यकता पड़े तो बड़े-बड़े उद्योग खोले जायं क्योंकि प्रदेश के सामने समस्या है बेकारों की, उन नौ-जवानों की जो यूनिवर्सिटी और कालेजेज से निकल कर आते हैं और फिर रोजी-रोटी की तलाश में इधर-उधर घूमते हैं। उनकी समस्या का समाधान ढूंढ़ने के लिए आवश्यक है कि छोटे-छोटे उद्योगों के आधार पर बड़े उद्योग खोले जायं। साथ ही साथ इनमें ऐसा माल बन सके जिससे कि प्रदेश में जो चीजों की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति होती रहे। अभिभाषण में जो संकेत है उसका अर्थ यह नहीं है कि जो बड़-बड़े उद्योग धन्धे चल रहे हैं या फैक्टरियां

[श्री राम नरेश यादव]

चल रही हैं उनको समाप्त किया जाय। यह हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि दोनों में तारतम्य बैठाल कर छोटे उद्योग धन्धों की स्थापना की जाय जिससे कि जो बेकारी की समस्या है वह हल हो सके। यह ऐसा परिवर्तन है जिससे हम अपने प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं।

इसके साथ ही साथ उन 32 लोगों पर जिनको गाड़ी चलाने के लिए मिली हुई थी, साधन मिले हुए थे और जिन पर हजारों करोड़ों रुपया फूंका जा रहा था, हमने उस रुपए को बचाया। साथ ही साथ हमने कानपुर देहात और कानपुर शहर को मिलाकर जो दो जिले बनाए गए थे और ऐसे ही मुरादाबाद मण्डल में बनाया गया था, उसको समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमने विकास की गति को कमजोर करने के लिए तोड़ा है। यह जिला तो बनाया गया था, लेकिन वहां दफ्तर नहीं था, योजना नहीं थी और अगर वहां पर उस तरह की योजना को पूरा किया जाता तो दस करोड़ रुपए का खर्च होता। प्रदेश के सामने जो वित्तीय संकट है, जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा किया है। तिवारी जी ने संकेत किया था कि अगर—अलग जिला होता तो उन लोगों का विकास होता। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वहां के विकास में कमी नहीं होगी। उस जिले के तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकास के साधन वहां के लिए खुले रहेंगे। मैं उन माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं जिनके मन में तिवारी के भाषण के बाद यह भाव जगा होगा कि इससे हमारे जनपद का यह नुकसान हुआ है, कोई बाधा विकास के कार्य में नहीं आएगी। सी0आर0पी0सी0 के तहत जो मैट्रोपोलीटन सिटी बनाने की बात थी, वह अपनी जगह रहेगी। वह व्यवस्था बनी हुई है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जिला बनाया गया था वहां जो अधिकारी रहते उनके बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था और इस कारण वह कानपुर शहर में ही रहते। अगर वह कानपुर शहर में ही रहते और वहां दफ्तर न ले जाते और अगर वहां दफ्तर ले जाते तो उसके लिए साधन जुटाने पड़ते। अब अगर जिला बन जाने के बाद भी सारा काम शहर में रहते हुए ही होना था तो फिर अब अगर उसको तोड़ दिया गया तो इससे वहां का विकास नहीं होगा और गांव की प्रगति में कोई ढिलाई या कमजोरी आ जायगी, यह मंशा कतई नहीं है। मुरादाबाद मण्डल को समाप्त करने के पीछे भी यही बात है। जहां तक विकास का सम्बन्ध है उसमें कोई कमजोरी नहीं हो पाएगी। ऐसा मैं आप सभी सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

तिवारी जी ने एक बात की ओर और ध्यान दिलाया था और काफी आलोचना माननीय तिवारी जी ने की थी तथा और भी कई सदस्यों ने उस ओर ध्यान आकर्षित किया था। जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है मंहगाई में वृद्धि होती चली जा रही है। चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दाम बढ़ने की जो प्रक्रिया थी, रास्ता था उसकी शुरुआत हमने नहीं की थी। इस रास्ते की शुरुआत कांग्रेस के शासन काल में हो गयी थी और जब हो गयी थी तो हमें उसका सामना करना है। समय लगेगा इसमें और हमारी सरकार जो भी हो सकेगा, करेगी। अभी एक महीना हुआ है मूल्य वृद्धि को रोकने का सरकार प्रयास कर रही है। इस सन्दर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इकानामिक टाइम्स के आधार पर अपने आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे। उस में एक इण्डेक्स दिया था, उसके

आधार पर आपने कहा था कि पिछले दो महीनों में सूचकांक था 298.63 और यह बढ़ कर 305.33 हो गया। यह इण्डेक्स केन्द्र के इण्डेक्स के आधार पर है। हमारे प्रदेश का सूचकांक दूसरा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मार्च, 1977 में वह सूचकांक 343.6 था जो मई में घट कर 341.4 हो गया। यह उत्तर प्रदेश का था और मैं यह सदन को बताना चाहता हूं।

जहां तक मूल्यों के बढ़ने का सवाल है केवल दो चीजें ऐसी थीं जिनके दाम बढ़े—दाल और सरसों का तेल। और चीजों के दामों में कमी हुई है। दालों के मूल्यों में जो वृद्धि हुई वह उसकी कमी थी। जिसका मुकाबला हम को करना है। सरकार उस बारे में प्रयास कर रही है और जल्दी ही हम इस लायक हो सकें कि दाम न बढ़ने पाए। उसके साथ ही साथ जो कड़ुवा तेल के दाम बढ़े हैं, यह एक समस्या है। उत्पादन की कमी हुई। आयात के लाइसेन्स पिछली हुकूमत ने निरस्त कर दिए थे जिससे आयात नहीं हो पाया और जिसके कारण प्रदेश की जनता के सामने संकट आया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके आधार पर हमारी सरकार ने कुछ रेपसीड आयल को रिफाइन कराके, उसे बाजार में भेजा है जिस-का दाम साढ़े आठ रुपया किलो बाजार में होगा। हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो सरसों में मूल्य वृद्धि हो रही है वह न हो पाए और प्रदेश की जनता के सामने जो संकट है वह भी हल कर सकें।

इसके साथ ही साथ हमने इसकी चेकिंग की भी व्यवस्था कर दी है। सरकार ने हर जिले में इस बात की व्यवस्था कर दी है कि लोग उन दामों की सूची टांगें जो निर्धारित दाम हैं ताकि हर एक व्यक्ति जो खरीदने के लिए जाय उसे इस बात का विश्वास हो जाय कि जो दाम लगे हुए हैं, उन्हीं के आधार पर मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेकिंग का काम भी सारे प्रदेश में शुरू हो गया है। 16 जुलाई, 1977 तक और उसके बाद करीब 278 व्यक्तियों के विरुद्ध जांच के बाद कार्यवाही की गयी है, 12966 दुकानों की जांच हुई। इसके साथ ही साथ जांच करने के बाद 278 एफ0आई0आर0 दर्ज हुए और 108 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ताकि यह महंगाई जो इस तरह आ रही है, इस पर नियन्त्रण पाया जा सके।

एक समस्या और प्रदेश के सामने है जिसकी तरफ तिवारी जी ने ध्यान दिलाया था। उन्होंने कहा था कि सीमेन्ट का अभाव बहुत ही है। दाम बढ़ते जा रहे हैं। सीमेन्ट के जो दाम बढ़े हैं उसके पीछे भी एक बात है और वह यह है कि जो केन्द्र से मांग की थी वह थी 6,96,228 मैट्रिक टन और जो हम को मिला वह था 4,67,500 मैट्रिक टन और इसका नतीजा यह हुआ। एक ही महीने में यह दाम नहीं बढ़े बल्कि दाम बढ़ाने की प्रक्रिया सरल कर दी गयी थी।

रहा अनाज का सवाल, तो इसके लिए गांवों में और शहरों में जो थोक व्यापारी थे, उनके जरिए से ऐसी व्यवस्था की है ताकि किसी तरह से किसान को कठिनाई न हो। दामों पर नियन्त्रण पाने के लिए हमने दो हजार कुइंटल से लिमिट घटा कर 1 हजार कुइंटल कर दिया है ताकि खत्तियों से अनाज निकल कर बाहर आए। सरकार मंहगाई पर इस तरह से नियन्त्रण पाने के लिए बहुत सचेष्ट है और हमें विश्वास है कि थोड़े दिनों में हम उस पर नियन्त्रण पा लेंगे।

[श्री राम नरेश यादव]

शान्ति व्यवस्था की चर्चा भी बहुत की गयी। वर्तमान सरकार को आए हुए एक महीना हुआ है। जब आपात स्थिति लगी थी तो सब लोगों की जबान पर ताले लगे हुए थे। बाहर निकलने पर जब एक बार आजादी मिल जाती है तो कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य होती हैं। विरोधी पक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो अखबारों के जरिए से समाचार मिलते हैं कि फलां जगह डकैती पड गयी, कत्ल हो गया, अमुक जिले में इस तरह के अपराध हो रहे हैं तो इसके लिए जनता पार्टी की सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आज आप इस तरह का जिक्र तो कर सकते हैं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

आपके आंकड़े गलत हैं। देवरिया में क्या हो रहा है?

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण करें।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के शोरगुल के बीच बराबर खड़े रहने व बोलते रहने पर)

आप सदन छोड़ें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

कुछ भी तो सुनाई नहीं देता, हम लोग क्या करें?

श्री अध्यक्ष—

जब माननीय मुख्य मन्त्री जी अपना भाषण समाप्त कर द, यदि कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहता है, तो प्रश्न पूछ सकता है।

श्री श्यामधर मिश्र—

अगर कोई बात पूछी जाय और उसे पूछने न दिया जाय या हूट किया जाय, यह तो ठीक नहीं है।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, व ी प्रसन्नता की बात है कि कम से कम आज विपक्ष के लोगों को विपक्ष की भूमिका के सम्बन्ध में सोचने का मौका मिला है, वह सोच रहे हैं। यह पहली बार है वैसे दो बार पहले भी यह मौका मिला थ , लेकिन यह तीसरी बार विशेष रूप से बैठने का अवसर मिला है। विपक्ष की भूमिका क्या है इस बारे में सोच रहे हैं।

(व्यवधान) (मेजें थपथपाई गयीं)

श्री अध्यक्ष—

शोर मत कीजिए। माननीय सदस्य शांति से सुनें। मुझे अपना काम करने दें कोई इधर से (सत्ता पक्ष) व्यवधान डालता है, यह उचित नहीं है। यह मेरा काम है कि मैं बैठने के लिए कहूं, आप लोग व्यवधान न करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जो दिघे जी ने सिखाया है, वही यहां हो रहा है।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि विपक्ष सचमुच में सजग है, वह विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं आज जिस शान्ति व्यवस्था की तरफ तिवारी जी ने ध्यान दिलाया है उनको जो पूरे प्रदेश में उलझी हुई दिखाई देती है, उसका जो कारण है वह आप की सरकार है। हमने अखबारों से सेन्सरशिप हटाया है जो आपने लागू किया था, इसलिए आज आपको यह समाचार सुनने को मिल रहे हैं। लोकतन्त्र की हत्या करने वाले लोग जिन्होंने प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर आतंक और भय का वातावरण पैदा कर दिया था, हमने उसे समाप्त किया है और आज आपको यह कहने का मौका मिल रहा है।

आज नवयुवकों की बात कही जाती है। विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज की चर्चा होती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है एक महीना हुआ है, कहीं भी किसी विद्यार्थी के ऊपर जनता पार्टी ने लाठी चार्ज नहीं कराया।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी आप बैठें। (कुछ सदस्यों के बोलते रहन पर) आप लोग शान्त रहें, क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

हमारा विश्वास मान्यवर, गांधी जी की नीतियों में रहा है और कभी भी हिंसा में नहीं रहा है। अहिंसात्मक ढंग से ही जनता पार्टी के कन्धों पर जनता ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। जनता के बीच में रहने के नाते उनकी समस्याओं को सोच कर सचेत रहते हुए संघर्ष किया है और जनता पार्टी को जनता ने इस स्थान पर पहुंचाया है। कभी भी ऐसे लोगों के साथ निर्दयता और निर्ममता का व्यवहार नहीं कर सकती है. . . .

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

(सर्वश्री शतरुद्ध प्रकाश, शारदा प्रसाद रावत, सत्य प्रकाश, अब्दुल हफीज, शफीकुर्रहमान बर्क, रवीन्द्रसिंह, श्री भामी आदि अनेक सदस्य खड़े होकर बोलते रहे।)

एक सदस्य—

अध्यक्ष जी, एक सदस्य सारे सदन की अवमानना कर रहा है और आप बैठे देख रहे हैं, आपको उसे सख्ती से ठीक करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आप लोग शान्ति रखिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि व्यवस्था कायम करने में आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। विरोधी दल के नेता से मैं निवेदन करूंगा. .

(व्यवधान)

आप शान्त रहें। देखिए आप लोग सदन में शान्ति नहीं बनाए रखेंगे, तो मुझे सदन स्थगित करना पड़ेगा। तो इस पक्ष के लोग भी उठकर व्यवधान डालते हैं। मैं विरोधी पक्ष के नेता से निवेदन करूंगा. . . .

एक सदस्य—

आप सत्ता पक्ष से भी कहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन की गरिमा के विरुद्ध है कि जब मुख्य मन्त्री बोल रहे हैं ····· (व्यवधान) बार-बार उनके भाषण में व्यवधान डालना यह विरोध पक्ष के लिए अत्यन्त अनुचित है। प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप खड़े हों और मुख्य मन्त्री जी यदि इस पर स्वयं बैठ जायं तो आप अपनी बात कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी बोलें, आप कोई व्यवधान न डालें। जब वह बैठ जायं तो आप अपनी बात कहें।

श्री श्यामधर मिश्र—

हम लोग भी बोलने नहीं पाए हैं। यह अव्यवस्था पहले भी रही है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, आप बार-बार व्यवधान न डालिए। मैं इस पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आपको स्वयं ध्यान रखना चाहिए कि जब मुख्य मन्त्री जी बोल रहे हैं, उनको सुनें। आप स्वयं उनके भाषण में व्यवधान करना चाहते हैं। आपका कर्त्तव्य नहीं है कि आप खुद शोर मचाएं।

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जायेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि वे संसदीय भाषा का प्रयोग करें।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

यह तय करना पड़ेगा कि मुख्य मन्त्री जी गलत-बयानी कर रहे हैं या प्रेस गैलरी में बैठे पत्रकार लोग, जिन्होंने अखबार में रिपोर्ट दी है कि यहां पर छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है? अखबार वाले सही कह रहे हैं या मुख्य मन्त्री, यह देखना पड़ेगा। श्रीमन्, एक माननीय सदस्य चप्पल दिखा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए अपनी जगह पर।

श्री अरुण कुमार—

आपके रहते हुए सदन में व्यवस्था दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अरुण कुमार—

शर्म आनी चाहिए चप्पल दिखा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अत्यंत लज्जा की बात है। आप बठिए। माननीय अरुण कुमार जी अपना स्थान ग्रहण करें।

नोट—[× × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एक सदस्य——

इसका नोटिस लें। चप्पल दिखायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष——

सब लोग बैठ जायं। आप किस लिए खड़े हैं।

माननीय विरोधी दल के नेता से अनुरोध करूंगा कि अपन पक्ष के लोगों को बैठाएं।

श्री नारायण दत्त तिवारी——

श्रीमन्, आप जानते हैं कि सदन में शान्ति-व्यवस्था बनी रहे, इसके सबसे बड़े हामी कोई हो सकते हैं तो विपक्ष के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष——

बैठिए आप, बैठ जाइए।

(शोर के बीच)

श्री बांके लाल——(जिला देवरिया)

न बोलें, स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी——

यह लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री बांके लाल——

वे माननीय मुख्य मन्त्री जी की बात सुनना नहीं चाहते तो हम इनकी बात नहीं सुनेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी——

जो कुछ भी हो रहा है इसके विरोध में——अभी विपक्ष की भावनाएं शासन पक्ष में हैं। यही कारण है कि शासक दल में किस तरह से बैठना चाहिए, उसका पूरा अन्दाजा नहीं...

(व्यवधान)

श्री बांके लाल——

वह माननीय मुख्य मन्त्री को सुनना नहीं चाहते। तो उनकी बात भी नहीं सुनी जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी——

संसदीय परम्परा.....

(व्यवधान तथा शोर) इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री नारायण दत्त तिवारी अपने दल तथा निर्दलीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री अध्यक्ष——

मैं नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि शासक दल के लोग थोड़ा संयम से काम लें, मर्यादा का पालन करें। उनकी तरफ से कैट-कालस और बार-बार व्यवधान पैदा करना, जब विपक्ष के लोग कोई शोर मचाते हैं, विशेष कर सत्ता दल की जिम्मेदारी अधिक है जब उनको शान्त किया जा रहा है। मैंने विरोधी दल के नेता से अनुरोध किया था कि वह अपने पक्ष

[श्री अध्यक्ष]

के लोगों को संयम से व्यवहार करने के लिए कहें। एक माननीय सदस्य खड़े होकर व्यवधान डालने लगे। यह अत्यन्त अनुचित है।

(व्यवधान)

फिर आप लोग व्यवधान डाल रहे हैं, जब मैं अपनी बात कह रहा हूं, सदन की कुछ मर्यादाएं हैं, इस प्रकार से आचरण करके सदन की गरिमा को आप लोग गिराना चाहते हैं। इसका ध्यान रखें कि आप तभी बोलें, जब आपको अनुमति मिले।

श्री ऊदल—

मान्यवर, कल मैं बहुत शिष्ट भाषा में बोल रहा था, बीसियों बार व्यवधान डाला, और आज भी डाल रहे हैं। सत्ता पक्ष में बैठकर कैसी भूमिका निभानी चाहिए, यह उन्होंने सीखा नहीं है। इसलिए इनको ठीक करने के लिए ताकि यह सीख जायं, मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ऊदल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जिस बात की चर्चा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में, शान्ति व्यवस्था की चर्चा करते हुए विपक्ष ने कुछ संकेत किया था, उस ओर मैं चर्चा कर रहा था। आपात-स्थिति समाप्त होने के पश्चात् यह स्वाभाविक था, चाहे वह श्रमिक वर्ग रहा हो, चाहे अध्यापक वर्ग रहा हो और चाहे छात्र वर्ग रहा हो, सभी की जबान खुल गयी है और इसका श्रेय जनता पार्टी को रहा है और है। आज विरोधी पक्ष में बैठे लोग या उनके नेता शान्ति व्यवस्था की चर्चा करते हैं, लाठी चार्ज की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे उस समय कहां थे जब कि सारी यूनियनों के आन्दोलनों को, उनके जुलूसों को गैर-कानूनी ठहरा दिया गया था? उस समय क्या इन लोगों की जबान नहीं खुली थी, क्या जबान पर ताला लगा था? सारा विद्यार्थी समुदाय जो देश और प्रदेश के नव-निर्माण की दिशा में ले जाना चाहता था उसकी जबान पर ताला लगा दिया था। आज वही लोग नवयुवकों और श्रमिकों के हिमायती हैं। उनको हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए था। हमने मौका दिया कि वे जुलूस निकाल सकें, अपनी बात को रख सकें और जिस तरह से हो सके लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार हमारी आलोचना और समालोचना जितनी भी हो सके, कर सकें। हमने उनको मौका दिया। जिस लाठी चार्ज की चर्चा होम्योपैथिक कालेज के छात्रों की मांगों को लेकर की गयी, मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी इस तरह का लाठी चार्ज नहीं हुआ और हम तो आज भी चाहते हैं, चाहे वह श्रमिक वर्ग हो या और कोई वर्ग हो इस प्रदेश और देश को प्रगति की ओर ले जाये। हम उनके साथ सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ और शान्ति पूर्ण वातावरण में, चाहे छात्र वर्ग हों, चाहे होम्योपैथिक कालेज के छात्र हों, हम उनकी मांगों पर विचार करने के लिए तैयार हैं। यही कारण था कि उनकी कठिनाइयों को समझते हुए हमने सरकार की ओर से आश्वासन दिया था जिसकी यहां पर मैंने चर्चा भी की थी कि 27 तारीख को सरकारी स्तर पर जो जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोचेंगे। अगर हम लाठी चार्ज कराने की बात सोचते तो प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों को आने की अनुमति ही न देते। यह तो हमारा मन था कि शान्तिपूर्ण

वातावरण में विचार करें और किसी तरह की आंच न आने पावे और कई घंटे तक विचार-विमर्श होता रहा, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने सौंपी है, उसको निभाते हुए मैंने बाहर आकर उनको सम्बोधित भी किया और कहा कि 27 तारीख को बैठकर हम लोग सारे मसले पर विचार करेंगे। बोर्ड को भंग करने का मसला है उसके लिए लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा, वित्तीय कठिनाई है। एक समान वेतन देने के बारे में हमें सोचना है। वैसे तो इनके सारे मसले हैं और हम उनसे सहमत भी हैं, लेकिन हमारी भी कठिनाइयां हैं, उनकी ओर भी हमें ध्यान देना है। आज चाहे हमारे विद्युत् कर्मचारी हों या चाहे और कोई हों, सब अपनी-अपनी मांगों को बढ़ा रहे हैं जिससे अशान्ति का वातावरण दिखाई देता है। जहां तक होम्योपैथी के विद्यार्थियों का प्रश्न है उनकी मांगें आज की नहीं हैं पिछले 8 वर्षों से चली आ रही हैं, आज आप विपक्ष में बैठकर उनकी दुहाई देने लगे हैं, लेकिन जब ये लोग सत्ता में थे तो उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, बल्कि ठुकराते रहे।

जहां शान्ति और व्यवस्था का सम्बन्ध है, उसके लिए हमने सरकारी स्तर पर जो भी प्रयास हो सके हैं, इस सम्बन्ध में किए हैं। सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि कहीं भी इस प्रकार की अव्यवस्था न होने पावे। यह तो अखबार जो हमारे बन्द पड़े थे, उनका परिणाम है। हम इस बात को भी सुनने के लिए तैयार हैं जिस प्रकार के समाचार अखबारों में प्रकाशित हों।

एक बात की ओर कुछ हमारे माननीय सदस्यों और विपक्ष के सदस्यों की ओर से विशेषरूप से हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की काफी चर्चा की है। जो लोग आज विपक्ष में हैं, आज वे हरिजनों के नाम को लेकर बहुत दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उनके कत्ल किये गए हैं, उनको डकैतियों और तरह-तरह के अपराधों में फंसाया जा रहा है। ऐसा पता चलता है कि सारा हरिजन समाज त्रस्त है। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ समाचार-पत्रों में इस प्रकार के भ्रामक समाचार पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार, जिसकी तरफ इशारा माननीय राज्यपाल जी के सम्बोधन में भी किया गया है, उनके हितों की हम रक्षा करेंगे। उनके हितों के विरुद्ध किसी भी अत्याचार को हम सरकार में रहकर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर अन्त्योदय की कल्पना करते हैं जिसमें जो शोषित और पिछड़ा वर्ग समाज है, वह आगे बढ़े। ऐसे समय में हम और हमारी जनता पार्टी की सरकार कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उनके हितों पर कुठाराघात हो।

कुछ मामलों में पत्र की भी चर्चा की गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि एक पत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। वह पत्र अंग्रेजी के समाचार-पत्र में, जिनका उल्लेख है, हमारे प्रधान मन्त्री ने किया है और वह पत्र जो मुझे भी भेजा था, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि उसकी यहां पर चर्चा हुई थी। जो अखबार में खबर छपी है उसमें चार हरिजनों का जिक्र आया है। जिन लोगों ने प्रधान मन्त्री को चिट्ठी भेजी थी, उसका हवाला केवल उसमें था लेकिन जब मैंने पता लगवाया, जांच करवाई तो पता चला कि कहीं भी हरिजनों के साथ अन्याय की बात साबित नहीं हुई। जिन चार घटनाओं का जिक्र किया गया है, पहली उसमें ग्राम उताव, जिला गोरखपुर की श्री अनुरुद्ध हरिजन की है जिसका उल्लेख प्रधान मन्त्री जी ने अपने पत्र में किया है, दूसरी ग्राम बहादुरपुर की है और

[श्री राम नरेश यादव]

तीसरी बस्ती की एक घटना है और उसी जिले में खंजोर बाजार में एक हरिजन को पीटे जाने की घटना है। आजमगढ़ जिले में राम बचन ने अनशन करने की धमकी दी है। इन चार घटनाओं की सूचना किसी प्रकार से समाचार-पत्रों में आ गई है। इस पत्र का उत्तर मैंने दिनांक 12 जुलाई, 1977 को ही भेज दि ा। जांच के पश्चात् जो समाचार मिला, मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर की घटना थी। जब 23 तारीख को जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया है, उसके बाद की यह घटना नहीं है, बल्कि यह घटना दिनांक 29 मई, 1977 की है जबकि राज्यपाल का शासन हमारे प्रदेश में था। लेकिन जो कार्य-वाही शुरू हुई उसमें मारने वाले को शासन में आने के बाद पकड़ा गया और कार्यवाही हुई और वह आज भी चल रही है।

दूसरे, बस्ती की घटना के बारे में जो चर्चा की गयी तो बहादुरपुर की जिस घटना की खबर उस समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई वह हरिजन नहीं है, वह जाति का कहार है और उस का कत्ल नहीं किया गया बल्कि उस पर एक बलवे का मुकदमा कायम हुआ है। हरिजन से कोई सम्बन्ध उस घटना का नहीं है।

उसी तरह से हैंसर बाजार में दिनांक 18 जून, 1977 को शिव पूजन ने थाने में रिपोर्ट लिखाई तो दिनांक 8 जुलाई, 1977 को चार्ज शीट दाखिल कर दी गयी। वह साधा-रण मार-पीट की, गैर-दस्तन्दाजी की घटना थी। इसलिए कहीं पर हत्या या कत्ल करने का आरोप या इस तरह की बात नहीं हुई और आजमगढ़ की जो चर्चा की गयी तो आजमगढ़ से मेरा सम्बन्ध है। उस घटना में भी कहीं पर हत्या, राहजनी, डकैती या ऐसे अपराधों में फंसाने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने दिनांक 4 जुलाई, 1977 को अनशन शुरू किया और 5 को ही अपना अनशन समाप्त कर दिया। यह समाचार थे जिस पर कि हमारे समाचार-पत्रों में मोटे हेडिंग्स में बहुत कुछ दिया गया। इसी तरह से दूसरी घटना जिसे कि समाचार-पत्र में मुख्य पृष्ठ पर छापा गया वह इसलिए किया गया कि जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए आज भी एक षड़यन्त्र और कुचक्र रचा जा रहा है। उससे जनता को और इस सदन को आगाह रहना चाहिए। इसलिए मैं इस बात का संकेत कर रहा हूं।

मेरठ जिले की कुछ घटनाओं की चर्चा हुई। नेशनल हेराल्ड में दिनांक 11 जुलाई, 1977 को वह सारा समाचार प्रकाशित भी हुआ था। विधान सभा में भी यह मामला उठाया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारे मामले फसल काटने के जो उठाए गए हैं वह इस सरकार के बनने के पहले के सारे मामले हैं, जिन पर किसानों ने हरिजनों के पट्टे के आधार पर कुछ जगहों पर फसल काट ली थी, लेकिन उसकी तफतीश और जांच हमने सरकार में आने के बाद करवाना शुरू कर दिया है। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसका बहुत कुछ समावेश नहीं रहा है, ये सारी चीजें रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने और जनता पार्टी ने हरिजनों के अन्त्योदय की बात करते हुए पिछड़े वर्ग को आगे बढाने का जो कार्य प्रारम्भ किया है तो कभी भी उनके अधिकारों के प्रति ऐसा नहीं है कि हम असावधान रहे हों या सजग न रहे हों। इसीलिए हमने रेडियो में अपने प्रसारण से भी स्पष्ट कर दिया था और अधिकारियों को आदेश दे दिया था कि कहीं पर अगर हरिजनों के साथ इस तरह का अन्याय होगा तो जनता पार्टी

और सरकार इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकती और वहां के अधिकारी उसके लिए उत्तरदायी होंगे। इस तरह के आदेश सब जगह प्रसारित कर दिए गए।

एक बात अवश्य है कि माननीय तिवारी जी ने विपक्ष में बैठने के बाद विपक्ष की तरफ से यह उठाया था कि हमने राज्यपाल का जो अभिभाषण है और हमारा जो बयान था, उस को हमने दूसरे ढंग से दिया। तोड़-मरोड़ कर तिवारी जी बातों को रखना जानते हैं। वाक्-पटुता है इसलिए उन्होंने जिस तरह का मेरा बयान था, उसको पूरा न पढ़कर केवल ऐसे अंश को पढ़ना शुरू किया जिससे यह आभास हो कि सचमुच में इस तरह का बयान दिया गया। मैंने स्पष्ट यह कहा था कि जो पट्टे हुए थे, उन्हीं पट्टों के होने के बाद बहुत से बड़े-बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया था, हमने उनसे कब्जा दिलाने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया है। इस तरह का मेरा बयान था। उसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। हरिजनों के बारे में जो इस तरह की बात कही जाती है, वह बिल्कुल ही असत्य है। कभी भी न तो सरकार का इस तरह का इरादा रहा और न आज है। हमारी नीति स्पष्ट है कि हमारे मन में उनको ऊंचा उठाने की बात है। हमने स्पष्ट कहा है कि पिछली सरकार द्वारा हरिजनों के लिए मकान और खेती की जमीन बांटने का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था और यह व्यवस्था गांव समाज और बड़े-बड़े व्यक्तियों से सीलिंग में जमीन निकाल कर की गयी थी। कागज पर तो यह हो गया था पर मौके पर कब्जा नहीं मिला और जिन्हें मिला उस पर पुराने व्यक्तियों ने या गांव के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया। यह तो कब्जा दिलाने के लिए आदेश जारी कर दिया था। उसके साथ ही साथ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उनको सुख-सुविधाएं पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाने का निर्णय किया गया है। हरिजनों के लिए ऐसी व्यवस्था होने जा रही है जिससे वे बेकार न रह सकें और उनकी बेकारी की समस्या हल हो सके।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री गौरी शंकर जी, आप अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

जिस तरह बेलछी काण्ड की जांच के लिए संसद सदस्यों का एक दल भेजा गया था क्या उसी तरह इसके लिए इस सदन के सदस्यों का भी कोई दल भेजने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैं यह कतई नहीं कहता कि कहीं पर कोई घटना ऐसी नहीं हुई। हुई है, लेकिन सुनियोजित ढंग से कहीं कोई काम उनके खिलाफ करने की बात हो, ऐसा नहीं है। इसी के साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों या विद्यार्थियों पर मुकदमें चलाए गए थे उन सारे मुकदमों को इस सरकार ने वापस ले लिया है। कुछ ऐसे मामले रह गए हैं जिनके ऊपर डी0 आई0 आर0 और दूसरे मुकदमें थे। जानकारी होने पर उनको वापस लिया जा रहा है। इसके अलावा आपात स्थिति के दौरान जिन सरकारी नौकरों को नौकरी से निकाला गया, निलम्बित हुए या जिनकी तनख्वाहें रोक ली गयी थीं, उनको हमने पूर्वस्थिति पर

[श्री राम नरेश यादव]

लाने का निर्णय किया है और किए गए हैं। साथ ही साथ आपात् स्थिति के दौरान आज जो विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं, उनकी बर्बरता के जो शिकार हो गए थे, मीसा के अन्दर रहते हुए जो हमेशा-हमेशा के लिए दुनियां से विदा हो गए थे उनके परिवार वालों को 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक देने का फैसला हमने किया है। नौकरी में भी हमने उनके परिवार के आश्रितों को संरक्षण देने की व्यवस्था की है। तो इस तरह से जितने भी मामले हैं, उन सब की तरफ इस सरकार का ध्यान गया है।

एक और बात सरकारी कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारी जो हमारे प्रशासन की कड़ी हैं, उनको भी भूल कर सरकार नहीं चल सकती। दोनों के सहयोग से ही प्रशासन चलता है। इसलिए उनकी भी जो समस्याएं है उन पर भी हमें ध्यान देना है और उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने जो अपने घोषणा-पत्र में वायदा किया था, जिसकी चर्चा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हुई है, उसको भी पूरा किया है। बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन-कर भी लगाने की बात पर विचार हम कर रहे हैं और शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे। इसके अध्ययन के लिए हमने एक कार्यकारी दल का भी गठन किया है।

मान्यवर, राज्य सरकार के संसाधनों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके यह निर्णय किया कि अनिवार्य जमा योजना की छटी से नवीं किस्त का भुगतान पहली जुलाई से नकद किया जायगा। 10वीं से 13वीं किस्त का 75 प्रतिशत भुगतान भी नकद किया जायगा शेष उसका 25 प्रतिशत भविष्य निधि खाते में इसी वर्ष तक जमा होगा।

किसानों को राहत देने के लिए भी हमने कदम उठाए हैं। बिजली का जो संकट पूरे प्रदेश में था वह आप जानते ही हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और जगह से बिजली की कटौती करके, हमने किसानों को अधिक बिजली देने की व्यवस्था की। इसका जिक्र भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है। पहले जहां नलकूपों के लिए 2 घंटे ही बिजली उनको मिल पाती थी, अब उनको 8–8 घंटे बिजली मिल रही है। जो छोटी-छोटी फैक्टरियां थीं उनको भी बिजली देकर उनको अपना काम करने का अवसर दिया गया।

इस तरह से मान्यवर, चाहे किसानों से सम्बन्धित नीति का मामला हो, चाहे श्रमिकों से सम्बन्धित नीति का मामला हो, चाहे हरिजनों से सम्बन्धित नीति हो, जिनका जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हुआ है, हमने उन पर विचार किया है और कदम उठाए हैं। जिस आशा और संकल्प के साथ, जनता की आकांक्षाओं के बल पर, जो यहां की सरकार बनी है, वह उसे पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और उसे यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि जिस निष्ठा और विश्वास के साथ उसने जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दिया है, इतना भारी बहुमत देकर शासन में भेजा है, मैं शासन की तरफ से उसे यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी प्रगति के लिए कोई भी कसर यह सरकार उठा नहीं रखेगी।

एक बात पर्वतीय विकास के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पर्वतीय विकास की भी अपनी समस्याएं हैं। वहां गरीबी है, पिछड़ापन है, पीने के पानी की भी समस्या है, मकानों

की भी समस्या है, जो वहां वनस्पति उत्पादन होता है, उसको लेकर वहां उद्योग चलाने की भी समस्या है, रोजगार दिलाने की भी समस्या है। मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर भी इस सरकार का ध्यान है। उन सब के प्रति यह सरकार सजग है, और सजग रहेगी और सजग रहकर जो कुछ भी अधिक से अधिक सम्भव हो सकेगा, यह सरकार करेगी। जो हमने वायदा किया है उसके प्रति हम कृत संकल्प हैं। साथ ही जो भी हमारी नई योजनाएं हैं, उनके बारे में जब बजट का समय आएगा तब हम उसका उल्लेख करेंगे।

बुन्देलखण्ड की समस्याएं भी काफी हैं। उनको भी हम नहीं भुला सकते।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी बोल रहे हैं, आप कृपया बैठिए।

(कुछ सदस्यों के पुनः एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपकी घोषणा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

इनकी बात सुन लीजिए, मान्यवर। इनको कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

आप बैठिए। आप बैठ जाइए। आप सदन छोड़िए। जब तक माननीय मुख्य मन्त्री जी अपना भाषण समाप्त न करें, कृपया कोई भी माननीय सदस्य उठ कर व्यवधान न करें। नियम यह है कि जब माननीय मुख्य मन्त्री अपना भाषण समाप्त कर दें, तो एक-एक सदस्य जो स्पष्टीकरण मांगना चाहते हों, वह अनुमति से बोल सकते हैं। माननीय गौरी शंकर जी का व्यवहार अत्यन्त अनुचित और इस सदन की गरिमा के विरुद्ध है। मैं उनको चेतावनी देता हूं कि आइन्दा वह इस तरह का व्यवहार न करें।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैं जहां तक उसकी चर्चा करने ही जा रहा था कि आपात् स्थिति के दौरान जिन अधिकारियों ने या जिन बड़े-बड़े सत्ता में रहने वाले लोगों ने हमारी प्रदेश की जनताके साथ राजनीति में रहने वाले लोग, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ज्यादतियां की हैं, तो यह सरकार उनको बरदाश्त करने वाली नहीं है। परिवार नियोजन का जो मामला था,

[श्री राम नरेश यादव]

उस मामले को लेकर जो कांग्रेसी सरकार ने ज्यादतियां की हैं, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर की घटनाओं को लेकर, उन सब के लिए आयोग बैठा दिया गया है। जहां कहीं से भी इन ज्यादतियों की सूचनाएं आ रही हैं, जिन्होंने ज्यादतियां की हैं, वे सब कोई भी आदमी जनता पार्टी की सरकार से बच कर नहीं जायेंगे जिन्होंने आपात् स्थिति के दौरान जनता के ऊपर आघात किया है। आपके संघर्षों के बल पर यह जनता सरकार बनी है। आपात् स्थिति में जो अन्याय हुए थे, उसके प्रतिकार स्वरूप और सिद्धान्तों के नाम पर जनता ने अंगड़ाई लिया था, इसलिए कहीं भी, किसी भी तरह की, जहां कहीं भी ज्यादतियां हुयीं हैं, चाहें वे किसी भी वर्ग के हों, चाहे अधिकारी हों या अन्य कोई हों, उन लोगों को यह जनता सरकार नहीं बख्शेगी। राजनीतिक लोगों ने भी जो ऐसे कार्य किए हैं, उन्हें भी सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी जो यहां पर बैठे हुए हैं और जिन्होंने अपने विचारों को यहां पर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर रखा है, अपनी तरफ से यह सरकार स्पष्ट रूप से एक संकेत दिया है, प्रगति की दिशा में कदम उठाने के लिए, उन सारे सुझावों का, उनकी सारी भावनाओं का आदर करते हुए स्वागत करता हूं। इसके साथ मैं राज्यपाल महोदय ने अपना जो अभिभाषण दिया है, उसके लिए धन्ववाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सदन उसे पास करे।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसकी अनुमति नहीं है, आप बैठिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मान्यवर, बड़ी कृपा होगी। केवल एक मिनट। मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने राज्य विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आपात्कालीन स्थिति के दौरान, कांग्रेसी हुकूमत ने कुछ अधिकारियों को सुपरसीड करके ऊंचे-ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। क्या उस पर मुख्य मन्त्री महोदय कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? ऐसे अधिकारियों के जिनके खिलाफ अखबारों में तमाम चर्चा हुई है ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाने जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी लोगों की तरह हमारी जनता पार्टी. . . .

श्री अध्यक्ष--

आप तो भाषण कर रहे हैं। स्पष्टीकरण करना चाहिए था।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, उत्तर दिलवाइए।

(शोर)

(शोर)

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दूंगा पाण्डेय जी की तरह। क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि इमरजेंसी के दौरान या उससे पहले जब तिवारी जी सत्ता में थे या बहुगुणा जी थे तो प्रदेश के अनेक कर्मचारी, निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को, वापस लेने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? मैंने सुना नहीं है। जैसे विक्रम काटन मिल और पी0 ए0 सी0 के नौजवानों का सवाल है उनकी चर्चा नहीं की गयी। आज तक पी0 ए0 सी0 के नौजवान बिना अदालत गए जेलों में बन्द हैं। इस पर थो प्रकाश डालें। जो लोग बन्द हैं. . . .

एक सदस्य--

आज तक, इसके पहले क्यों नहीं उठाया ?

श्री अध्यक्ष--

भगवती प्रसाद सिंह जी बैठिए, आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का सवाल नहीं है। बैठिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मैं इस समय विरोध पक्ष का एक मात्र सदस्य हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी बुरी बात है, सारा विपक्ष बहिर्गमन कर गया है। मेरी पार्टी आपके साथ है। आपकी पार्टी का दल है, अधिक सदस्य हैं। पूरे प्रदेश और हिन्दुस्तान में बहुत सदस्य हैं। अकेले मैं स्पष्टीकरण चाह रहा हूं, लेकिन पाण्डेय जी भाषण दे रहे थे, इसके बावजूद माननीय सदस्य मेरे ऊपर चोट कर रहे थे।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मन्त्री जी ने इस विवाद का उत्तर दे दिया है। इसको प्रश्नों का समय नहीं बनाया जा सकता। माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो स्पष्टीकरण मांगा है उसका उत्तर दें। उसके बाद अनुमति नहीं है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष --

आप लोग बैठिए। आप लोग नयी परिपाटी डाल रहे हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मेरी बात का स्पष्टीकरण नहीं कराया गया। मान्यवर, जिस तरह से बेलछी बिहार में हरिजनों के ऊपर अत्याचार किया गया, उसी तरह से आज अत्याचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट——

मान्यवर, हरिजनों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। गोरखपुर में, रामपुर में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष——

आप सदन छोड़िए, आपका व्यवहार अनुचित है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट——

[× × ×]

श्री अध्यक्ष——

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट——

[× × ×]

श्री अध्यक्ष——

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट——

[× × ×]

श्री अध्यक्ष——

गौरी शंकर जी जो कह रहे हैं वह प्रोसीडिंग का अंश नहीं होगा। इसकी अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं।

श्री राम नरेश यादव——

मान्यवर, हमारे विपक्ष के जिस सम्मानित सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है, मैं उसकी भावना का स्वागत करता हूं। मैंने उसे सुन लिया है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार उन सारे मसलों पर विचार कर रही है। उनकी समस्याएं हमारी आंखों से ओझल नहीं हैं और जब विचार हो जाएगा तो बतला दिया जाएगा।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष——

आप बैठें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट——

[× × ×]

श्री अध्यक्ष——

यह प्रोसीडिंग का अंग नहीं होगा।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)——

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि मेरे प्रस्ताव पर इधर बैठने वाले और सामने बैठने वाले सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल और उनके सदस्यों ने जो विचार हमारे प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये उनको सुनकर मुझे निराशा हुई। मैं समझता था कि सत्ता पक्ष में वह रह चुके हैं तो कोई रचनात्मक सुझाव देंगे महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में जिन नीतियों की ओर दिशा दिखलाई है या जनता शासन जो काम करना चाहता है उस पर कोई संशोधन या सुझाव, देंगे लेकिन ऐसा न करके विरोधी पक्ष ने केवल विरोध के लिए विरोधी

नोटः—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बातें कही हैं। जनता पार्टी के शासन ने राजनीतिक क्रान्ति की है और सत्ता परिवर्तन किया है। जनता पार्टी के सामने अब सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति करना शेष है। वह ऐसे समाज की रचना करना चाहता है जो शोषण से मुक्त हो, ऐसे लोग जो गरीब और गिरे हुए रहे हैं, उनको साधन मिलें, उनको सामर्थ्य मिले, और वह सम्पन्न हों। इन शब्दों के साथ मैं उन सभी सदस्यों का आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने हमारे प्रस्ताव पर विचार प्रकट किए हैं। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष ने एक सवाल उठाया कि जो हरिजन इस प्रदेश में हैं उनके साथ अन्याय होता है और जनता पार्टी की सरकार उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री ने अपने उत्तर में इन सब बातों का विशेष रूप से उत्तर दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि जो हरिजन हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, उनके सवाल को राजनीतिक सवाल न बनाया जाय। इसको एक प्रकार का साधन कांग्रेस न बनाए। इस सवाल के तथ्यों पर विचार करें। जनता सरकार इस मामले में सजग और सचेत है। यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो उनके खिलाफ जांच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन पारित करे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मेरा व्यवस्था का सवाल है। आपके सामने जब नेता सदन बोल रहे थे तो एक माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के श्री दीक्षित ने कहा कि "झूठ" बोल रहे हैं परन्तु उस बात की नोटिस आपने नहीं लिया। श्रीमन्, जब नेता सदन को बोलने नहीं दिया गया तो आपने नेता विरोधी दल को पुकारा। उस समय सत्ता पक्ष से एक सदस्य ने आपत्ति की थी और निवेदन किया था कि जब नेता सदन को बोलने नहीं दिया जा रहा है और वह नहीं सुनना चाहते तो हम भी नहीं सुनना चाहते हैं। आप आवेश में उस समय आ गए और आपने व्यवस्था दी कि सत्ता पक्ष सदन की गरिमा को गिर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी कार्यवाही को देख लें—जो कहा है और फिर अपने निर्णय को संशोधित करें। आप किसी सदस्य विशेष से यह बात कहें तो कह सकते हैं लेकिन पूरे सत्ता पक्ष पर यह लांछन लगाना कहां तक उचित है, इस पर आप विचार करें।

श्री बांके लाल—

अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। माननीय मन्त्री जी ने आपत्ति की थी कि इस पक्ष से झूठ शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसको मैंने कार्यवाही से निकालने के आदेश दे दिए थे। जब विपक्ष के लोग व्यवधान डाल रहे थे तो मैंने नेता विरोधी दल से अपील की थी कि शान्ति स्थापित करें और ठीक ढंग से आचरण करें। इसलिए मेरी अनुमति से माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे। इसी बीच इस पक्ष से कुछ लोग उठे और व्यवधान डाला। यह विशेष रूप से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। जब नेता सदन बोल रहे हैं तो अगर विपक्ष व्यवधान डाल भी रहा है तो आपको, इस पक्ष के लोगों को शान्ति बनाए रखना चाहिए। जब उधर के एक सदस्य नियम विरुद्ध आचरण कर रहे थे तो उनके निष्कासन का आदेश दे रहा था, लेकिन इधर इतना शोर मच रहा था कि सुन नहीं सकते थे। यह तो परम्परा का सवाल है, व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री बांके लाल—

जब नेता विरोधी दल खड़े हुए थे....

श्री अध्यक्ष—

कोई इस पर विवाद नहीं है। आप बैठ जायं या किसी नियम के अनुसार बोलें (एक क्षण के उपरान्त) अब मैं संशोधनों पर मत ले रहा हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने नत्थी "क" में जो संशोधन रखे हैं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जो: दिए जायं :—

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जो: दिया जायं :—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में —

(1) प्रदेश भर में हरिजनों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, एवं अन्य निर्बल वर्ग के लोगों पर निरन्तर हो रहे अत्याचारों के दोषी व्यक्तियों को कानून की परिधि के अन्तर्गत प्रताड़ित करने की कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की।

(2) प्रदेश के अनेक स्थानों में विगत विधान सभा चुनाव के अवसर पर जबरन करायी गयी गड़बड़ियों, निर्बल वर्ग को वोट देने से रोकने, पोलिंग स्टेशनों पर हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा कब्जा कर फर्जी वोट ठप्पेबाजी कर डलवाने की घटनाओं व चुनाव प्रबन्ध में लगे कर्मचारियों पर हमलों आदि का उल्लेख कर प्रशासन की अक्षमता व की गयी आनुषंगिक कार्यवाहियों का उल्लेख नहीं किया।

(3) प्रदेश भर में विगत कुछ सप्ताहों से गांवों व शहरों में बढ़ती हुई अराजकता एवं सभी प्रकार के अपराधों में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी निरोधक उपायों का समुचित उल्लेख नहीं किया।

(4) प्रदेश में जनता के लिए उपयोगी सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं अनुपलब्धता का उल्लेख नहीं किया और प्रस्तावित निरोधक उपायों को नहीं बताया।

(5) प्रदेश के छात्रों एवं युवकों के कल्याण के लिए किसी भी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया।

(6) प्रदेश के शहरों में रहने वालों करोड़ों नागरिकों के प्रति उपेक्षा दर्शाते हुए यह नहीं बताया कि क्या शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने के लिए भी कदम उठाए जायेंगे और यदि हां, तो कौन से।

(7) प्रदेश के मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, राजकीय एवं अन्य कर्मचारियों एवं अध्यापकों आदि के कल्याण के लिए किसी भी नीति या कार्य-क्रम का उल्लेख नहीं किया।

(8) प्रदेश भर में कांग्रेसजनों तथा अन्य वर्तमान शासकीय ग्रुप की नीतियों से असहमत राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से की जा रही कार्यवाहियों को रोकने व प्रश्रय न देने सम्बन्धी नीति की घोषणा नहीं की एवं प्रदेश के बहुसंख्यक लगभग 52 प्रतिशत वर्तमान शासकीय दल के विरुद्ध मत देने वाले मतदाताओं को आश्वस्त नहीं किया कि जनता पार्टी को वोट न देने के कारण उनका कोई नुकसान नहीं किया जाएगा तथा कोई भेदभाव नहीं बरता जायगा।

(9) यह घोषणा नहीं की कि प्रदेश के श्रमिकों को कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जायगा।

(10) यह घोषणा नहीं की कि राज्य के बीमार चीनी एवं कपड़ा मिलों के जीर्णोद्धार की प्रस्तावित योजनाएं चालू की जायेंगी एवं चीनी मिलों के आवश्यकतानुसार सहकारीकरण अथवा राष्ट्रीयकरण की संस्तुति करने के लिए कदम उठाए जायेंगे ।

(11) प्रदेश के पूर्वी, पर्वतीय, बुन्देलखण्ड एवं पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों व भागों की विशेष समस्याओं व उनके हल का कोई उल्लेख नहीं किया ।

(12) पिछली सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निम्न अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णयों को बहाल एवं लागू करने की घोषणा नहीं की—

(क) उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के हित में लगान में कमी कर पुरानी चली आ रही लगान दर बहाल करना ।

(ख) कृषि भूमि पर विकास कर की दरें निम्न प्रकार पुनरीक्षित करना—

(1) 3 1/8 एकड़ तक की छोटी जोत वाले किसान विकास कर से मुक्त करना ।

(2) 3 1/8 से 6 1/4 एकड़ तक की जोत वाले किसानों द्वारा पुराने लगान का केवल आधा विकास कर के रूप में देय होगा ।

(3) 6 1/4 से 12 1/2 एकड़ तक जोत वाले किसान द्वारा केवल पुराने लगान के बराबर धनराशि विकास कर के रूप में देय होगा ।

(4) 12 1/2 एकड़ से अधिक की जोत वाले किसानों द्वारा लगान के दुगुने के बराबर धनराशि विकास कर के रूप में देय होगी ।

(ग) कि किसानों के लिए बिजली की न्यूनतम दरें 15 रु0 प्रति हार्स पावर से घटाकर 12 रु0 प्रति हार्स पावर कर दी जायगी और उन्हें यह सुविधा दी जायगी कि वे 30 सितम्बर तक अपने कनेक्शन के लोड में आवश्यकतानुसार कमी करा सकेंगे जिससे उन्हें कम हार्स पावर पर भुगतान की सुविधा मिल जायगी ।

(घ) कि राजकीय ट्यूबवेल व सिंचाई की दरों में कमी की जायगी और 21 रुपया प्रति एकड़ का सिंचाई शुल्क समाप्त कर दिया जायगा तथा सिंचाई की दर एक जुलाई से 30 अक्तूबर तक एक रुपए में 16000 क्यूसेक और 1 नवम्बर से 30 जून तक 1 रुपया में 8000 क्यूसेक निर्धारित की जायगी ।

(ङ) जिन जिलों में 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से अधिक जन संख्या उर्दू पढ़ने लिखने वाली है, वहां उर्दू को द्वितीय राज भाषा का स्थान देने का सिद्धान्त स्वीकार करना तथा उसको लागू करने के लिए उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाना ।

(च) कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय सेवाओं और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रदेश की पिछड़ी जातियों को 15 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जायगा ।

(छ) कि भर जाति के लोगों को पूरे प्रदेश में विमुक्त जाति को दी गई सुविधाएं सुलभ की जायगी ।

(ज) कि सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री परिषद् का प्रदेशीय तथा जिला स्तर पर संगठन किया जायगा ।

[श्री अध्यक्ष]

(झ) कि सभी श्रेणियों के राजकीय कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के बाद भविष्य निर्वाह निधि प्राप्त करने में कठिनाई को दूर करने के लिए ''निधिपास बुक'' दी जायगी और उनके भविष्य निधि का पूरा लेखा-जोखा विभागाध्यक्ष के स्तर पर रखा जायगा।

(त) कि पहा ी क्षेत्रों में कार्यरत राज कर्मचारियों को हिल एलाउन्स दिया जायगा जिससे वह कठि ा परिस्थितियों में कार्य कर सकें तथा पिथौरागढ़, उत्तर काशी व चमोली में यह भत्ता भी उनके वेतन का भाग माना जायगा और पेंशन तथा ग्रेच्युटी में उनको इसका लाभ मिल सकेगा।

(थ) कि ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों, जैसे ग्राम सेवक, लेखपाल, सहकारी सुपरवाइजर, पशु-सेवक, पंचायत सेवक आदि की सेवा शर्तों को अधिक सुविधा-जनक बनाने के उद्देश्य से उनकी कुल संख्या का 20 प्रतिशत विशेष ग्रेड निर्धारित किया जायगा तथा ग्राम सेवकों को सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के अवसर दिए जायेंगे।

(द) कि चीनी मिल मजदूरों को पूर्व निश्चित फार्मूलानुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जायगा।

(ध) कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को 1 जनवरी, 1977 से 5 कवाल नगरों और 17 अन्य नगरों में राजकीय कर्मचारियों की भांति मकान भत्ता दिया जायगा और इस प्रकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद के म्युनिसिपल कारपोरेशन क्षेत्र में रहने वाले अध्यापक वेतन का 10 प्रतिशत तथा मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, रामपुर, शाहजहांपुर, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फैजाबाद के म्युनिसिपल क्षेत्रों में रहने वाले अध्यापकों को वेतन का 7 1/2 प्रतिशत (यदि वह 750 दर से कम वेतन पा रहे हैं) मकान भत्ता दिया जायगा।

(न) कि राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान स्वीकृत किए जायेंगे तथा अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों पर नवीन वेतनमान लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जायगी।

(प) कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय कर्मचारियों की दर पर पेंशन 1 मार्च, सन् 77 से स्वीकृत की जायगी।

(फ) कि बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति सेवा काल में 12 मास का चिकित्सकीय अवकाश पूर्ण औसत वेतन पर दिया जायगा।

(ब) कि छोटे व्यापारियों द्वारा देय बिक्री-कर के टर्न ओवर की सीमा 25,000 रुपया से बढ़ाने के लिए एक अधिकारिक समिति का गठन किया जायेगा।

(भ) कि व्यापारियों को राहत देने के लिए खाद्यान्न पर अन्तिम सूत्र पर बिक्री-कर के बजाय प्रथम सूत्र बिक्री-कर लगाया जायगा।

(म) कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम की धारा 3–ङ को पूर्वगामी प्रस्ताव से समाप्त कर दिया जायगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं मूल प्रस्ताव को ले रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि "यह सदन, श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 12 जुलाई, 1977 को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम 51 की सूचनाओं को ले रहा हूं। चूंकि सदन आज उठ रहा है और उत्तर देना सम्भव नहीं है इसलिए केवल सूचना के लिए पढ़ रहा हूं । मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया है ।

श्री हरिकेवल प्रसाद और श्री रवीन्द्र सिंह का "प्रदेश के बेसिक शिक्षा कर्मचारी जो 13 जुलाई से शिक्षा मन्त्री के आवास के सामने क्रमिक अनशन कर रहे हैं, की, मांगें पूरी न होने के कारण 25 जुलाई से आमरण अनशन करने के निश्चय से उत्पन्न संकट" के संबंध में है। श्री सोहन वीर सिंह तोमर और श्री अवधेश नारायण की भी इसी प्रकार की सूचना है ।

श्री अरुण कुमार का "खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के ग्राम नारंगा में हरिजन मजदूरों की एक कुएं में उतरने पर जहरीली गैस से मृत्यु" के सम्बन्ध में है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी का "जनपद उन्नाव के ग्राम लक्ष्मन पुरवा, खम्मा पुरवा, हिन्दुपुर, धन्नापुरवा आदि दर्जनों ग्रामों का गंगा नदी से कटाव" के सम्बन्ध में है ।

श्री लक्ष्मी नारायण की "आपात काल में परिवार नियोजन के अन्तर्गत बिक्री-कर विभाग के कर्मचारियों पर ज्यादतियों" के सम्बन्ध में है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की "दिनांक 22 जुलाई, 1977 को सुबह 8.30 बजे के लगभग हसनगंज से जो सड़क नाका हिण्डोला को जाती है, उस पर तैनात पुलिस अधिकारी, श्री मोहन सिंह द्वारा हुसैनगंज चौराहे से नाके की तरफ जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों से सभी कागजात ले लेना तथा कोई रसीद न देना" के सम्बन्ध में है ।

श्री सुखपाल पण्डेय और श्री दिवाकर विक्रम सिंह की "घाघरा नदी की भयंकर कटान के कारण बस्ती जिले में स्थित हरैया तहसील का दक्षिणी भाग ध्वस्त एवं तहस-नहस हो जाने से उत्पन्न संकट" के सम्बन्ध में है ।

श्री बाबू राम वर्मा की "बस्ती शहर के कृष्ण पाण्डे इण्टर कालेज के हाई स्कूल परीक्षा के 40 छात्रों का जो कामर्स साइड के थे, परीक्षा फल घोषित न होने के कारण उन विद्यार्थियों में रोष" के सम्बन्ध में है ।

[श्री अध्यक्ष]

श्री दशरथ सिंह की "दिनांक 27 जुलाई, 1977 को फखरुद्दीन अली अहमद, राजकीय इण्टर कालेज, गोण्डा के प्राचार्य, श्री मिथलेश कुमार निगम को उनके कार्यालय में गोली तथा छर्रों से घातक चोटें पहुंचाना तथा कोई गिरफ्तारी न किया जाना" के सम्बन्ध में है ।

श्री रमा शंकर कौशिक की "जनपद मुरादाबाद में कानून तथा सुरक्षा में गिरावट तथा कत्ल और डकैतियों के कारण जनता में रोष" के सम्बन्ध में है ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' की "जनपद कानपुर में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा धांधली से कौरोंवा तहसील, डेरापुर की सारी जनता परेशान" के सम्बन्ध में है ।

श्री विद्या शंकर पाण्डेय की "जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका विद्यालय में कक्षा 6 की सैकड़ों बालिकाओं को प्रवेश न मिलने के कारण कठिनाई" के सम्बन्ध में है ।

श्री विद्या शंकर पाण्डेय की "परिवार नियोजन विभाग के सेवारत कर्मचारियों को स्थायी न करने तथा उनकी वरिष्ठता की सूची के विषय में कोई कदम न उठाने से कर्मचारियों में रोष" के सम्बन्ध में है ।

श्री देव कुमार की सूचना समय उपरान्त प्राप्त हुई, अतः अनियमित है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की सूचना समय उपरान्त प्राप्त हुई, अतः अनियमित है ।

बस्ती जिले में कत्ल तथा डकैतियों की घटनाएं होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

यह कहना सही नहीं है कि बस्ती जिले में पुलिस प्रशासन ठप्प है। बस्ती जिले में अपराधों के तुलनात्मक अपराध आंकड़ों से स्पष्ट है कि डकैती, राहजनी या हत्या के अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है। 1 जनवरी से 15 जुलाई की अवधि के तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार हैं .—

डकैती

वर्ष 1977 में 1 जनवरी से 15 जुलाई तक 39 डकैती के अपराध दर्ज हुए जो वर्ष 1976 तथा 1975 में इसी अवधि में दर्ज अपराधों से कम हैं । वर्ष 1975 में डकैती के 48 अपराध दर्ज हुए व वर्ष 1976 में डकैती के 48 अपराध दर्ज हुए। इस प्रकार 1977 में डकैती के अपराधों में कमी हुई है ।

राहजनी

1 जनवरी से 15 जुलाई तक वर्ष 1975 में राहजनी के 38 अपराध हुए, वर्ष 1976 में 42 अपराध हुए और वर्ष 1977 में केवल 27 अपराध हुए। इस प्रकार राहजनी के अपराधों में भी जिले में कमी हुई है ।

हत्या

1 जनवरी से 15 जुलाई की अवधि में वर्ष 1975 में 34 अपराध हुए, वर्ष 1976 में इसी अवधि में हत्या के 48 अपराध हुए और वर्ष 1977 में इस अवधि में हत्या के 46 अपराध हुए। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में हत्या के अपराधों में भी वृद्धि नहीं हुई है।

यह कहना भी असत्य है कि जिले में इस समय प्रतिदिन एक कत्ल के हिसाब से कत्ल हो रहा है। 15 जून से 15 जुलाई, 1977 तक जो घटनाएं विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्या की घटित हुई, उनका विवरण इस प्रकार है—

हत्या के मुकदमें की संख्या—11; मृतकों की संख्या—12

यह कहना भी सत्य नहीं है कि गत सप्ताह जिले में सात कत्ल हुए जिनमें से दिनांक 12 जुलाई, 1977 को दो कत्ल कोतवाली के पास दिन में 9 बजे, उसी दिन दो कत्ल लालगंज थाने में एवं तीन अन्य पैकोलिया आदि थानों में हुए। इस सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है:—

दिनांक 10 जुलाई से लेकर 18 जुलाई, 1977 तक केवल तीन हत्या की घटनाएं हुई हैं, इनमें एक घटना 12 जुलाई, 1977 को कोतवाली थाने से लगभग 9 किलोमीटर दूर ग्राम, बायपोखर की हद में हुई थी। जिसके सम्बन्ध में अपराध संख्या 424, धारा 147/148/149/302/323 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत हुआ। यह घटना पूर्व वैमनस्यता के कारण घटित हुई। मृतकगण के विरुद्ध भी कई मुकदमें चल रहे हैं। रोकथाम के लिए पुलिस ने धारा 107/116 दण्ड विधान संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की थी। पुलिस की दविशों के कारण चार अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, 10 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया है। सभी अभियुक्त जेल में हैं।

थाना लालगंज क्षेत्र में जून, 1977 के पश्चात् कोई घटना हत्या की नहीं हुई। 12 जुलाई को कोई घटना हत्या की लालगंज क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है और न होना ही सूचित है।

दूसरी घटना बस्ती शहर की है जिसमें गोपे नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है एवं रज्जन नामक व्यक्ति को छरें की चोट आई है, जो अस्पताल में दाखिल हुआ। उसकी हालत ठीक है। थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 433, अन्तर्गत धारा 396 भारतीय दण्ड विधान दर्ज है। विवेचना से एक अभियुक्त मय देशी तमन्चे के गिरफ्तार हुआ है। अन्य अभियुक्तों के शीघ्र गिरफ्तार किए जाने के प्रयास हो रहे हैं।

तीसरी घटना पैकोलिया थाना के अन्तर्गत घटित हुई है जो अपराध संख्या 86, धारा 147/148/302/307/323/324 भारतीय दण्ड विधान की है। मामले की विवेचना तत्परता से की जा रही है।

यह कहना सत्य नहीं है कि पैकोलिया थाने में बिना नागा रोजाना डकैती पड़ रही है। इस वर्ष पैकोलिया थाने में केवल तीन डकैती की घटनाएं हुई हैं, जिनके विवरण इस प्रकार हैं—

(1) अपराध संख्या 65, अन्तर्गत धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान, ग्राम कनरखपुर, दिनांक 12 जून, 1977।

(2) अपराध संख्या 67, अन्तर्गत धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान, ग्राम मौखरी, दिनांक 15 जून, 1977।

(3) अपराध संख्या 87, अन्तर्गत धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान, ग्राम जिवधरपुर, दिनांक 10 जुलाई, 1977।

सही अपराधियों और गिरोह को पकड़े जाने का प्रयास हो रहा है। मुकदमें की विवेचना हो रही है। पी० ए० सी० क्षेत्र में तैनात कर दी गयी है।

[श्री राम नरेश यादव]

जहां तक 50 पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक पोलिंग आफिसर को पुलिस उपाधीक्षक, श्री तिवारी की उपस्थिति में मार-पीट कर बेहोश किए जाने के आरोप का सम्बन्ध है, प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सगीर हैदर रिजवी, पोलिंग आफिसर, द्वितीय पार्टी नं0 177 ने दिनांक 11 जून, 1977 को कोतवाली, बस्ती में सुबह 9.45 बजे मिर्जा मुईद बेग, मुन्शी, कोतवाली, बस्ती तथा 5-6 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध जिन्हें देखकर पहचान सकना अंकित किया गया है, वादी को लाठियों से मारने-पीटने के सम्बन्ध में धारा 147/323/332 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी। श्री रिजवी को साधारण चोटें आईं थीं और वे अचेत नहीं हुए थे। श्री रिजवी की रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमें की विवेचना सर्किल आफिसर, खलीलाबाद कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में दो पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। श्री तिवारी घटना के शीघ्र ही बाद घटनास्थल पर पहुंच गए।

घटना की सूचना मिलने के पश्चात् पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र भी घटनास्थल पर गए थे एवं उन्होंने वस्तुस्थिति को स्वयं देखा था। कर्मचारियों ने पुलिस पार्टी के साथ ट्रक पर जाने से मना किया अतएव पुलिस कर्मचारियों को दूसरी ट्रकों से भेजा गया। चुनाव के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारीगण पुलिस उप महानिरीक्षक के नहीं वरन् जिला मैजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप एवं निर्देशों के अनुसार चुनाव ड्यूटी पर गए। कर्मचारियों में इस समय असन्तोष की कोई भावना दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। मामले में विवेचना को हर प्रकार से पूरी छान-बीन के साथ किया जा रहा है।

अपराधों पर नियन्त्रण हेतु शासन द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को आवश्यक आदेश दिए गए हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के देखने में स्वयं ही यह वक्तव्य भ्रमात्मक नहीं है? साल भर के आंकड़े दिए गए हैं। उन आंकड़ों को छोड़ दिया जाय। जो सरकार के आंकड़े हैं 15 जून से 15 जुलाई तक, एक महीने के बीच जो 3 कत्ल हुए यह सरकार के आंकड़े हैं और जो डकैतियों की संख्या है वह बहुत कही जा रही है। अध्यक्ष महोदय, 10 जून को पोलिंग के दिन पुलिस पार्टी और पोलिंग पार्टी के ऊपर हमला हुआ जो कि दर्ज है। इन सब बातों को देखते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी सारे मामलों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेज कर करायेंगे? मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि यह आपके आंकड़े दिए हुए हैं। साल भर को आप छो दें एक महीने के ही आंकड़े ले लें उसको देखते हुए मुख्य मन्त्री जी बस्ती जिले की अपराधों की स्थिति की जांच वरिष्ठ अधिकरी द्वारा करायेंगे?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो समाचार या जो सूत्र थे, उसके आधार पर मैंने उत्तर दिया है। यदि माननीय सदस्य किसी अपराध के बारे में सूचना देंगे जिसकी उनको जानकारी है, तो उस पर मैं सोच सकता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने इस बात पर असन्तोष नहीं व्यक्त किया है कि मुझे कोई सन्देह है। मैं जानना चाहता हूं कि बस्ती जिले की बिगड़ती अपराध स्थिति को देखते हुए अगर वह साल भर के

आंकड़े छोड़ दें एक महीने के आंकड़े लें और साल भर के आंकड़ों को गलत मान कर क्योंकि अधिकारियों ने साल भर के आंकड़े मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दिए एक महीने की स्थिति को देखते हुए, किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेंगे ? क्योंकि वहां ऐसी स्थिति नहीं है जिसे सामान्य कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट के आधार पर ही इत्तला दी है। यदि आप, उन्होंने कहा है, कोई तथ्य लायेंगे, तो वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अपराध संख्या 65 और 67, जो पैकोलिया थाने के अन्दर तीन दिन के भीतर हुए और एक महीने के अन्दर हुई हैं, उनका पुलिस पता लगाने में असफल रही है, जिसमें कि दो डकैतियां हुईं ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह ऐसा है कि यह घटनाएं 12 जून और 15 जून की हैं और वहां पर पी0ए0सी0 को शान्ति बनाए रखने के लिए तैनात कर दिया गया उसकी अहमियत को समझते हुए और पूरे गिरोह के अपराधियों को पकड़ने का प्रयास हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश —

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अपराध संख्या 87 जो तीसरी घटना है, वह जो 65 नम्बर की घटना है, उसी गांव से सटे हुए हैं लेकिन अभी तक पुलिस उसका पता नहीं लगा सकी है। वह एक किलोमीटर के फासले में हुई है तो उसमें भी पुलिस पता लगाने में असफल रही है।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, इस डकैती में कोई नामजद मुलजिम नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि एक जून से 15 जुलाई तक जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें से किन-किन घटनाओं के सम्बन्ध में घटना-स्थल पर पुलिस अधीक्षक, बस्ती स्वयं गए थे और किन पर वह नहीं पहुंच सके और किन कारणों से नहीं पहुंच सके ?

श्री राम नरेश यादव—

इसकी सूचना उत्तर पाने के बाद ही मैं दे सकूंगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मैं आपके माध्यम से, कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा और जिसे वह स्पष्ट नहीं कर पाए, स्पष्ट करते हुए पूछना चाहता हूं कि यह तो उसी पुलिस की रिपोर्ट है, जिन्होंने हमें और हजारों-हजारों नागरिकों के खिलाफ वारन्ट 10–10 दिन पहले बनाए थे और उन्हें भाषण आदि करते दिखाया था और उसी की रिपोर्ट आप सालों सालों की पढ़ रहे हैं, तो क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूरे बस्ती की जांच कराकर सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न की अनुमति नहीं है, इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) ---

इस बात को देखते हुए कि जनता पक्ष के दो सम्मानित विधायकों ने बस्ती की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है और इस सवाल को उठाया है, तो क्या मुख्य मन्त्री जी पुलिस और प्रशासन अधिकारियों की रिपोर्ट को नजरअन्दाज करके मन्त्रि परिषद् के किसी सदस्य को बस्ती भेजने की कृपा करेंगे, जो वहां जाकर सही स्थिति से आपको अवगत कराए?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, माननीय सदस्य, श्री कल्पनाथ सिंह और दूसरे सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं इस सम्बन्ध में जांच कराने के लिए तैयार हूं, यदि उनकी भावनाएं इस तरह की दिखाई पड़ती हैं कि और भी घटनाएं हुई हैं।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक देहाती प्रश्न करना चाहता हूं कि देहातों में चीनी वितरण की जो समस्या है और पूर्व सरकार ने एक-एक आदमी को 10-10 कोटे. . . . .

श्री अध्यक्ष---

बैठिए, बैठिए, यह प्रश्न इसमें कहां से आ गया ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह जांच किस वरिष्ठ अधिकारी से करायेंगे ? क्योंकि इसी प्रकार जब 1975 में वाराणसी जनपद में जन-जन त्रस्त हो गया था तो तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने जांच हेतु वहां आरक्षी महानिरीक्षक को भेजा था। तो क्या उसी प्रकार वह भी किसी सर्वोच्च अधिकारी को वहां भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह आपका सुझाव है, इस पर वह विचार करेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा के चुनाव के बाद ग्राम, रानीपुर बरसनवा में 7 डकैती पड़ीं, किन्तु उन पर 7 मुकदमें न लिखकर 1 मुकदमा लिखाया गया ? तो क्या इसकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ वह कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसमें नोटिस की आवश्यकता होगी, इससे यह नहीं उठता है।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

नहीं, इससे यह सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष---

यदि मुख्य मन्त्री जी इसका कोई उत्तर दे सकें, तो दें।

श्री राम नरेश यादव---

जब मेरे सामने ऐसा कोई सवाल नहीं आया, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूं ?

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मैंने कहा है कि मेरी सूचना के आधार पर. . . . .

श्री अध्यक्ष---

तो फिर आप लिखकर भेजिए। यह कैसे सूचना मान ली जाय ?

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी सुपरिंटेण्डेंट पुलिस का हस्तांतरण करा कर जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न नहीं है।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

माननीय मुख्य मन्त्री जी परिस्थितियों के परिवेश में जब कि बस्ती में इस प्रकार घटनाक्रम बढ़ रहा है यह विचार करेंगे कि विधायकों की एक समिति इन घटनाओं की जांच करे ?

श्री अध्यक्ष---

यह इससे पैदा नहीं होता है। यह आप सुझाव दे रहे हैं। नियम 51 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो मन्त्री जी वक्तव्य दें उसमें से जो सवाल पैदा होता है, वही पूछा जा सकता है।

अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं।

मुख्य मन्त्री के आवास में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक लाश के साथ अनधिकृत प्रवेश के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)---

दिनांक 20 जुलाई, 1977 को लगभग 6-30 बजे सायंकाल मेरे निवास के गेट नं0-1 से एक गाड़ी नम्बर यू0एम0क्यू0 4793 अन्दर घुसी जिस पर एक लाश रखी हुई थी तथा उस पर लगभग 30-35 व्यक्ति, जिनमें से तीन के पास आग्नेयास्त्र थे, मौजूद थे। ड्यूटी पर तैनात कान्सटेबिल का कहना है कि बस को अन्दर जाने से रोकने पर भी उन्होंने जबरदस्ती प्रवेश किया और कान्सटेबिल को धमकी दी।

गाड़ी जबरदस्ती फाटक के अन्दर ले जाकर अन्दर वाली सड़क के किनारे बाई ओर शव को रख दिया। मेरे निवास स्थान से लगभग 7-00 बजे जिला प्रशासन को यह सूचना दी गयी कि मृतक फूल चन्द्र की लाश को लेकर लोग वहां पहुंचे हैं। इस सूचना के बाद क्षेत्राधिकारी, नगर (प्रथम) तथा नगर मैजिस्ट्रेट पुलिस दल के साथ वहां पहुंचे। लाश के पास कुछ लोगों की भी थी जो मृतक के सम्बन्धी बताए जाते थे। यह लोग यह आरोप लगा रहे थे कि मृतक फूल चन्द्र यादव की मृत्यु अस्पताल में डाक्टरों तथा कर्मचारियों द्वारा जहर देने के कारण हुई है और वे इस सम्बन्ध में बिना मुख्य मन्त्री से मिले किसी भी दशा में शव को बाहर नहीं ले जायेंगे।

[श्री राम नरेश यादव]

नगर मैजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी, नगर (प्रथम) के समझाने पर उन लोगों ने यह बताया कि उनके प्रतिनिधि, श्री भाभी यादव, विधायक मुझे तथ्य से अवगत कराने के लिए गए हैं और जब तक लौट कर नहीं आते, वे वहां से नहीं जायेंगे ।

अन्ततः 10–30 बजे रात्रि में जब मैं अपने निवास स्थान पर आया और उनके आवेदन पर मैंने आदेश पारित किया तो लाश तथा अन्य लोग जिनकी संख्या 20 के करीब होगी, मेरे निवास स्थान से चले गए ।

मुख्य मन्त्री आवास के गेट नं0–1 पर तैनात सन्तरी के बलात् प्रवेश करने तथा धमकी देने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट थाना हजरतगंज में लिखाई है जिस पर मुकदमा कायम हुआ है । लाश वाली गाड़ी की तलाशी लेने पर दो बन्दूकें तथा एक राइफल कब्जे में ले ली गई हैं ।

मेरे निवास स्थान पर निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त अभी कुछ दिन पूर्व एक पी0ए0सी0 प्लाटून तैनात की गयी है । जब अधिकारी वर्ग, सूचना देने पर मेरे निवास स्थान पर आए हुए थे तो उनके साथ भी पी0ए0सी0 की एक प्लाटून उपलब्ध थी । यह सही नहीं है कि स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन की यह कार्यवाही मेरे विरुद्ध किसी षडयन्त्र का परिणाम है ।

जानकारी प्राप्त करने से यह ज्ञात हुआ है कि श्री फूल चन्द्र को दिनांक 17 जुलाई, 1977 की रात्रि में लगभग 9 तथा 9–15 बजे हुई घटना में गोली लगी थी । तत्पश्चात् उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया वे जीवित न रह सके और दिनांक 19 जुलाई, 1977 को इनकी मृत्यु मेडिकल कालेज में हो गयी । इनके शव का पोस्टमार्टम दिनांक 20 जुलाई, 1977 को हुआ था और अपराह्न में इनका शव इनके सम्बन्धियों को सुपुर्द कर दिया गया था जिससे उनकी अंत्येष्टि क्रिया की जा सके । ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में सम्बन्धियों ने यह निर्णय लिया कि शव को मेरे निवास स्थान पर ले जाया जाय । उनका यह विचार हुआ कि गोली से नहीं बल्कि जहर देने से श्री फूल चन्द्र की मृत्यु हुई है । जब इन्होंने मुझसे यह शिकायत की तो मैंने जहर देने के सम्बन्ध में आवश्यक रिपोर्ट करने तथा शव का पुनः परीक्षण करने का आदेश दिया । परीक्षण से यह नहीं सिद्ध हुआ कि इन्हें जहर देकर मारा गया है । फिर भी विशेष आर्म रासायनिक जांच के लिए सुरक्षित रख लिए हैं ।

सारी घटना की जांच के लिए आयुक्त, लखनऊ मण्डल को सुपुर्द कर दिया है । इसलिए जो भी रिपोर्ट आएगी, उस पर कार्यवाही होगी ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये 20–30 आदमी 6.30 बजे से 10.30 बजे तक वहां पर रहे तो इन लोगों के खिलाफ किस समय रिपोर्ट दर्ज कराई गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, सन्तरी की रिपोर्ट दिनांक 21 जुलाई, 1977 को रात्रि के 12.10 बजे पर हुई ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

जब जिलाधिकारी उनके बयान के अनुसार 7 बजे घटना स्थल पर पहुंच गए थे तो सीआर0पी0सी0 और आई0पी0सी0 में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार इन अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, सारी घटना की जांच के लिए आयुक्त को सुपुर्द किया है । जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही होगी ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इस समय जो पुलिस अधीक्षक हैं, वह एक बहुत पुराने केन्द्रीय मन्त्री के दामाद हैं और इस जिले के जो जिलाधिकारी हैं, वह पुराने प्रधान मन्त्री के सम्बन्धी हैं और इस कारण प्रशासन असफल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे उठता नहीं है । यह आपका अभियोग है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

यह रिपोर्ट लिखाने में इतना विलम्ब क्यों किया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

मैंने कहा कि जो सूचना मिली मैंने उसी के आधार पर कहा है ।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वे लोग लाश लेकर अन्दर गए तो श्री भाभी यादव उनके साथ थे ?

श्री राम नरेश यादव—

यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सूचना थी वह मैंने बता दी ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय पुलिस गयी तो श्री मंगला प्रसाद मिश्र नामक ए0डी0एम0 (एक्जीक्यूटिव) मौजूद थे ?

श्री राम नरेश यादव—

जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार क्षेत्राधिकारी नगर (प्रथम) और नगर मैजिस्ट्रेट पहुंच गए थे ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न समाप्त हुआ ।

सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 9 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
23 जुलाई, 1977।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0—एल0 129 वि0 सभा—1977—840।